खण्ड-06 सत्र -05 (भाग-05) / अंक-55 मंगलवार 8 अगस्त, 2017 / 17 श्रावण, 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

पांचवां सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-05 (भाग-05) में अंक 55 के अंक 58 सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र–5 भाग (5) मंगलवार, 8 अगस्त, 2017 / 17 श्रावण 1939 (शक) अंक–55

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	निधना संबंधी उल्लेख	3–4
3.	अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणाएं	4–13
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	13–42
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	42–199
6.	अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था	199–206
7.	उप मुख्यमंत्री का वक्तव्यः	206–215
	(सीवर साफ करते हुए दुर्घटनावश मजदूरों की मौत पर)	
	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात :	216–217
	विशेषाधिकार समिति को मामला सोंपने के बारे में माननीय अध्यक्ष का निर्णय	217–272

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्र–5 भाग (5) मंगलवार, 8 अगस्त, 2017 / 17 श्रावण 1939 (शक) अंक–55

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविंद्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री राजेश गुप्ता
13. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री आसिम अहमद खान
17. श्री विशेष रवि
18. श्री हजारी लाल चौहान
19. श्री शिव चरण गोयल
20. श्री गिरीश सोनी
21. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
22. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)

23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री महेन्द्र यादव
25. श्री नरेश बाल्यान
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28. सुश्री भावना गौड़
29. श्री सुरेन्द्र सिंह
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्रीमती प्रमिला टोकस
35. श्री नरेश यादव
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री प्रकाश
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. श्री सौरभ भारद्वाज
41. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
42. श्री सही राम
43. श्री नारायण दत्त शर्मा
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री एस.के. बग्गा
48. श्री अनिल कुमार वाजपेयी
49. मो. इशराक
50. श्री श्रीदत्त शर्मा
51. चौ. फतेह सिंह
52. श्री जगदीश प्रधान
53. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-5 भाग (5) मंगलवार, 8 अगस्त, 2017/17 श्रावण 1939 (शक) अंक-55

सदन अपराह्न 2.00 बजे आरम्भ हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

(राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम)

(निधन संबंधी उल्लेख)

अध्यक्ष महोदय : आज के सत्र में सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनन्दन और स्वागत है।

यह अत्यधिक दु:ख का विषय है कि रविवार दिनांक 06 अगस्त, 2017 को लाजपत नगर में सीवर साफ करते समय तीन मजदूरों; 22 वर्षीय मोहन, 28 वर्षीय अन्नु तथा 32 वर्षीय जोगिन्दर की दम घुटने से मौत हो गई, जो कल्याणपुरी, दल्लूपुरा तथा खिचड़ीपुर के निवासी थे। इस घटना के दौरान एक अन्य मजदूर की हालत भी नाजुक बनी हुई है। यह घटना चिंताजनक और दु:खद है क्योंकि सेवा भाव से अपना कार्य करते हुए तीनों मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी।

इससे पूर्व 15 जुलाई, 2017 को घिटोरनी में भी पार्किंग क्षेत्र में सीवर साफ करते समय चार मजदूरों 30 वर्षीय अनिल, 26 वर्षीय बलविन्दर, 28 वर्षीय दीपू तथा 45 वर्षीय श्रवण सिंह की मौत हो गई थी। मैं अपनी

ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इन मजदूरों के निधन पर शोक प्रकट करता हूं और पीड़ित मजदूर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।

मैं इस संबंध में सरकार से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि पीड़ित परिवारों को यथा संभव सहायता दी जाये और इस तरह के उपाय सुनिश्चित किये जायें जिससे ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो।

अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन से दो मिनट का मौन धारण करने की प्रार्थना करता हूं।

(सदन द्वारा दो मिनट के लिए मौन धारण)

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं अभी आ रहा हूं थोड़ा विषय पूरे कर लूं दो मिनट बैठिए जरा।

आज भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह आंदोलन विशेष और निर्णायक स्थान रखता है। आज ही के दिन 08 अगस्त, 1942 को मुम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन का संकल्प लिया गया था और ब्रिटिश राज को तत्काल समाप्त करने की मांग करते हुए गांधी जी के नेतृत्व में यह जन आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी ने जनता को 'करो या मरो' का नारा दिया, जिससे प्रेरित होकर लाखों भारतीय इस

आंदोलन में कूद पड़े। देश भक्तों की गिरफ्तारियों से पूरे देश की जेलें भर गयी तथा ब्रिटिश सत्ता को देश से बाहर करने के लिए जनता ने आंदोलन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी आंदोलन ने अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि अब वो लम्बे समय तक भारत पर शासन नहीं कर पायेंगे।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से इस आंदोलन में भाग लेने वाले सभी देशभक्तों को नमन करता हूं जिनकी शहादत तथा कोशिशों से ही आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। आजादी की रक्षा करना तथा लोकतंत्र को बचाकर रखना हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व है, जय हिन्द।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से माननीय श्री रामनाथ कोविंद को भारत के चौदहवें राष्ट्रपति के रूप में पद को सुशोभित करने तथा माननीय श्री वेंकैया नायडू जी के भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा कामना करता हूं कि शीर्ष संवैधानिक पदों पर इनका कार्यकाल प्रेरणादायक होगा।

माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारतीय महिला क्रिकेट टीम के हाल ही आयोजित विश्व कप में शानदार प्रदर्शन पर हार्दिक बधाई देता हूं तथा विश्व कप के दौरान टीम की कप्तान सुश्री मिथाली राज और प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा किये गये जुझारू प्रदर्शन तथा उल्लेखनीय खेल–कौशल की तहेदिल से सराहना करता हूं।

माननीय सदस्यगण यह अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है कि लन्दन में 23 जुलाई, 2017 को सम्पन्न वर्ल्ड पैरा एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप में भारत

को पांच मैडल मिले हैं। यह भारत को पैरा–चैम्पियनशिप में अब तक मिले पदकों में सबसे ज्यादा है। भारत के खिलाड़ी सुन्दर सिंह, अनिल कुमार, कमरज्योति, शरत कुमार तथा वरूण सिंह भाटी ने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। मैं इन सब खिलाड़ियों को तथा इनके प्रशिक्षकों को अपनी ओर से, सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं।

माननीय सदस्यगण, यह अत्यधिक चिन्ता का विषय है कि हाल ही में चंडीगढ़ में वर्णिका कुंडु नामक एक महिला के साथ अभद्रता का प्रयास किया गया। चण्डीगढ़ जैसे महानगर में इस तरीके की घटना महिला सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सेकेण्ड रुक जाइये। नहीं–नहीं, एक सेकेण्ड रुक जाइये। नहीं, विजेन्द्र जी, मैं बिल्कुल एलाउ नहीं करूंगा। एक सेकेण्ड। ये गम्भीर विषय है। ये बड़ा गम्भीर विषय है महिलाओं को लेकर। ये महिलाओं को लेकर बड़ा... मैं बात कर रहा हूं। मैंने अपने, मैंने शोक–सन्देश दिया उस पर और आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आप महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। एक महिला के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गयी। मैंने शोक–सन्देश दिया है। मैंने दिया है शोक–सन्देश। देखिये सिरसा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। मुझे अपना विषय खत्म करने दीजिए। ये पूरे भारत की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप। पूरे भारत की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। बीच में नहीं बोलें आप। चण्डीगढ़ की बात आ गयी

तो आपको परेशानी हो रही है। चण्डीगढ़ की बात आते ही परेशानी हो गयी। मैं पूरा पढ़ रहा हूं।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य विरोध स्वरूप वेल में आये।)

अध्यक्ष महोदय : नहीं करते रहिये, आप चिल्लाते रहिए, चिल्लाते रहिए। माननीय सदस्य बैठें जरा।

...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्य वेल में आये तथा नारेबाजी की।)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। बैठ जाइए। मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं, बैठ जायें। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। नितिन जी बैठें जरा। बोलिये–बोलिये। मंत्री जी खड़े हैं।

उप मुख्य मंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : जो मुद्दा ये उठा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। क्योंकि आपने भी इस पर जिक्र किया। पूरी सरकार में अध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी मैं एक बात कह रहा हूं। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं। माननीय सदस्य चुप रहें। मैंने चार एजेन्डा अपनी ओर से पढ़े। एक सेकेण्ड विजेन्द्र जी, आप चुप हो जाइए। मुझे मालूम है कि आपको क्या परेशानी हो रही है।

उप मुख्य मंत्री : आप सफाई कर्मचारियों की तन्ख्वाह की चिन्ता करो।

अध्यक्ष महोदय : आपको परेशानी हो रही है। मैं ले रहा हूं इसको। मैं जब कह रहा हूं, मैं ले रहा हूं उसको। नहीं सिरसा जी, ऐसे नहीं चलेगा। मैं जब कह रहा हूं ले रहा हूं इसको। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय ये जल बोर्ड के मजदूरों की...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं विजेन्द्र जी, ऐसे नहीं चलेगा। नितिन जी, आप वहां जाइए। नितिन जी, आप अपनी सीट पर जाइए। अनिल जी, अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पर जाइए। नितिन जी, आप अपनी बात वहां खड़े होके कह सकते हैं। ये जगदीप जी, ठीक नहीं है, ये तरीका।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने वेल में नारेबाजी की।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं। अपनी कुर्सियों पर बैठें। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं अपने स्थान पर बैठें। हाउस 15 मिनट के लिए एडजार्न किया जाता है।

(सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई।)

सदन अपराह्न 2.38 बजे पुनः समवेत हुआ

अध्यक्ष महोदय **(श्री रामनिवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

(सभी विपक्षी सदस्य सदन के वैल में आए)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप वहां आइये।

उप–मुख्य मंत्री : अध्यक्ष जी, सीवर वाले इश्यू पर सरकार बहुत संजीदा है। मैं आपके माध्यम से सदन के सामने ये रखना चाहता हूं। क्योंकि आपने ये मुद्दा...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अरे! वो जवाब दे रहे हैं मंत्री जी।

उप–मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष ये मुद्दा आपने रखा। संवेदना भी सदन ने व्यक्त की। मैं इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि इस सरकार की ओर से ये स्टेण्डिंग इंस्ट्रक्शन्स हैं कि किसी भी मामले में किसी मजदूर को सीवर में नहीं उतारा जाएगा, मशीनों से काम कराया जाएगा। ये स्टेण्डिंग इंस्ट्रक्शन्स हैं। इसको लेकर पूरा इंस्ट्रक्शन्स हैं, किसी भी मजदूर को सीवर में नहीं उतारा जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए सिरसा जी, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं। अरे! मैं उसको लेता हूं न।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या सोच रहे हैं आप? बैठिये। नहीं, बैठ जाइये। मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री : सरकार पूरी तरह से इसको लेकर संजीदा है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी, एक बार शुरू से पढ़ दें इसको।

उप मुख्यमंत्री : सरकार पूरी तरह से इस मसले को लेकर संजीदा है अध्यक्ष महोदय और सरकार की ओर से पहले से ही स्टेण्डिंग इंस्ट्रक्शन्स हैं कि किसी भी मजदूर को सीवर में नहीं उतारा जाएगा लेकिन उसके बावजूद अगर किसी ठेकेदार ने उतारा है, इसकी पूरी जांच कराई जा रही है कि स्टेण्डिंग इंस्ट्रक्शन्स के बावजूद कैसे उतारा गया, किस तरह से उतार दिया गया, इसकी जांच कराई जा रही है। जो भी ठेकेदार दोषी है, जो भी अधिकारी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी और सरकार ने हरेक मजदूर, जो सात मजदूर अभी तक मारे गए हैं, इनके परिवारों को दस–दस लाख रुपये की मुआवजा राशि का एलान किया गया है तो दस–दस लाख रुपये हरेक मजदूर के परिवार को दिया जाएगा और कोई ठेकेदार किसी भी रूप में किसी भी मजदूर को सीवर के अंदर उतारेगा तो गैर–कानूनी है। ये पहले से ही इंस्ट्रक्शन्स जारी हैं। उसके बावजूद कोई करा रहा है, इन्हीं का ठेकेदार होगा, इन्होंने ही ठेका दिलवाया होगा उसको।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीप जी, बैठिए दो मिनट। हर वक्त परेशानी होती है। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट रुकिए। मैं नेता विपक्ष के कारण जो एक मुद्दा, मुझे बड़ा दुःख था, जो मैं पढ़ रहा था, वह अधूरा रह गया, मैं उसको पूरा कर रहा हूं।

यह अत्यधिक चिंताजनक है कि हाल ही में चण्डीगढ़ में वर्णिका कूंडु नामक एक महिला के साथ अभद्रता का प्रयास किया गया। चण्डीगढ़ जैसे महानगर में इस तरह की घटना महिला सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसके बावजूद जिस तरह से वर्णिका कूंडु ने इस पूरे मामले में संघर्ष का जो रास्ता अपनाया है, वह सराहनीय है। दोषी कोई भी हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए तथा पुलिस को निष्पक्ष ढंग से इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषियों को कड़ी सजा देना बहुत जरूरी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, पहले विजेन्द्र जी को रोकिये आप। आज के मेरे पांच विषय थे। एक सेकेंड मेरी बात सुन लीजिए। मेरी पहले बात सुन लीजिए। मेरी पहले बात सुन लीजिए आप। आप नहीं सुनना चाहते हैं, आपकी इच्छा है नहीं। अरे! उप मुख्य मंत्री बैठे हैं न। उन्होंने उत्तर दिया है। क्या बात कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं सैनिकों पर चर्चा करवा दूं सदन में। नहीं दलितों पर आप एग्री करते हैं। दलितों पर चर्चा करवा दूं सदन में। नहीं, दलितों पर सदन में चर्चा करवा दूं। दलितों पर सदन में चर्चा करवा दूं। नहीं, आप सहमत करते हैं चर्चा करवा दूं। आप छोड़कर न जाइए सदन, आ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष से नियम–59 के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव, माननीय सदस्यों श्री जगदीश प्रधान, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा, श्री जगदीप सिंह तथा श्री संजीव झा से नियम–54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि आज कार्य सूची में दर्शाये गये विषयों के अतिरिक्त किसी भी विषय पर विचार नहीं किया जायेगा। सदन का समय महत्त्वपूर्ण होता है। सीमित समय में अधिकतम कार्य करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिकांश सूचनाएं जिस विषय को लेकर दी गई हैं, उस पर पहले ही सदन शोक संवेदना व्यक्त कर चुका है। इसलिए उक्त सभी सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। यदि आप सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेंगे तो मुझे विवश होकर नियमानुसार कार्रवाई करनी पड़ेगी।

...(व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपना अपनी चैयर पर चलें।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य वैल में आकर नारे बाजी करने लगे)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं कि कृपया अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ जायें। विषय क्या है, माइक पर जाकर पढ़िए तो सही कि विषय क्या है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट से रखिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, ये ठीक नहीं हो रहा है। ये निन्दनीय काम हो रहा है।

...(व्यवधान)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

1. श्री प्रवीण कुमार : क्या **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुशल और अकुशल कामगारों के पंजीकरण की प्रक्रिया व बाद में उनके रोजगार की स्थिति;

(ख) जो उम्मीदवार पहले से ही पंजीकृत हैं उन्हें रिक्तियों के बारे में सूचना देने की प्रक्रिया;

(ग) क्या विभाग का अपना स्वयं का वेब पोर्टल बनाने का कोई प्रस्ताव है तो, यदि हां, और यदि नहीं तो उसके, उसका विवरण तथा, कारण;

(घ) जंगपुरा रोजगार कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों का संपर्क ब्यौरा।

रोजगार मंत्री (श्री गोपाल राय) : (क) दिनांक 15—06—2009 से रोजगार निदेशालय, दिल्ली द्वारा पंजीकरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन पद्धति में परिवर्तित कर दिया गया है तथा अब कुशल व अकुशल कामगारों का

पंजीयन ऑनलाइन पद्धति द्वारा किया जाता है। अब तक 10945 अभ्यर्थियों को रोजगार दिया जा चुका है।

(ख) दिनांक 15–06–2009 से रोजगार निदेशालय, दिल्ली में पंजीकृत अभ्यर्थियों को रिक्तियों के आधार पर सम्प्रेषण (sponsorship) की सूचना अभ्यर्थी अपनी आई.डी. पर ऑनलाइन, किस नियोजक के समक्ष उसका नाम प्रस्तुत किया गया है, देख सकता है।

(ग) दिनांक 15–06–2009 से ही विभाग की वेबसाइट www.employment.delhigovt.nic.in कार्यरत है, जिसपर दो पोर्टल हैं।

1. रोजगार सेवाओं के लिए–ऑनलाइन इम्प्लोयमेंट पोर्टल

2. रोजगार मेला के लिए–जॉब फेयर पोर्टल

(घ) इस समय जंगपुरा नयी दिल्ली में कोई भी रोजगार कार्यालय स्थित नहीं है। जंगपुरा के अभ्यर्थी नयी दिल्ली रोजगार कार्यालय में जाकर कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। दूरभाष संख्या 23389717 के द्वारा भी रोजगार अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

02. श्री जरनैल सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी (ई.डब्ल्यू. एस.) के अंतर्गत पब्लिक स्कूलों में प्रवेश के लिए बच्चों के चयन हेतु कोई ड्रॉ निकाले थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे ड्रॉ के माध्यम से उनमें से कितने बच्चों का वास्तव में चयन हुआ था;

(ग) क्या इस प्रकार से चुने गए सभी बच्चों को संबंधित स्कूलों में प्रवेश मिल गया था;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण; और

(ङ) इस चूक के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) ड्रा के माध्यम से कुल 37764 (प्रथम ड्रा में 31269 एवं द्वितीय ड्रा में 6495) बच्चों का चयन हुआ है।

(ग) सत्र 2017–18 के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह (EWS/DG) के अन्तर्गत दाखिला प्रक्रिया अभी जारी है।

03. कु. अलका लाम्बा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान सतर्कता विभाग द्वारा पंजीकृत प्रकरणों की ग्रेड के अनुसार संख्या;

(ख) कितने प्रकरणों में प्राथमिकी दर्ज की गई है;

(ग) कितने प्रकरणों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है;

(घ) कितने प्रकरणों में सुनवाई अभी भी चल रही है;

(ङ) कितने प्रकरणों में आरोपियों को दोषी पाया गया है;

(च) झूठी और कपटपूर्ण शिकायतों के कारण कितने प्रकरणों में आरोपियों को छोड़ दिया गया है?

उप मुख्यमंत्री : (क) सतर्कता विभाग द्वारा विभागीय आरोप पत्रों की ग्रेड के अनुसार संख्या निम्न है:

ग्रुप	2014—15
ए	18
बी	70
सी	01
कुल	89

(ख) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में वर्ष 2014 में 64 व 2015 में 31 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

(ग) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में वर्ष 2014—15 के केसों में से 7 केसों की चार्जशीट दाखिल की गई।

(घ) 5 केसों में अभी सुनवाई चल रही है।

(ङ) 2 केसों में आरोपियों को दोषी पाया गया।

(च) कोई नहीं।

यह पत्र माननीय मंत्री, सतर्कता विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

04. भावना गौड़ : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों में कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) ये कार्य किस संस्था द्वारा किए जा रहे हैं;

(ग) इन विद्यालयों का विवरण क्या है; और

(घ) उन विद्यालयों का विवरण क्या है जहां ये कार्य पूरे हो चुके हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) यह कार्य डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा किया जा रहा है।

(ग) राजकीय सह शिक्षा वरिष्ठ विद्यालय सेक्टर–2 द्वारका विद्यालय में 21 नई कक्षाओं का निर्माण कार्य डी.टी.टी.डी.सी. द्वारा कराया जा रहा है। यह कार्य अभी चल रहा है।

05. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) में पुराने और अप्रचलित व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) क्या 'अंडर वाटर वेल्डिंग', 'डाई तथा मोल्ड मेकिंग में 'सी.ए.डी.' व '3डी' मोल्ड डिजाइन' आदि जैसे नए व्यवसायों को प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या सी.एन.सी. कटिंग मशीन, सी.एन.सी. लेथ मशीन, सी.एन.सी. वायर कटिंग मशीन, स्पॉर्क एरोजन 'मशीन जैसे नए उपकरणों पर प्रशिक्षण देने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) एवं (ङ) क्या आई.टी.आई. की संख्या तथा विद्यार्थियों को प्रवेश दिए जाने की संख्या में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो उक्त सभी का ब्यौरा; और

(च) क्या इन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के बारे में प्रचार का तथा स्कूलों में ही विद्यार्थियों में इस संबंध में जागरूकता पैदा करने का कोई प्रस्ताव है?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा चलाये जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) (ITI) में उन व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाता है जो कि प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गए हैं। इसके अतिरिक्त एस.सी.वी.टी. (SCVT) के तहत राज्य की जरूरत एवं औद्योगिक क्षेत्र के मांग के अनुसार कुछ कोर्स चलाए जाते हैं। यदि कोई भी व्यवसाय किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा पुराना और अप्रचलित घोषित कर दिया जाता है तो उस व्यवसाय के स्थान पर प्रशिक्षण महानिदेशालय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा निर्धारित सूची से चुनकर नया ट्रेड राज्य निदेशालय द्वारा आई.टी.आई. में चलाया जाता है।

(ख) 'डाई एवं मोल्ड मेकिंग' में प्रशिक्षण आई.टी.आई. शाहदरा में दिया जाता है, एवं सत्र 2017—18 से यह प्रशिक्षण आई.टी.आई. अरब की सराय में भी शुरु किया जा रहा है। 'अंडर वाटर वेल्डिंग' ट्रेड का प्रशिक्षण वर्तमान

में किसी आई.टी.आई. में नहीं दिया जाता है। यह प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय (DGT) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की सूची में भी अभी तक शामिल नहीं है। 'डाई एवं मोल्ड मेकिंग' में 'सी.ए.डी.' व '3डी' मोल्ड डिजाइन' सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए विभाग ने पूसा आई.टी.आई. में प्रबंध किया है एवं अन्य आई.टी.आई. में यह प्रशिक्षण शुरु करने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय पर अलग से कोई सम्पूर्ण पाठ्यक्रम (Trade) नहीं है।

(ग) जी हां। डी.टी.टी.ई. निदेशालय सी.एन.सी. कटिंग मशीन, सी.एन. सी. लेथ मशीन, के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त अवगत दो वर्षों के दौरान 16 विभिन्न इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ समझौते कर ट्रेनिंग शुरु हुई हैं। ये 16 पार्टनर्स हैं–1. मारूति सुजुकी, 2. सीमेन्स, 3. डायकिन इण्डिया, 4. एल.जी., 5. ओरिएन्टल इन्श्योरेंस, 6. आई.जी.एल, 7. एक्साल्ट पेंटस, 8. जे.जे. इम्पेक्स, 9. सैमसंग, 10. सांइटेक इण्डिया लिमिटेड, 11. टाटा मोटर्स, 12. ह्युन्डई, 13. टेक्ट्रोनिक्स इण्डिया, 14. एड्गेट टेक्नोलॉजी, 15. कीसाइट टेक्नोलॉजी, 16. आर.एस.कम्पोनेन्टस एण्ड कन्ट्रोल्स। इन 16 पार्टनर्स के साथ 8 संस्थानों में आधुनिक मशीनों पर प्रशिक्षण देने हेतु नई वर्क शॉप्स की स्थापना की गई है। सी.एन.सी. वायर कटिंग मशीन, स्पॉर्क एरोजन मशीन जैसे नए उपकरणों पर प्रशिक्षण देने हेतु इन मशीनों एवं अन्य मशीनों को खरीदने का प्रयास चल रहा है।

(घ) एवं (ङ) दो आई.टी.आई. क्रमशः बक्करवाला एवं रनहोला में खोलने का प्रस्ताव है। इसके लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। जिससे कालांतर में छात्र संख्या भी बढ़ेगी।

(च) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समय–समय पर समाचार पत्रों और वेबसाइट के माध्यम से प्रचार किया जाता है। स्कूल के छात्रों में जागरूकता लाने हेतु नजदीकी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को स्कूलों से लिंक किया गया है।

06. श्री रघुविंद्र शौकीन : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूरजमल स्टेडियम को डी.डी.ए. से अपने हाथ में लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 14/07/2016 को माननीय उप मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में नांगलोई विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में श्री रघुविंद्र शौकीन माननीय विधायक जी के साथ एक मीटिंग हुई, जिसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि सूरजमल स्टेडियम, नांगलोई को दिल्ली सरकार अपने अधीन ले। इस निर्णय के उपरांत शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार ने अपने पत्र संख्या डी.ई./41/खेल/2016/5846, दिनांक 05/08/2016 के माध्यम से दिल्ली विकास प्राधिकरण को यह प्रस्ताव भेज दिया गया है। अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। इसके संबंध में डी.डी.ए. को अनुस्मारक (रिमांडर) भेजा जा रहा है।

(ग) उपरोक्त (ख) के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

07. चौधरी फतेह सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र रोड नंबर 68 में शिक्षा निदेशालय द्वारा बनाई जा रही कक्षाओं की संख्या क्या है तथा इन्हें किस तिथि से इन्हें लागू कर दिया जाएगा;

(ख) उन विद्यालयों का ब्यौरा जहां नई कक्षाओं का निर्माण किया जा रहा है;

(ग) जो विद्यालय अभी छूट गए हैं उनमें अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कब तक हो जाएगा; और

(घ) क्या इस विधानसभा क्षेत्र में सरकार का इस शिक्षा सत्र में नए विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है?

उप मुख्यमंत्री : (क) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र संख्या 68 में शिक्षा निदेशालय द्वारा 4 विद्यालयों में 84 अतिरिक्त कक्षाओं का कार्य निर्माणाधीन है।

(ख)

विद्यालय का नाम	**निर्माणाधीन कक्षाएं**
जी.जी.एस.एस.एस., ईस्ट आफ गोकुलपुर, लोनी रोड	16
एस.के.वी., मंडोली	28
जी.जी.एस.एस.एस., मंडोली एक्सटेंशन	24
गवर्नमैंट को–एड मिडिल स्कूल, जौहरीपुर	16
कुल	84

(ग) गोकुलपुर विधानसभा क्षेत्र में विद्यालय के स्थान उपलब्धता को मद्देनजर रखते हुए फेज–2 में पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा जी.बी.एस.एस.एस., गोकुलपुर गांव में 40 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण कार्य का प्रावधान है।

(घ) शिक्षा निदेशालय को अभी तक ग्राम सभा, डी.डी.ए. व डी.यू.एस. आई.बी. द्वारा कोई भूमि आबंटित न होने के कारण इस शिक्षा सत्र में कोई भी नया विद्यालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

08. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में 'लैब असिस्टेंट' के पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो जून 2017 में कुल रिक्तियों की संख्या;

(ग) इन रिक्तियों को किस तिथि तक भर लिया जाएगा; और

(घ) इन रिक्तियों को शीघ्रातिशीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उपमुख्यमंत्री : (क) शिक्षा विभाग में लैब असिस्टेंट के कुल 2257 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 2053 पद भरे हुए हैं। 2014–15 एवं 2015–16 के लिए रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया नंबर 2016 में पूर्ण की गयी और 354 पदों पर पदोन्नति की गई।

(ख) दिनांक 30/06/2017 को खाली पदों की संख्या 204 थी।

(ग) इन पदों को पदोन्नति द्वारा भरने के लिये दिल्ली सरकार के सभी विभागों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। शीघ्र ही इन पदों को पदोन्नति से भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

(घ) उपरोक्तानुसार।

09. श्री पंकज पुष्कर : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संगम विहार–वजीराबाद, रामघाट–वजीराबाद, वजीराबाद गांव की ग्राम सभाओं के पास कितनी भूमि है;

(ख) क्रिश्चियन कॉलोनी, पटेल चेस्ट, मॉरिस नगर पुलिस स्टेशन के सामने के भवनों और दुकानों के स्वामित्व का ब्यौरा;

(ग) हिंदूराव पहाड़ी पर धोबीघाट के समीप, मलकागंज पेट्रोलपंप के पीछे तेजी से फैल रहे मंदिर के स्वामित्व का ब्यौरा;

(घ) क्या यह सत्य है कि इस भूमि पर अनाधिकृत कब्जा हो गया है;

(ङ) यदि ऐसा है तो यह कब्जा कब तक हटा दिया जाएगा;

(च) यदि नहीं, तो राजस्व रिकॉर्ड में दिखाएं कि यह भूमि वास्तव में मंदिर के ट्रस्ट की है, जिसने इस पर अधिकार किया हुआ है;

(छ) मलिकपुर गांव तथा रिंग रोड (चड्ढा भोजनालय, पी.एन.बी. ए.टी.एम. तथा ओम मंदिर के पास) के बीच के क्षेत्र के स्वामित्व का ब्यौरा;

(ज) इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड का ब्यौरा;

(झ) इस भूमि पर कब्जे की वर्तमान स्थिति; और

(ट) क्या विभिन्न सरकारी विभागों के स्वामित्व वाली समस्त भूमि का ब्यौरा किसी एक ही वेब साइट पर अपलोड करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि सतर्क नागरिक संबंधित विभागों को तुरंत सूचित कर सकें?

उप मुख्यमंत्री : (क) से (ट) सूचना एकत्रित की जा रही है।

10. श्री संजीव झा जी : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छट घाटों के लिए वर्ष 2013 से पहले व बाद में निर्धारित किए गए स्थानों का ब्यौरा;

(ख) अस्थाई (कच्चे) घाटों को स्थाई बनाने के लिए उठाए जा रहे कदम; और

(ग) उनका ब्यौरा?

राजस्व मंत्री : (क) वर्ष 2013 से पहले छट घाटों के लिए 72 स्थान निर्धारित किये गये थे। (सूची संलग्न)

वर्ष 2013 से वर्तमान तक 228 अतिरिक्त घाटों के लिए स्थान निर्धारित किये गये। (सूची संलग्न)

इस प्रकार वर्तमान में कुल मिलाकर 300 स्थान छट घाटों के लिए निर्धारित किये गये हैं।

(ख) मंत्री मंडल द्वारा दिनांक 22.10.2016 के निर्णय संख्या 2439 द्वारा छठ घाट का निर्माण कार्य करने की जिम्मेदारी सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार को दी गई है। कार्यों की समीक्षा दिनांक 10.02. 2017, 25.05.2017, 04.07.2017 एवं 19.07.2017 को की गई।

25 विधायकों द्वारा दिए गए प्रस्तावों के मुताबिक 202 स्थानों पर निर्माण एवं मरम्मत कार्य के लिए प्रस्ताव, विकास विभाग को प्राप्त हुए हैं और विकास विभाग ने उन में से 147 छठ घाटों के निर्माण के लिए जगह की पहचान कर ली है। बाकी स्थानों की पहचान की जा रही है। इन में से 75 स्थानों पर छठ घाट के निर्माण के लिए 44.26 करोड़ रुपये के एस्टीमेट तैयार किए गए हैं। जिसमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए इस विभाग को 20.00 करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण (68 साईट), राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार (43 साईट), दिल्ली शहरी आश्रय एवं सुधार बोर्ड (8 साईट), दिल्ली नगर निगम (17 साईट), दिल्ली जल बोर्ड (1 साईट), वन विभाग (3 साईट) तथा अन्य विभागों द्वारा भूमि संबंधित अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए समुचित प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) ब्यौरा सूची (ख) में संलग्न है।

11. श्री राजेश ऋषि, विधायक : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी में पंखारोड नाले को ढकने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण;

(घ) क्या यह सत्य है कि इन नालों के दोनों ओर बनी दीवारें जर्जर अवस्था में हैं;

(ङ) इनकी मरम्मत कब तक कर दी जाएगी;

(च) बाढ़ नियंत्रण विभाग की भूमि पर हुए कब्जों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(छ) इन कब्जों को हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है; और

(ज) इन कब्जों को कब तक हटा दिया जाएगा?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) पंखा रोड नाले को ढकने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 13.01.1015 के अनुसार कोई भी नाला ढकना प्रतिबंधित है।

(घ) जी हां।

(ङ) इन दीवारों की मरम्मत हेतु स्कीम बनाकर टी.ए.सी. के समक्ष अगली सभा में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। स्वीकृति मिलने पर तदनुसार कार्य किया जाएगा।

(च) विभाग की भूमि पर हुए कब्जों को हटाने के लिए पुलिस बल देने के लिए जिला स्तरीय कार्यबल/विशेष कार्यबल (डी.टी.एफ./एस.टी.एफ.) की मीटिंग में यथासमय प्रस्ताव दिया जाता है।

(छ) संबंधित जिले के राजस्व उपमंडल अधिकारी व पुलिस विभाग की सहायता से अनाधिकृत कब्जों को हटाने की कार्रवाई की जाती है।

(ज) डी.टी.एफ. की स्वीकृति तथा पुलिस बल के मिलने पर इसे तत्काल हटाया जाएगा।

12. श्री गिरीश सोनी : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा पांच तक विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान की शिक्षा दी जाती है;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए कोई सिलेबस और पाठ्यपुस्तकें निर्धारित की हैं;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा दें?

उप मुख्यमंत्री : (क) प्राथमिक कक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन तथा गणित विषय पढ़ाये जाते हैं। इनका पाठ्यक्रम एवं विषय वस्तु

राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) द्वारा बनाया जाता है। पाठ्यक्रम का अधिकतम भाग सामान्य ज्ञान पर आधारित है।

समस्या निवारण मूल्यांकन पुस्तक [Problem Solving Assessment {PSA}] तथा मूल्य आधारित पुस्तक {Value Based Booklet} द्वारा भी बच्चों को सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्नोत्तरी, कहानी सुनाने तथा लिखने आदि के द्वारा भी सामान्य ज्ञान संबंधी शिक्षा बच्चों को दी जाती है।

इसके अलावा इसी वर्ष एक पहल करते हुए सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं में सप्ताह में एक पीरियड सामान्य ज्ञान हेतु निर्धारित किया है।

कुछ निजी विद्यालयों में अलग से भी सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं।

(ख) इसके लिये केवल उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकें निर्धारित की गई हैं।

(ग) उपरोक्तानुसार।

13. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कॉलेजों की सूची जिन्हें काफी हद तक दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है तथा उन कॉलेजों द्वारा प्राप्त की जाने वाली धनराशि;

(ख) क्या इन कॉलेजों के प्रबंधन में दिल्ली सरकार का कोई कोटा है;

(ग) यदि हां, तो कॉलेजवार ब्यौरा दें;

(घ) इन कॉलेजों में पढ़ने वाले दिल्ली व दिल्ली से बाहर के विद्यार्थियों का प्रतिशतमूलक ब्यौरा;

(ङ) इन कॉलेजों का नियोजन के मामले में कॉलेजवार ब्यौरा;

(च) इन कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी (संचालक मंडल) बनाने संबंधी नियमों का ब्यौरा;

(छ) इन कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी की स्थिति व उनका ब्यौरा; और

(झ) इन कॉलेजों में अध्यापक के रूप में विगत तीन वर्ष से कार्यरत (नियमित एवं तदर्थ) व्यक्तियों का, उनकी नियुक्ति की तिथियों सहित, पूरा ब्यौरा?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित 12 कॉलेजों और 5% वित्तपोषित 16 कॉलेजों की सूची संलग्न 1. है (देखें परिशिष्ट–1) तथा वर्ष 2017–18 में 100% वित्तपोषित कॉलेजों को अनुदान के रूप में प्रथम किश्त रुपये 52.5 करोड़ वितरित किये गये और 5% वित्तपोषित कॉलेजों को वर्ष 2017–18 में कोई अनुदान राशि अभी तक वितरित नहीं की गई है।

(ख) इन प्रत्येक कॉलेजों में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा गठित गवर्निंग बॉडी में 10 सदस्य दिल्ली सरकार द्वारा नामित होते हैं जिनमें से 5 सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सूची से दिल्ली सरकार चुनती है तथा 5 सदस्य दिल्ली सरकार द्वारा स्वतः चुनकर उपरोक्त 28 कॉलेजों में

---

1. delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

नामांकित किये जाते हैं और सायंकालीन प्रत्येक कॉलेजों में 12 सदस्य होते हैं जिनमें से 6 सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त सूची से दिल्ली सरकार चुनती है तथा 6 सदस्य दिल्ली सरकार द्वारा स्वतः चुनकर नामांकित किये जाते हैं।

(ग) इन कॉलेजों में दिनांक 20.10.2016 के बाद से गवर्निंग बॉडी में दिल्ली सरकार द्वारा नामांकित कोई भी सदस्य नहीं है।

(घ) इन कॉलेजों में पढ़ने वाले दिल्ली व दिल्ली से बाहर के विद्यार्थियों का प्रतिशतमूलक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी कॉलेजों से मांगी जा रही है।

(ङ) इन कॉलेजों में नियोजन के मामले दिल्ली सरकार के समक्ष नहीं आते। इस प्रकार के सभी मामले गवर्निंग बॉडी के समक्ष रखे जाते हैं जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार निर्णय लेती है।

(च) इन कॉलेजों में गवर्निंग बॉडी (संचालक मंडल) बनाने संबंधी नियम संलग्न है। (देखें परिशिष्ट–2)

(छ) इन कॉलेजों में दिनांक 20/10/2016 के बाद से गवर्निंग बॉडी में दिल्ली सरकार द्वारा नामांकित कोई भी सदस्य नहीं है।

(झ) 100% वित्तपोषित 12 कॉलेजों में अध्यापक के रूप में विगत तीन वर्ष से कार्यरत (नियमित एवं तदर्थ) व्यक्तियों का, उनकी नियुक्ति की तिथियों सहित, कॉलेजों से एकत्रित पूरा ब्यौरा संलग्न है। (देखें परिशिष्ट–3)[1] और 5% वित्तपोषित कॉलेजों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

---

1. delhiassembly.inc.in पर उपलब्ध।

14. श्री जगदीप सिंह : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में खाली पड़ी जमीन का ब्यौरा व उसका स्वामित्व;

(ख) मास्टर प्लान 2021 के अंतर्गत विद्यालयों, अस्पतालों, औषधालयों, वरिष्ठ नागरिक केन्द्रों आदि जैसी सुविधाओं के लिए चिन्हित भूमि का ब्यौरा;

(ग) क्या इन जमीनों पर हुए कब्जों को हटाने तथा भविष्य में इन्हें न होने देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा?

राजस्व मंत्री : (क) हरिनगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाली जमीन का ब्यौरा संलग्न सूची में दर्शाया गया है।

(ख) दिल्ली की मुख्य योजना 2021 के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य व सामुदायिक सुविधाएं जनसंख्या अनुमान के हिसाब से संबंधित जोन के जोनल विकास योजना और लेआउट प्लानों में चिन्हित करी हुई हैं।

(ग) उपरोक्त जमीन पर वर्तमान में कोई कब्जा नहीं है। तथापि भविष्य में कोई कब्जा नहीं होने देने के लिए त्वरित कार्रवाई शाखा का गठन किया गया है।

(घ) उपरोक्त उत्तर 'ग' के अनुसार लागू नहीं।

15. श्री नरेश यादव जी : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महरौली विधानसभा क्षेत्र में ग्रामसभा की जमीन का ब्यौरा;

(ख) ग्रामसभा की जिस जमीन पर कब्जा हो चुका है, उसका ब्यौरा;

(ग) इन जमीनों पर हुए कब्जों को हटाने के लिए उठाए गए कदम;

(घ) क्या शिक्षा विभाग को रजोकरी गांव में एक नया विद्यालय खोलने के लिए भूमि आबंटित की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा;

(च) यदि नहीं, तो विलंब के कारण; और

(छ) रजोकरी गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 तथा शिव मंदिर के बीच के नाले पर सड़क बनाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति?

राजस्व मंत्री : (क) महरौली विधान सभा क्षेत्र में नई दिल्ली जिले के तहत गांव रजोकरी है। जिसकी ग्राम सभा भूमि की सूची/ब्यौरा संलग्न 1 है। यह सूची मई 2011 में किये गये सर्वे के अनुसार है। जिसके उपरांत गांवों का कोई अन्य सर्वे नहीं हुआ है।

(ख)

(1) खसरा संख्या 446 (40–18) : लगभग एक एकड़ में पशु चिकित्सालय चल रहा है। मामला वित्तायुक्त कोर्ट में है। यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हैं। कोर्ट के फैसले के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

(2) खसरा संख्या 1150 (13–11) : लगभग 10 बीघा में कई दशकों से हरिजन बस्ती है। शहरी विकास विभाग द्वारा हरिजन बस्ती का नियमितीकरण विचाराधीन सूची में है।

---

1. delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

(3) खसरा संख्या 1234/11 (11—4) : दिनांक 05.01.2017 को इसे पूरी तरह कब्जा मुक्त कराया गया। चारदीवारी का कार्य चल रहा है।

(4) रजोकरी गांव के नाले — उपदण्डाधिकारी (वसंब विहार) राजस्व रिकार्ड के आधार पर TSM (Total Station Machine) द्वारा निशानदेही का कार्य चल रहा है। रिपोर्ट के आधार पर काम कानूनी नियमों के संदर्भ में सक्षम अधिकारी की अनुमति/आदेशों के अनुसार, जहां भी अतिक्रमण पाया जाता है, उस पर उचित कार्रवाई की जायेगी।

(ग) पिछले वर्षों में प्राप्त अनाधिकृत कब्जों की शिकायत के संदर्भ में खंड विकास कार्यालय तथा उप दण्डाधिकारी (वसंत विहार) कार्यालय द्वारा नियमानुसार कदम उठाये गये। खसरा संख्या 1234/11 तथा 1150 पर पुलिस बल की सहायता से अनाधिकृत कब्जे हटाये गये। अनाधिकृत कब्जों के संबंध में नालों की निशानदेही हेतु कार्य संबंधित तहसीलदार कार्यालय में अग्रसर है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। रजोकरी गांव में निम्नलिखित सरकारी विद्यालय हैं :

सर्वोदया कन्या विद्यालय/बाल विद्यालय, दिल्ली सरकार	खसरा 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446 (हिस्सा)
नगर निगम प्रतिभा विद्यालय	तकरीबन 15 एकड़

नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, हरिजनबस्ती	संख्या 1148, 1149 में तकरीबन 2–0 बीधा।
नगर निगम प्राथमिक विद्यालय, आबादीहेह	1089 में लगभग 1 एकड़।

(ङ) लागू नहीं।

(च) लागू नहीं।

(छ) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 तथा शिव मन्दिर के बीच कोई शिजरा रोड नहीं है। राजस्व विभाग के रिकार्ड अनुसार तथा मौके पर गहरा नाला है। यह गांव के पानी की निकासी का मुख्य निकास है। तथा इसमें पुराने पेड़ों की हरित पटि्टका भी है। इस पर सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव इस कार्यालय में लम्बित नहीं है।

16. श्री विशेष रवि : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसफ अली रोड स्थित उप–पंजीयक कार्यालय का क्षेत्र तथा वहां प्रतिदिन होने वाले पंजीकरणों की संख्या;

(ख) पंजीकरण संबंधी कार्य के लिए इस कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों की संख्या;

(ग) आगंतुकों के बैठने के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रबंध;

(घ) क्या यहां आने वाले आगंतुकों को जल व जनसुविधाओं जैसी कोई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ङ) बढ़ते हुए कार्यभार तथा जनता को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए क्या इस कार्यालय को किसी अधिक खुले और सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके कारण?

राजस्व मंत्री : (क) आसफ अली रोड स्थित उप पंजीकरण कार्यालय का कार्य क्षेत्र करोल बाग, दरिया गंज, पहाड़ गंज तथा नया राजेंद्र नगर है। तथा यहां प्रतिदिन आने वाले पंजीकरणों की संख्या लगभग 45 है।

(ख) पंजीकरण संबंधी कार्य के लिए इस कार्यालय में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 250 है।

(ग) आगंतुकों के बैठने के लिए विभाग द्वारा कुर्सी/बैंचों का प्रबंध किया गया है।

(घ) जी हां, यहां आने वाले आगंतुकों को जल व जन सुविधाएं जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(ङ) बढ़ते हुए कार्यभार तथा जनता को होने वाली असुविधाओं को देखते हुए इस कार्यालय को जीवन केंद्र झंडेवालान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है।

(च) जीवन केन्द्र झंडेवालान पर यह कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है तथा इसका विद्युत कार्य (Electrical Work) की अनुमानित लागत रुपये 6978432/– है तथा ये जिला मध्य कार्यालय को प्राप्त हो गयी है तथा नागरिक कार्य (Civil Work) की अनुमानित लागत

लोक निर्माण विभाग से आना अभी बाकी है इसको जल्दी मंगवाकर कार्य आरम्भ करवाना है।

(छ) ये लागू नहीं होता।

17. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 'प्रतिभा विकास विद्यालय' खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावित विद्यालयों की अवस्थिति का ब्यौरा तथा ये विद्यालय कब तक खुल जाएंगे; और

(ग) इन प्रतिभा विकास विद्यालयों की विशेषताओं का ब्यौरा?

उप मुख्यमंत्री : (क) राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय वर्ष 1997 में शुरू किये गये। वर्तमान में 20 राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय चल रहे हैं। जिनमें से 3 (तीन) राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय इसी सत्र (वर्ष) शुरू किये गये हैं। इन विद्यालयों की सूची आरम्भ करने के सत्रानुसार संलग्न है। आगे वर्षों में भी जमीन उपलब्ध होने पर और अधिक राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय खोले जायेंगे।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग)

1. यह विशेष श्रेणी के विद्यालय हैं।
2. छठीं, नवमीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के दाखिले प्रवेश परीक्षा के द्वारा होते हैं।

3. प्रति सेक्शन में 35 विद्यार्थियों का ही दाखिला होता है।
4. आधारिक संरचना, बुनियादी सुविधाएं उत्तम श्रेणी की होती हैं।
5. इसके लिए अध्यापकों का चयन शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों से ही साक्षात्कार प्रक्रिया से होता है।
6. गुणवत्ता उन्मुख परिणाम होते हैं।

राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों की सूची :–

स्थापना सत्र		स्थान (लोकेशन)
1997	1.	सूरजमल विहार
	2.	पश्चिम विहार
	3.	सेक्टर–11, रोहिणी
2001	1.	शालीमार बाग
	2.	यमुना विहार
	3.	वसंत विहार
	4.	हरि नगर
	5.	करोलबाग लिंकरोड
	6.	त्यागराज नगर, लोधी रोड
	7.	किशन गंज

स्थापना सत्र		स्थान (लोकेशन)
2002—04	1.	सेक्टर 10, द्वारका
	2.	गांधी नगर
	3.	नंदनगरी
	4.	लाजपत नगर
2007—08	1.	राजनिवास मार्ग
	2.	सिविल लाइंस
	3.	नरेला
2017—18	1.	आई.पी. एक्सटेंशन
	2.	सेक्टर 19, द्वारका
	3.	सेक्टर 21, रोहिणी

18. **श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आनंद विवाह (संशोधन) अधिनियम 2012 को दिल्ली में लागू न किए जाने के कारण;

(ख) क्या सरकार का इस अधिनियम को दिल्ली में लागू किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसे लागू करने के लिए उठाए गए कदम;

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण; और

(ङ) यह अधिनियम कब तक लागू हो जाएगा?

विधि न्याय तथा विधायी मामले में विधि मंत्री : (क) से (घ) आनंद विवाह (संशोधन) अधिनियम, 2012 को दिल्ली में लागू किए जाने की प्रक्रिया जारी है।

(ङ) आवश्यक औपचारिकताओं एवं माननीय उपराज्यपाल दिल्ली की स्वीकृति के उपरांत दिल्ली राजपत्र में इसे प्रकाशित किया जाएगा।

19. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 500 नए विद्यालय खोलने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने वाले प्रस्तावित विद्यालयों की संख्या;

(ग) ये विद्यालय खोलने के लिए अधिगृहीत भूमि का ब्यौरा व इसके लिए निर्धारित लक्ष्य;

(घ) जिन क्षेत्रों में विद्यालय निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है वहां क्या विकल्प तलाशे जा रहे हैं; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि नई कक्षाओं के खोलने को नए विद्यालयों का खुलना बताया जा रहा है?

उप मुख्यमंत्री : (क) सरकार दिल्ली के हर बच्चे को सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार

दिल्ली में अधिक से अधिक नये विद्यालय खोलने की, और चल रहे विद्यालय में यथासंभव नये कमरे बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कुछ विद्यालयों को डबल शिफ्ट भी किया जा रहा है।

(ख) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता अत्यंत न्यून है। तथापि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधिकार वाली 2693 स्कवेयर मीटर जमीन लेकर क्षेत्र में और सरकारी स्कूल खोलने का प्रयास किया जायेगा।

(ग) उपरोक्त।

(घ) जिन क्षेत्रों में विद्यालय निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध नहीं है, वहां वर्तमान विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षायें बनाने का प्रावधान किया जा रहा है।

8000 नई कक्षाओं का निर्माण लगभग पूर्ण हो गया है। उसके उपरांत 10000 नई कक्षाओं का निर्माण किया जाएगा। इनके अतिरिक्त भूमि उपलब्धता के आधार पर नये विद्यालयों का निर्माण का प्रयास भी किया जा रहा है।

(ङ) छात्रों को विद्यालय की सुविधा, नये विद्यालय भवन में मिले अथवा वर्तमान विद्यालय में ही नये कमरे में मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को तो स्कूल चाहिये और सरकार गर्व से कह सकती है कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने की ओर अग्रसर है।

20. श्री एस.के. बग्गा : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बाढ़ की स्थिति को रोकने के लिए उठाए गए कदम;

(ख) बाढ़ राहत उपायों में लगाए जाने के लिए उपलब्ध कर्मचारियों की संख्या;

(ग) बाढ़ के खतरों के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए उठाए गए कदम;

(घ) क्या यह सत्य है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए कर्मचारियों को अनुबंध पर लिया जाता है;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे अनुबंधित व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या तथा उनके अनुबंध की अवधि; और

(च) इन अनुबंधित कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक का श्रेणीवार ब्यौरा?

उप मुख्यमंत्री : (क) इस विभाग द्वारा दिल्ली में बाढ़ सम्बंधित जानकारी देने के लिए एक केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है जो कि पूर्वी जिला, जिला मजिस्ट्रेट की देख रेख में कार्य करता है, तथा इसके अलावा 15 वायरलेस स्टेशनों की अलग अलग साइटों में स्थापना की गयी है। इस विभाग के पास 160 पंप, पानी बढ़ने की स्थिति में पानी की निकासी के लिए हैं, जो कि जरूरत पड़ने पर लगाए जाते हैं। विभाग के पास खाली सीमेंट बैग, पत्थर, वायर क्रेट रस्सी, बल्ली और नाव पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया गया है जो जरूरत पड़ने पर प्रत्येक साईट पर लगाया जाता है।

(ख) इस कार्य के लिए विभाग द्वारा विभाग के सभी कनिष्ठ अभियंता,

सहायक अभियंता व सभी वर्क चार्ज साइट कर्मचारियों के अलावा 32 वायरलैस ऑपरेटरों को लगाया गया है। जो कि 24 घंटे बाढ़ की स्थिति की जानकारी देते रहते हैं।

(ग) जनता को जागरूक करने हेतु कार्य राजस्व विभाग/जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है।

(घ) इस विभाग द्वारा अनुबंध पर कोई कर्मचारी को नहीं लगाया गया है।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता है।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

01. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन हेतु अपनाई जाने वाली ऑनलाइन प्रक्रिया के अत्यंत जटिल होने की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसे सरल बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं। अधिकतर अभिभावक सुगमता पूर्वक इस प्रक्रिया के अंतर्गत अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने में सफल रहे। इस प्रक्रिया से एडमिशन में अभिभावकों के समय तथा छात्रों की पढ़ाई के समय की भी बचत हुई है। इस प्रक्रिया से 02/08/2017 तक छठी में 2,05,425 तथा नवमीं में 3,09,923 छात्र प्रवेश लेने में सफल रहे।

ऑनलाइन प्रक्रिया का लाभ छात्रवृत्ति देने में भी हुआ है। पिछले वर्ष तक छात्रों का विवरण लेने एवं छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया में 7–8 महीने निकल जाते थे। इस वर्ष आनलाइन के कारण 10.95 लाख बच्चों को जून माह तक छात्रवृत्ति मिल चुकी थी। विलंब से प्रवेश के मामले में सीधे स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया का भी प्रावधान किया गया है।

कुछ अभिभावकों से जिनके बच्चों को मनपसंद विद्यालयों का आवंटन नहीं मिल पाया, शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार की शिकायतों के निवारणार्थ जोन स्तर पर जोनल शिकायत समाधान समिति का गठन किया गया है। जिसमें जोन स्तर के वरिष्ठ अधिकारी, जोन के दो प्रधानाचार्य तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल हैं।

(ख) उक्त शिकायतों के निवारणार्थ इस समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है।

(ग) इससे संबंधित प्रपत्र संलग्न[1] है।

---

1. delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

Government of National Capital Territory Delhi
Directorate of Education : School Branch
Old Secretariat : Delhi-110054

No. DE. 23 (363)/Sch. Br./2017/1034 Dated : 18/05/2017

CIRCULAR

Sub : Transfer of Students' w.e.f. Academic Year 2017-18.

There will be two different mechanisms for transfer of students from one school to another :

A. A Grievance Redressal Committee is being consituted at the Zonal and District level to look into the issues pertaining to admission (online & manual) and transfer to Students within the Schools of Directorate of Educatioin, for admissions done w.e.f. academic year 2017-18.

The redressal and resolution of issues pertaining to the admission and transfer of students of Classes Nursery to XII will be 3 layered - first, at the Zonal Level, second at the District Level and if any issue still remains unresolved, the Regional Director of Education of the respective District will act as Appellate Authority for its final resolution.

The constitution of committee will be as under :

- Committee at Zonal Level : DDE (Zone) with 2 Heads of Schools of concerned Zone.
- Committee at District Level : DDE (District) with all DDEs (Zone) and 2 Heads of Schools of the concerned District.

- Committee at Regional Level: RDE along with DDE (District), all DDEs (Zone) of the concerned Region.

For transfer of students of Classes VI & IX under online Non-Plan Admission :

- As Plan Admissions of Classes VI & IX are already completed, no further plan admission will be done.
- In case the gender of a student is erroneously fed, online, that has to be corrected. Accordingly, the school of the student should also be changed/allotted as per the corrected gender.
- Not more than 10% of the total online admissions will be altered by Grievance Committee. Priority will be given to the following categories :
  - ➢ The students falling in the specially abled category (divyangjan).
  - ➢ A student suffering from chronic illness.
- While adjusting/transferring students due care is to be taken to ensure that NO STUDENT is adjusted in the enclosed list of Schools, at Annexure A.
- A student, who has been admitted under plan admission & whose student ID has been created shall not be considered for non-plan admission even if he/she has been allotted a School under non-plan admission through online process. Such a student shall continue in School allotted in Plan Admission.

- A student, who has not taken admission under plan-admission in designated parent School and have been allotted a School under online non-plan admission, will only be considered for online non plan admission. In no circumstances, he/she will be considered under plan admission, as plan admissions are already over.

- The committees will act in the best interest of the student. However, due care will be taken so that the Student Classroom Ratio (SCR)/Pupil Teacher Ratio (PTR) of particular high enrolment Schools within a cluster is not distorted i.e., SCR should remain, more or less constant, within the cluster.

The link for correction of online entries of Classes VI & IX will be available at DDE (District) level only. The correction shall be done only after physical verification of all other entries with relevant documents.

The last date for online non-plan admission for Classes VI & IX has been extended.

B. Online transfer of students other than those admitted w.e.f. the current academic year :

- The link for online transfer of students from one Government School to another Government School due to change of residence/School (feeder to parent/RPVV) is open.

- The Heads of Govt. Schools are directed process the applications of the parents/guardians of the students in

respect of transfer of their wards after proper verification.

- The students admitted under plan or non-plan admission in the current session 2017-18 will not be considered for transfer by the Heads of Schools. This will be dealt by the Grievance Committee constituted for this purpose.

No issue pertaining to online transfer of students (except Science & Commerce streams of Classes XI and XII) will be sent to the School Branch (HQ).

This issues with prior approval of the Competent Authority.

(Dr. (Mrs.) Sunita S. Kaushik)

Addl. DE (Schools)

Encl : As above

DE. 23 (363)/Sch.Br./2017/1034 Dated : 18/05/2017

All Heads of Govt. Schools under Directorate of Education through DEL-E.

Copy to :

1. PS to Secretary (Education).
2. PS to Director (Education).
3. All RDEs, DDEs (District/Zone) to for information.
4. Programmer (MIS) for uploading on MIS.
5. Guard File.

DDE (Schools)

Government of National Capital Territory Delhi
Directorate of Education : School Branch
Old Secretariat : Delhi-110054

No. DE. 23 (363)/Sch. Br./2017/1160-1164 Dated : 29/05/2017

CIRCULAR

Sub : Transfer of Students w.e.f. Academic Year 2017-18.

In continuation of circular no. DE.23 (363)/Sch.Br./2017/1034 dated 18.05.2017 on the subject cited above, one SMC member needs to be included in the Grievance Redressal Committee constituted at Zonal Level for transfer of students from one school to another.

All DDEs (District) under Directorate of Education are requested to re-constitute Grievance Redressal Committee at Zonal Level including one SMC member in each zone, under his/her jurisdiction i.e. DDE (Zone), 2 Heads of Schools and 1 SMC Member of concerned zone.

This issues with prior approval of the Competent Authority.

DDE (Schools)

DE.23 (363)/Sch.Br./2017/1160-1164 Dated : 29/05/20

All DDEs (District) of Directorate of Education through DEL-E.

Copy to :

1. PS to Secretary (Education).
2. PS to Director (Education).
3. All RDEs, DDEs (Zone) for information.
4. Programmer (MIS) for uploading on MIS.
5. Guard File.

OSD (Schools)

Government of National Capital Territory Delhi
Directorate of Education : School Branch
Old Secretariat : Delhi-110054

No. DE. 23 (363)/Sch. Br./2017/1301 Dated : 09/06/2017

CIRCULAR

Sub : Transfer of Students' w.e.f. Academic Year 2017-18.

In reference to circular no. DE.23 (363)/Sch.Br./2017/1034 dated 18-05-2017 regarding the above mentioned subject, it has been observed that applications for redressal in regard to transfer to students are not being received at the zonal level and also a number of cases are being sent to the Head Quarters (School Branch) for refressal. However, DDE (Zone) has been empowered at their level for the same.

In view of the above, all the DDE (Zones) are informed to comply with the following guidelines :

- Zonal redressal committees at the zonal level needs to meet regularly atleast once a week.
- All the applications for redressal shall be received at the zonal level and a proper diary number is to be assigned to all the applications.
- DDEs (District) need to monitor the compliance of the above by all the DDE (Zones) in their respective districts.

This issues with prior approval of the Competent Authority.

(Dr. (Mrs.) Sunita S. Kaushik)

Addl. DE (Schools)

No. DE. 23 (363)/Sch.Br./2017/1301 Dated : 09/06/2017

All DDEs (Zones) of Directorate of Education through DEL-E.

Copy to :

1. PS to Secretary (Education).
2. PS to Director (Education).
3. All RDEs/DDEs (District/Zone).
4. Programmer (MIS) for uploading on MIS.
5. Guard File.

DDE (Schools)

Government of National Capital Territory Delhi
Directorate of Education : School Branch
Old Secretariat : Delhi-110054

No. DE. 23 (363)/Sch. Br./2017/1450 Dated : 03/07/2017

CIRCULAR

Sub : Meeting of the Zonal Redressal Committee (ZRC) for Online Admission & Transfer.

In reference to circulars no. DE. 23 (363)/Sch.Br./2017/1034 dated 18.05.2017, DE. 23 (363)/Sch.Br./2017/1160-1164 dated 29.05.2017 and DE. 23 (363)/Sch.Br./2017/1301 dated 09.06.2017 regarding online admissions and transfers of the students, it has been observed that the weekly meeting of Redressal Committee are not being held regularly. Therefore, it is further reiterated that :

- Zonal Redressal Committees at the Zonal Level must meet regularly atleast once a week and all the grievances of the students must be redressed timely.
- All the committee members to be intimated to participate in the weekly ZRC meeting.
- DDEs (Zone) shall ensure that the SMC members in the zonal level Grievance Redressal Committee are as per the enclosed zone wise list of SMC members and also ensure that all the members of this committee are informed well in advance to attend the meeting **every week.**

- DDEs (District) shall ensure the compliance of the above by all the DDEs (Zone in their respective districts.
- A poster (enclosed) must be displayed at a suitable place near the school main gate.

This issues with prior approval of the Competent Authority.

DDE (Schools)

Encl : Circulars as above,

DE. 23 (363)/Sch.Br./2017/1450 Dated : 03/07/2017

All the DDEs (Zone) of Directorate of Education through DEL-E.

Copy to :

1. PS to Secretary (Education).
2. PS to Director (Education).
3. All RDEs, DDEs (District) to ensure compliance.
4. Programmer (MIS) for uploading on MIS.
5. Guard File.

OSD (Schools)

List of SMC Members (Zone Wise)

Zone No.	SMC member	Conatct	School ID
1	2	3	4
1.	Achla Sikka	9871227132	1001106
2.	Ranjana Prasad	9873249119	1002037
3.	Rajesh Jain	9718779707	1001110
4.	Mohd. Saleem	9811713547	1104420
5.	Md. Yunus	9899291209	1105017
6.	Neetu Rani	9211955016	1106123
7.	Gunjan Grover	9555643643	1207036
8.	Pankaj Gaur	9210093830	1208004
9.	Ajay Gupta	8860760099	1309125
10.	Akhil bansal	9136849594	1310206
11.	Seema Dolly	9899787646	1411124
12.	Surendra hoods	8700714849	1412253
13.	Alankar Jain	9971707210	1413023
14.	D.P. Vashisht	9868039125	1310017
15.	Sonu	9810489445	1923071
16.	Sabir Husain	9313869535	1516022

1	2	3	4
17.	Leena Kapoor	9899877852	1617027
18.	Neetu Mattas	9873637120	1618316
19.	Mr. Santosh	7503215415	2026003
20.	Ms. Amita	7428859323	1720022
21.	Satish Kumar Dhankhar	9910090444	1821234
22.	Madhuri Varshney	9810073128	1821031
23.	Poonam singh	9654120033	1923050
24.	Yogesh Khari	9873778767	1923355
25.	Tanveer Ahmad	9717147616	1925002
26.	Sachin Kumar	9891573054	1924188
27.	Mehtab 'Raahi'	9650515135	2127004
28.	Ms. Renu	9810819549	2128032
29.	Usha Yagnik	9810667585	1925404

विद्यालय का नाम : ....
....

जन सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा अभिभावकों की छात्रों के ऑनलाइन प्रवेश संबंधी आवेदनों/शिकायतों के निवारणार्थ जोन—स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है।

जोन—स्तर की समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं :

- उप शिक्षा—निदेशक (जोन)
- जोन के दो विद्यालय प्रमुख
- एक विद्यालय प्रबंधन समिति का सदस्य

उपरोक्त समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह होती है।

सभी अभिभावक अपनी शिकायतों के निवारणार्थ प्रार्थना—पत्र संबंधित विद्यालय प्रमुख के पास जमा करा सकते हैं।

जोन का पता : ....
....

(प्रधानाचार्य)

Government of National Capital Territory Delhi
Directorate of Education : School Branch
Old Secretariat : Delhi-110054

No. DE. 23 (363)/Sch. Br./2017/1550 Dated : 05/07/2017

CIRCULAR

Sub : Handling of Admission & Transfer cases by Zonal Redressal Committee (ZRC) for Academic Session 2017-18.

In reference to circulars No DE 23 (363)/Sch.Br./2017/1034 dated 18.05.2017, No. DE. 23 (363)/Sch.Br./2017/1160-1164 dated 29.05.2017, DE. 23 (363)/Sch.Br./2017/1301 dated 09.06.2017 and No. DE. 23 (363)/Sch. Br./2017/1450 dated 03.07.17, all the DDEs (District & Zone) were directed to handle the grievances regarding online non plan admissions of classes VI & IX and transfer cases of the students. However, it has been observed that many such cases are lying still pending. Therefore, it is reiterated to deal with all such cases promptly and also comply with the below given guidelines :

- All the genuine cases of transfer of classes Nursery to IX and XI (Humanaties & Voacational) should be taken up for necessary action in time.
- On line Non Plan Admission cases of classes Nursery, KG, First, VI, IX and XI must also be resolved in weekly meetings of Zonal Redressal Committee on priority.
- The students who have been allotted schools online Non-Plan Admission in first phase and could not take admission

due to any reason, the Zonal Redressal Committee will condone delay and ensure the admission of such cases in the respective allotted school.

- All the issues related to admissions and transfers of students other than mentioned above will also be addressed in the Zonal Redressal Committee on the basis of genuineness & merit of the cases. However, transfer of classes X, XI (Science & Commerce) and XII will be forwarded to School Branch.

- Issues regarding admission of Vishwas Group will also be addressed in this committee. The Online Module is being developed for admission of the students of Vishwas Group who have qualified class X Examination. The SLC of Vishwas Group Students will be issued by Principal Patrachar Vidyalaya, Shalimar Bagh.

- Cases regarding corrections related with the name and address of online Non-Plan Admission registration form are also to be dealt at District Level.

- The link for corrections and transfers of the students approved by Zonal Redressal Committee is provided at the District Level.

For Correction go to Student Module – Student – Non Plan Admission – Non Plan Admission Update for VI to IX (2017-18).

For transfer go to Student Module – Student – SLC – Request

- DDEs (Zone) will submit the weekly report to the concerned RDE. RDEs will submit the compiled report of the reason to School Branch at fortnightly basis through e-mail in excel sheet as per following format :

Region-................

Period (week)	Zone	District	No. of Cases Received	No. of Cases resolved	No. of Cases Pending

(Dr. (Mrs.) Sunita S. Kaushik)

Addl. DE (Schools)

DE. 23 (363)/Sch.Br./2017/1550 Dated : 05/07/2017

All DDEs Zone of Directorate of Education through DEL-E.

Copy to :

6. PS to Secretary (Education).
7. PS to Director (Education).
8. All RDEs, DDEs (District) to ensure compliance.
9. Programmer (MIS) for uploading on MIS.
10. Guard File.

(Tapeshwar)

DDE (Schools)

02. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में कॉन्ट्रेक्ट–बेस पर सूचना प्रौद्योगिकी सहायक कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली सरकार द्वारा इन सूचना प्रौद्योगिकी सहायकों को स्थाई करने की कोई योजना है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इन पदों का नियमित आधार का सृजन किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इसका पूरा ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में दिल्ली सरकार की कंपनी INTELELLIGENT COMMUNICATION SYSTEMS INDIA LIMITED (ICSIL) से आउटसोर्स किए गए हैं।

(ख) आउटसोर्स किये गये कर्मचारियों के लिए वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) 430 सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के पद सृजन से संबंधित पत्र प्रशासनिक सुधार विभाग दिल्ली सरकार को 12/05/2017 को भेजा गया है।

03. श्री विजेन्द्र गर्ग : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा–9 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों की 'इंग्लिश–रीडिंग' सुधारने के लिए, क्या उन स्कूलों में इंग्लिश न्यूज पेपर उपलब्ध करवाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों की इंग्लिश रीडिंग सुधारने के लिये स्कूलों में अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र पुस्तकालय (लाइब्रेरी) में उपलब्ध रहता है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

04. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि शिक्षा निदेशालय द्वारा 18 जनवरी 2016 को 9623 अध्यापकों की भर्ती के आदेश जारी किये गये थे;

(ख) क्या यह सत्य है कि इनकी भर्तियां अब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा न न करके ई.डी.सी.आई.एल. इंडिया प्रा. लि. द्वारा की जायेगी;

(ग) उपरोक्त 9623 अध्यापकों की भर्ती के आदेश स्थायी अध्यापकों की या गेस्ट टीचर्स की भर्ती के लिए था;

(घ) भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) यह प्रक्रिया कब तक प्रारंभ की जाएगी;

(च) भर्ती किए जाने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(छ) भर्तियां कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

उप मुख्यमंत्री : (क) शिक्षा निदेशालय द्वारा 9623 नये पदों को सृजित करने का आदेश दिनांक 18/01/2016 को जारी किया गया था।

(ख) वर्तमान स्थिति के अनुसार ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा भरे जायेंगे।

(ग) उपरोक्त के अनुसार दिनांक 18 जनवरी, 2016 का आदेश 9623 नए पदों के 'सृजन' के लिए था।

(घ) 8298 पद जो सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने हैं, उनके लिये मांग पत्र दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजा जा चुका है।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

(च) उपरोक्तानुसार।

(छ) उपरोक्तानुसार।

05. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने 500 नए विद्यालय खोलने का वायदा किया था;

(ख) यदि हां, तो राजोरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में कितने स्कूल खोलने का विचार है;

(ग) इन स्कूलों को खोलने के लिए कितने स्थल पर भूमि अधिग्रहण कर ली गई है;

(घ) कितने विद्यालयों के लिए भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य है; और

(ङ) स्कूल निर्माण की योजना, बजट, कार्यस्थिति और भूमि अधिग्रहण का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) सरकार दिल्ली के हर बच्चे को सरकारी विद्यालय में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। सरकार दिल्ली में अधिक से अधिक नये विद्यालय खोलने की, और चल रहे विद्यालय में यथासंभव नये कमरे बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। कुछ विद्यालयों को डबल शिफ्ट भी किया जा रहा है।

(ख) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में रघुबीर नगर, एन–ब्लाक, जे. जे. कालोनी में शिक्षा विभाग को आबंटित खाली पड़ी भूमि पर नया विद्यालय खोलने का प्रावधान है।

(ग) रघुबीर नगर जो राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में आता है, में एन–ब्लाक, जे.जे. कालोनी में डी.यू.एस.आई.बी. से विद्यालय भवन खोलने के लिये जमीन आबंटित हुई है।

(घ) भूमि अधिग्रहण, भूमि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

(ङ) डी.यू.एस.आई.बी. से पक्के विद्यालय के निर्माण हेतु 11.45 करोड़ रुपए की लागत का प्रारंभिक अनुमान शिक्षा निदेशालय को प्राप्त हुआ। डी. यू.एस.आई.बी. को भवन डिजाइन स्वीकृति प्राप्त होने पर प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति दी जाएगी।

06. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने मिड–डे–मील योजना

में वितरित किया जाने वाला भोजन गुणवत्ता के आधार पर खरा नहीं उतरता है, इसका विवरण दें;

(ख) क्या यह सत्य है कि मिड–डे–मील योजना का क्रियान्वयन हर पहलू से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तथा वितरण में कुप्रबन्धन को दूर करने हेतु सरकार प्रयत्न कर रही है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार कर्नाटक तथा तमिलनाडू जैसे उच्च श्रेणी मिड–डे–मील योजना क्रियान्वयन वाले राज्यों की बैस्ट प्रैक्टिसिस का अध्ययन कर ऐसी योजना दिल्ली के विद्यालयों में क्रियान्वित करने पर विचार कर रही है?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। दिल्ली में मिड–डे–मील की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये समय–समय पर मिड–डे–मील की जांच अधिकृत एजेंसी द्वारा कराई जाती है। यदि मिड डे मील में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है।

(ख) मध्यान्ह भोजन योजना (मिड–डे–मील) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाता है एवं उसके निर्देशों के अनुसार योजना में सुधार करने का प्रयास किया जाता है।

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में स्कूल मिड–डे–मील कमेटी का गठन किया गया है।

इसके अलावा शिक्षा निदेशालय में मध्यान्ह भोजन योजना को बेहतर ढंग से लागू कराने एवं गुणवत्ता की जांच के लिए M/s. FICCI Research & Analysis Centre के साथ फरवरी, 2016 से अनुबंध किया हुआ है। जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्लायर्स के चार सेम्पल प्रति माह टेस्ट करने का आदेश दिया गया है। जिनमें से तीन सेम्पल स्कूल से और एक सेम्पल किचिन से होता है।

(ग) उपरोक्त उत्तर (क) के अनुसार।

(घ) सरकार इस संबंध में विभिन्न राज्यों की बैस्ट प्रैक्टिसिस पर निरंतर नजर रख रही है।

07. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशालय में कितने शिक्षकों, प्रधानाचार्य तथा स्पेशल एजुकेटर के नियमित पद रिक्त हैं;

(ख) पिछले दो सालों में कितने नियमित शिक्षकों की भर्ती की गई है;

(ग) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने पिछले दो वर्षों में नियमित अध्यापकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकालकर पद भरने की प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं की है;

(घ) क्या सरकार नए पदों को भरने पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठा रही है; पूर्ण विवरण दें; और

(च) सरकार गैस्ट टीचर्स को नियमित भर्ती में किस प्रकार की छूट अथवा प्राथमिकता देने जा रही है?

उप मुख्यमंत्री : (क) शिक्षा निदेशालय में कुल रिक्त पद 9093 हैं। इनमें 165 स्पेशल एजुकेटर टीचर एवं 573 प्रधानाचार्य हैं।

स्वीकृत पद	– 60804 हैं।
इसमें सीधी भर्ती द्वारा भरे हुए पद	– 33853 हैं।
17858 पदों पर अनियमित शिक्षक कार्य कर रहे हैं	
कुल रिक्त पद	– 9093

696 स्कूलों में उप प्रधानाचार्य, हेड आफ स्कूल का कार्य देख रहे हैं।

(ख) पिछले दो सालों में 5252 पदों पर भर्ती की गई है। जिसमें 3966 सीधी भर्ती दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा एवं 1286 पदोन्नति द्वारा की गई है। लगभग 9000 पी.जी.टी. के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। 8298 शिक्षकों की भर्ती के लिये दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को मांग पत्र भेजा जा चुका है।

(च) अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान दिया गया है। कार्य अनुभव को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

08. **श्री जगदीश प्रधान** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने अपने प्रधानाचार्यों, शिक्षकों

को प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए हार्वर्ड, कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड जैसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने प्रधानाचार्यों, शिक्षकों को प्रोफेसनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के विभिन्न स्थानों पर स्थित संस्थानों में ट्रेनिंग हेतु भेजने की योजना बनाई थी;

(ग) यदि हां, तो कितने अध्यापकों को अब तक ट्रेनिंग पर भेजा गया, चालू वित्तीय वर्ष में कितने अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार ने इस स्कीम के लिए इस चालू वित्त वर्ष में बजट आबंटित किया है;

(ङ) यदि हां, तो इसमें से कितनी राशि अब तक खर्च की जा चुकी है; और

(च) ऐसे प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में क्या लाभ देखने को मिला, विस्तृत जानकारी दें?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा अपने प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों को प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रशिक्षण हेतु विश्व स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) जी हां, विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों को आई.आई.एम. लखनऊ एवं अहमदाबाद भेजा गया है।

(ग) (1) प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिये 82 स्कूल प्रमुखों को केम्ब्रिज भेजा गया था। 150 विद्यालय प्रमुखों को आई.आई.एम. अहमदाबाद एवं आई.आई.एम., लखनऊ भेजा गया है।

चालू वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम :

(1) हावर्ड के लिये 100 विद्यालय प्रमुख/कर्मचारियों का यात्रा कार्यक्रम

(2) फिनलेंड के लिये 60 शिक्षक/कर्मचारियों का यात्रा कार्यक्रम

(3) सिंगापुर के लिये 100 शिक्षक/कर्मचारियों का यात्रा कार्यक्रम

(4) आई.आई.एम. अहमदाबाद/आई.आई.एम., लखनऊ में 979 विद्यालय प्रमुखों के लिए कार्यक्रम प्रक्रियाधीन है।

(5) 110 अधिकारी/विद्यालय प्रमुख तीन समूहों में सिद्ध मसूरी, संस्कृति आनंदग्राम और शिलांग–बाग शिमला भेजे गये।

(6) शैक्षणिक संवर्धन के लिए तीन अधिकारियों को मॉस्को भेजा गया।

(7) जीवन विद्या प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अधिकारियों, शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों को रायपुर छत्तीसगढ़ एवं हापुड़ भेजा गया।

(8) दो समूहों में 35 डी.डी.ई. को प्रशिक्षण के लिए सिद्ध मसूरी तथा 30 डी.डी.ई. को झुनझुनु, राजस्थान भेजा गया।

(9) 100 मैंटर टीचर्स हेतु कार्यक्रम मुम्बई, बैंगलूरू, अहमदाबाद एवं जयपुर में आयोजित हुए।

(10) 1200 पी.ई.टी. बाबा रामदेव आश्रम हरिद्वार में योग प्रशिक्षण प्राप्त किया।

(घ) जी हां।

(ङ) रुपये 4,06,07,12/–

(च) प्रधानाचार्यों के प्रेरक नेतृत्व से विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली।

09. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विद्यालयों में सेवारत टी.जी.टी. की अपने विषय (यथा गणित, विज्ञान या अंग्रेजी) के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में पी.जी.टी. के लिए पदोन्नति की स्थिति में किसी लिखित परीक्षा का प्रावधान है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अन्तर्गत विद्यालयों में सेवारत टी.जी.टी. अपने विषय (यथा गणित, विज्ञान या अंग्रेजी) के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले लेने की स्थिति में उस अन्य विषय में पी.जी.टी. के लिए अर्ह मान लिया जाता है;

(ग) क्या पदोन्नति की इस व्यवस्था के छात्रों और शिक्षा के स्तर पर शिक्षाशास्त्रीय (Pedagogical) दृष्टि से पढ़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि टी.जी.टी. और पी.जी.टी. के सीधे चयन की प्रक्रिया में उनके विषय में ज्ञान और शिक्षण कौशल की लिखित परीक्षा होती है;

(ङ) यदि हां, तो टी.जी.टी. (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) के अपने विषय (यथा गणित, विज्ञान या अंग्रेजी) के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में पी.जी.टी. पदोन्नति होने की स्थिति में विषय के ज्ञान और पी.जी.टी. वाले विषय में शिक्षण कौशल को सुनिश्चित करने के लिये लिखित परीक्षा का प्रावधान क्यूं नहीं है; और

(च) क्या किसी दूसरे विषय में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेकर पी.जी.टी. बनने की यह सुविधा हिंदी और संस्कृत के टी.जी.टी. को भी उपलब्ध है;

(छ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं। पदोन्नति की प्रक्रिया 1975 के दिल्ली गजट रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार की जाती है।

(घ) जी हां, होती है।

(ङ) वर्तमान भर्ती नियमों में पदोन्नति के समय लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है। विभाग पी.जी.टी. की पदोन्नतियां 1975 के भर्ती नियमों (रिक्रूटमेंट रूल्स) के अनुरूप करता है। इन नियमों में पदोन्नति के समय लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है।

(च) जी नहीं।

(छ) अन्य विषयों के वर्तमान भर्ती नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है।

10. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2012—13 से 2016—17 तक कितने स्कूल भवनों में वार्षिक आधार पर पुताई और छोटी मोटी मरम्मत का कार्य किया गया, इसका वर्षवार विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) वर्ष 2012—13 से 2016—17 तक भवनों में वार्षिक आधार पर पुताई और छोटी—मोटी मरम्मत का कार्य किया गया है। इसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :

वर्ष	विद्यालयों की संख्या
2012—13	117
2013—14	243
2014—15	288
2015—16	323
2016—17	446

वर्ष 2017—18 में दिल्ली सरकार के सभी विद्यालयों में पुताई और मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है।

11. श्री पंकज पुष्कर : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा स्किल्ड मेनपॉवर की उपलब्धता बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ल्ड क्लास स्किल सैंटर शुरू किए गए हैं;

(ख) यदि हां तो वर्ल्ड क्लास सैंटर्स में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक बैच छात्रों की माह और वर्ष अनुसार की संख्या क्या है;

(ग) इनमें प्रवेश पाने वाली छात्राओं की संख्या;

(घ) माह और वर्ष अनुसार प्रत्येक बैच में उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक प्रतिशत;

(ङ) माह और वर्ष अनुसार पहले बैच से प्रत्येक बैच के प्लेसमैंट के योग्य छात्रों की संख्या;

(च) फैकल्टी पोजीशन की स्वीकृत संख्या; और

(छ) भरे गई फैकल्टी पोजीशन का विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां। विश्व स्तरीय कौशल केंद्र, आई.टी.आई. विवेक विहार 1040 सीटों की क्षमता में चल रहा है, भविष्य के लिए जौनापुर में 5000 विद्यार्थियों का प्रावधान रखा गया है।

इसके अलावा सरकार 25 नए स्किल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने पर काम कर रही है।

(ख) बैच (1) – 174 (अगस्त 2013 से जुलाई 2014)

बैच (2) – 40 (मार्च 2014 से फरवरी 2015)

बैच (3) – 185 (अगस्त 2014 से जुलाई 2015)

बैच (4) – 70 (मार्च 2015 से फरवरी 2016)

बैच (5) – 207 (अगस्त 2015 से जुलाई 2016)

बैच (6) – 156 (मार्च 2016 से फरवरी 2017)

बैच (7) – 447 (अगस्त 2016 से जुलाई 2017)

बैच (8) – 322 (मार्च 2017 से फरवरी 2018)

बैच (9) – प्रवेश प्रक्रिया चालू है।

(ग) अगस्त 2013 से जुलाई 2014 – 64

मार्च 2014 से फरवरी 2015 – 16

अगस्त 2014 से जुलाई 2015 – 50

मार्च 2015 से फरवरी 2016 – 27

अगस्त 2015 से जुलाई 2016 – 65

मार्च 2016 से फरवरी 2017 – 43

अगस्त 2016 से जुलाई 2017 – 165

मार्च 2017 से फरवरी 2018 – 97

(घ) विवेक विहार स्थित WCSC में ट्रेनिंग ले रहे छात्रों द्वारा वर्षवार औसत प्राप्तांक निम्नवत है–

बैच (1) – 99.35%

बैच (2) – 100%

बैच (3) – 99.35

बैच (4) – 83.02%

बैच (5) – 98.34%

बैच (6) – 77.17%

(ङ) संस्थान से प्रशिक्षित सभी छात्र प्लेसमेंट के योग्य होते हैं।

(च) और (छ) यहां पर कुल 20 फैकल्टीज कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर रखने का प्रावधान है। यहां पर कॉन्ट्रेक्ट/डायवर्टिड कैपेसिटी के आधार पर, 18 फैकल्टी की व्यवस्था की गई है।

इसके साथ ही, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को समय–समय पर विजिटिंग फैकल्टी के रूप में रखा गया है।

साथ ही छात्रों के 'पर्सनेलिटी डेवलपमेंट' एवं 'पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स' के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों को भी संस्थान से जोड़ा गया है। जो नियमित रूप से आकर छात्रों को ट्रेनिंग देते हैं।

12. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कितने अध्यापकों की भर्ती की गई है;

(ख) कृपया ए.सी. 43 विधान सभा में दिल्ली सरकार के स्कूलों में तैनात किए गए अध्यापकों के नाम, पते और सम्पर्क नम्बर सहित पूर्ण विवरण दें;

(ग) वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद ए.सी. 43 विधान सभा में दिल्ली सरकार के स्कूलों पर कितना खर्चा किया गया है, स्कूल वार पूर्ण विवरण दें;

(घ) दिल्ली सरकार के विद्यालयों में कौन–कौन सी खेल सुविधाएं प्रदान की गई हैं और ए.सी. 43 विधान सभा में कौन सी खेल सुविधाएं प्रदान करने की योजना है;

(ङ) दिल्ली सरकार के स्कूलों में विधान सभा वार कितने अध्यापकों के पद रिक्त हैं;

(च) क्या दिल्ली सरकार की दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक स्कूलों को टेक ओवर करने की कोई योजना है?

उप मुख्यमंत्री : (क) 459 स्नातकोत्तर शिक्षक, 2160 टी.जी.टी., 1347 विविध श्रेणी (प्राइमरी, नर्सरी, पुस्तकालय अध्यापक आदि) अध्यापकों की भर्ती की गई है। इसके अतिरिक्त 14680 अतिथि अध्यापकों को पुनः लगाया गया है।

(ख) ए.सी. 43 में तैनात शिक्षकों के नामों की सूची संलग्न है।1

(ग) खर्च का मद स्पष्ट नहीं है। दिल्ली सरकार के विद्यालयों में विभिन्न मदों पर व्यय किया जाता है, जिनमें वेतन, भत्ते, भवन, निर्माण,

1. www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

साफ–सफाई, सिक्योरिटी, अनेक योजनागत व अन्य खर्चे शामिल हैं। अधिकांश मदों में खर्चा केन्द्रीय स्तर पर/संबंधित बजट हेड में डेबिट करके किया जाता है। अतः खर्चों का विधानसभा क्षेत्रवार पृथक ब्यौरा नहीं रखा जाता।

(घ) ए.सी. 43 के सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध खेल सुविधाओं की जानकारी संलग्न है।1

(ङ) विधान सभा क्षेत्रों के अनुसार की रिक्तियों का ब्यौरा रखना सम्भव नहीं क्योंकि सभी अध्यापकों का प्रारंभिक कार्यभार ग्रहण, पदोन्नति, स्थानांतरण इत्यादि केन्द्रीयकृत रूप से शिक्षा निदेशालय के मुख्यालय स्तर पर होता है। विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या परिवर्तनशील है क्योंकि वह विद्यार्थियों की संख्या, विद्यालयों की आवश्यकताओं, पदोन्नतियों, स्थानांतरणों, सेवानिवृत्ति आदि जैसे अनेक कारणों पर निर्भर करती है। अतः रिक्तियों की संख्या प्रायः विभागीय स्तर पर संचालित की जाती है, जो कि संलग्न है।1

(च) जी नहीं।

13. श्री विशेष रवि : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करोल बाग विधानसभा के 13 सरकारी स्कूलों में से नर्सरी इंग्लिश मीडियम कितने स्कूलों में चल रहा है; और

(ख) करोल बाग विधानसभा में इस साल कितने स्कूलों में नर्सरी इंग्लिश मीडियम शुरू करने का प्रावधान है?

1. www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

उप मुख्यमंत्री : (क) और (ख) करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में 13 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें सर्वोदय 05 हैं, जिनमें से 04 में नर्सरी कक्षा इस वर्ष से चल रही है। नर्सरी पाठ्यक्रम की भाषा का माध्यम, द्विभाषी (इंग्लिश व हिंदी) होता है।

14. श्री राजेश गुप्ता : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों से कितने अध्यापकों व प्रधानाध्यापकों के तबादले हुए हैं;

(ख) अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के तबादलों के क्या मानदण्ड हैं; और

(ग) क्या इन मामलों में सिंगल पेरेण्ट, विकलांग एवं गर्भवती महिला आदि के लिए सरकार कोई विशेष प्रावधान करने की नीति पर विचार कर रही है?

उप मुख्यमंत्री : (क) अध्यापकों के 169 और प्रधानाध्यापकों के 25 तबादले हुए हैं।

(ख) और (ग) प्रतिलिपि संलग्न है।1.

---

1. www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

Government of National Capital Territory of Delhi
Directorate of Education, Gazetted Officer Cell
Old Secretariat, Delhi-110054

F.No. 23/178/2017/Edn./GOC/6614-6621 Dated : 15/06/17

Order

In supersession of this office vide No. F. 23/178/2017/Edn./GOC/6185-6194 dated 02/06/2017, a Committee comprising of following members is hereby constituted for examining the transfer/posting cases in respect of Principals and Vice Principals of this Directorate as per guidelines enclosed herewith :

1. RDE (East)	-	Chairperson
2. RDE (South)	-	Member
3. DDE (North West B)	-	Member
4. DDE (West A)	-	Member

The Committee shall ensure that no school remains headless at any point of time and submit its recommendations to Gazetted Officer Cell (GOC) at least 10 days in advance for further appropriate action. Also in respect of re-employed principal and Vice Principal the Committee will send it's recommendation in advance subse quent to decision of RDE concerned regarding grant of re-employment.

The Committee will meet in first and third week of every month. The Committee will take written inputs from all other DDEs/RDEs,

and will adhere to the same, as far as possible, except, for inter District transfer.

This issues with prior approval of Director (Education).

(Ramesh Ram)

Assistant Director of Education (GOC)

F.No. 23/178/2017/Edn./GOC/6614-6621 Dated : 15/6/17

Copy for information and necessary action to :

1. PS to Secretary (Education).
2. PA to Director (Education)
3. PAs to all Spl./Addl. Directors (Education)
4. All RDEs, Directorate of Education.
5. All DDEs (District/Zones), Directorate of Education.
6. In-Charge, Computer Cell with the request to upload it on the website for information and n.a. by all concerned.
7. Guard File.

(RAMESH RAM)

Transfer Guidelines for Principal and Vice Principal

The transfer/posting in r/o Principal/Vice Principals will be done on the basis of recommendation of the committee constituted for the purpose. The committee shall comprise of two Regional Director (RDE East - RDE South) and two Deputy Director (DDE NW.-HB, DDE W-A However recommendations of committee shall be on the basis of following criteria/guidelines :

1. Since, Principal/Vice Principals are Group-A Gazetted Officers they shall be liable to be transferred/posted in any school throughout Delhi.

2. Newly recruited/promoted Principals/Vice-Principals will normally be first posted in 'Schools of Least Choice' and they will not be transferred before the completion of a minimum of 3 years of service. Howevr, they may be transferred to any school/office at any point of time on administrative reason or in the interest of students.

3. In case of direct recruits/promoted candidates being appointed during midsession, they may be adjusted where vacancy exists and in the beginning of the next academic session may be posted in 'Schools of Least Choice'.

4. In view of shortage of manpower and in order to streamline the posting of Principal and Vice Principal in all schools. It has been decided for posting of Principal and Vice Principal on the basis of enrolment of students as per following till the sufficient manpower available :

Enrolment of School	Principal	Vice Principal
Less than 1000	NIL	One
1001-1800	One Principal or One Vice Principal	
1801-3000	One	One
3001 and above	One	Two

Note : The above criteria is keeping in view the present circumstances and to ensure the smooth functioning of all achools with available manpower.

6. Retired Principal and Vice Principal consequent upon grant of re-employment shall not be posted in the same school.

7. Transfer request of Principal and Vice Principals shall be considered in the beginning of the academic session. In no circumstances except administrative ground/exigencies transfer of Principal and Vice Principal shall be affected after the end of 1st quarter of academic session.

8. The committee will ensure that no school remains headless at any point of time. A recommendation for posting of Principal/Vice Principal shall be submitted to GOC at least 10 days in advance.

9. The Constitution of the Committee will be changed from time to time.

Sd/-
(RAMESH RAM)

Assistant Director of Education (GOC)

Directorate of Education
GNCT of Delhi
Old. Sectt. New Delhi-110054

No. PS/DE/2017/204 Dated : 15.06.2017

Sub : Policy for Teachers' Transfer-Directorate of Education, GNCT of Delhi.

In partial modification of the policy guidelines for the posting of teaching staff under the Directorate of Education, Delhi circulated vide No. F. 30-1(13)/2004/AR/c00rd/15223-282 dated 26.06.2006, a modified transfer policy for teaching staff is being introduced to ensure equitable demand based distribution of teachers in schools. The main points of the transfer policy to regulate the transfers/postings of teachers working in the schools of the Directorate of Education, Government of NCT Delhi, are as under :

I. Premise

1. The transfer policy shall be applicable to all teaching posts which includes all categories of teachers i.e. PGTs, TGTs, Misc, Teachers etc.

2. Government Servants working on teaching cadre posts are lible to be posted anywhere in the National Capital Territory of Delhi, at any point of time.

3. Transfers can neither be claimed as a matter of right nor do these guidelines intend to confer any such right upon the teaching staff for posting at desired places.

4. While effecting transfers, the academic interest of the students shall be Supreme. The other dominant considerations in effecting transfers will be administrative exigencies/ ground and organizational reasons including the need to maintain continuity, uninterrupted academic scheduie and quality of teaching and to that extent, the individual interests/request shall be subservient.

5. Every teacher will be responsible for the accuracy and regular online updation of his/her credentials. In case, he/she notices any discrepancy, he/she can get it rectified by adopting due procedure after producing the relevant documents before the competent authority. He/she will be responsible for online updation of profile as and when any status in changed.

6. General transfers will be made only once a year. Online transfers shall normally take place at the beginning of the academic session and efforts will be made to post employees near their residence, as far as possible subject to availability of vacancies and administrative requirements. However, as the schools are located throughout Delhi, it may not always be possible to post the employees near their residence.

7. These instructions are to be treated as guidelines and do not propose to cover all exigencies and situations.

8. Not with standing anything contained in the policy, in case of administrative exigencies, the Director Education shall

be competent to transfer any teacher to any place, at any point of time.

II. Transfer Guidelines for Teachers

1. Minimum stay in a school for seeking transfer shall be two years. Ordinarlly, a teacher who has completed 02 years as on 31st March of the year in the present school be eligible for online transfer.

2. The option once availed and confirmed online shall be final and it can be changed only under the provisions of this policy.

3. The cap of two years is not applicable only, in case, a teacher wants to apply for transfer in the Schools of Urgent Requirement.

4. In schools, other than co-education schools, gentleman teachers will be posted in Boys schools and lady teachers in Girls schools as far as possible A lady teacher can only be posted to boys schools if she opts for the same.

5. If a teacher is going to retire within next one year, he/she should generally not be transferred unless the teacher himself/herself has sought transfer.

6. On initial appointment under Direct Recruitment of Promotion a teacher will be posted in the 'Schools of Urgent Requirement' compulsorlly for a minimum period of two years.

7. In case of direct recruits/promoted candidates being appointed during midsession they will ordinarlly be posted in 'School of Urgent Requirement'. Even if they have to be adjusted elsewhere, then in the beginning of the next academic session, they will be posted in the 'Schools of Urgent Requirement'.

8. A teacher on promotion shall not remain in the same school.

9. 'Schools of Urgent Requirement' will be identified on the basis of criteria of high SCR/high PTR/high enrolment/ difficult areas, subject to review by the Competent Authority from time to time.

10. In the case of Mutual Consent Transfers, both the teachers would have to apply compulsorlly online and should be of the same subject, category and gender (except in co-ed Schools where gender restriction is not applicable). Such a request would be considered only once in 2 years from both the individuals.

11. Teacher designated as NCC Officer will preferably be posted in Schools having same wing of NCC, as far as possible and subject to availability of vacancy. Howevery, the department reserves the right to put him/her in any school as per administrative requirements and interest of students. Any teacher who is designated as NCC officer must ensure that the concerned wing is refiected in his/her Employee Details and he/she fills choices only in schools where such

wing exists, However, in case there is no vacancy in the schools of choices then, the concerned teacher may be posted in any school where such NCC wing exists by dispensing with the distances criteria.

12. In case of transfer on surplus due to Post Fixation, the senior most teachers' in the particular category/subject as per date of joining in the particular school will be declared surplus, for posting in some other school. In case, senior most teacher in particular category/subject is going to retire from service within a year, then he will not be declared surplus, instead, the next senior most teacher i.e. one who is immediate junior to the senior most teacher by virtue of date of posting in the particular school, will be declared surplus for posting in some other school.

13. Relaxation may be possible only in the following cases :

    (i) Disabled teachers, only if the disability is more than 40% and same is incorporated in the Employee Details in MIS.

    (ii) Employee whose spouse/son/daughter has mental illness/specially abled (more than 40% disability), the reason given should be supported by documentary proof.

    (iii) Due to Marriage (female only), only if the marriage was held in the preceding one year from the last date of inviting applications for transfer.

(iv) Relaxation to females may also be possible in following cases :

(a) Female employee whose husband is in All India Services/Armed Forces and posted out of Delhi.

(b) Widow/deserted/divorced female teachers.

(v) On Medical Ground, the teachers suffering/undergoing treatments for following diseases will be considered, on the basis of Medical certificate of Govt. Hospitals only :

(a) Neuro-surgery.

(b) Cardiac Surgery including CABG.

(c) Angioplasty and various implants.

(d) Cancer surgery, chemotherapy and radio-therapy.

(e) Liver/Kidney transplantation.

(f) Joint-replacement.

(g) Accidental cases affecting mobility or leading to permanent disability.

(h) Multiple sclerosis, Myasthenia Grayis, Parkinson's Diseases.

(i) Chronic Renal Failure.

(j) Thalessemies, Haemophillia, Aplastic Anaemis, Myelodisplastic Disorders.

(k) AIDS.

(l) Paraplegia/Cuadriplegia/Hemiplegia.

(vi) Change of Residence/Allotment of Govt. Accommodation beyond ten kilometres, which has been affected during the preceding one year from the last date of inviting applications for transfer with documentary evidence like allotment/possession letter or house tax receipt, voter I-Card, telephone/electricity/water bill, Passport etc. will only be accepted The 'changed address' and 'nearest school from residence' compulsorily has to be updated in the Employee Detail in MIS.

14. In an academic session, three teachers of a school can be transferred out of the school as per recommendations of Principal/Vice Principal/Head of School, in the larger interest of students and functioning of school. Every effort will be made to accommodate such teachers in nearest available school. This will not be considered as a transfer on administrative ground. An online module will be suitably designed in this regard.

15. A teacher can also be transferred anywhere in Delhi on the 'Administrative Grounds', as per the recommendations of various Inspection Teams/Committee/Officers.

16. Teacher transferred on the 'Administrative Grounds' will not be transferred for a minimum period of 2 years, from the school to which he/she has been posted on administrative grounds. the teachers transferred on 'Administrative Grounds' will not be transferred back to the same school upto next five years under any condition.

17. Teachers shall not bring in any outside influence, PGMS etc. on the matter of transfer. If such an influence from whichever source espousing the cause of teacher is received, it will be presumed that the same has been brought by the teacher. The request of such a teacher shall not be considered. Action may also be Initiated against such a teacher under relevant Service Rules/Conduct Rules and an entry to this effect shall be made in his/her service book.

18. Schools of Urgent Requirement will be uploaded by the Directorate simultaneously.

This issues with approval of the competent authority.

(RAMESH RAM)

Assistant Director of Education

15. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधान सभा में मॉडल स्कूल पायलेट योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) द्वारका विधान सभा क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या दिल्ली सरकार की भविष्य में वहां कोई नया स्कूल/कालेज खोलने की कोई योजना है?

उपमुख्यमंत्री : (क) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में पायलट योजना के अंतर्गत निम्न दो विद्यालय भवन हैं :

1. एस.के.वी. नं. 1, (स्कूल आई.डी.–1821016) एवं जी.बी.एस.एस.एस. (स्कूल आई.डी.–1821016), सागरपुर–धनराशि 12,70,32,333/–

   जी.बी.एस.एस.एस. (स्कूल आई.डी.–1821030) एवं जी.बी.एस.एस.एस. (स्कूल आई.डी.–1821234),

   सेक्टर–01ए द्वारका–धनराशि 7,92,99,374/–

(ख) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में निम्नलिखित 06 नये विद्यालय भवनों का निर्माण कार्य समापन पर है :

1. द्वारका सेक्टर 17
2. द्वारका सेक्टर 13
3. द्वारका सेक्टर 22 (फेज–3)
4. द्वारका सेक्टर 19
5. द्वारका सेक्टर 03
6. द्वारका सेक्टर 05

इनके अतिरिक्त द्वारका क्षेत्र के निम्न स्थानों पर नये सरकारी विद्यालयों को खोलने की योजना विचाराधीन है।

1. द्वारका सेक्टर 18
2. द्वारका सेक्टर 11
3. द्वारका सेक्टर 01 (पाकेट–05)
4. द्वारका सेक्टर 12
5. द्वारका सेक्टर 16
6. द्वारका सेक्टर 19 (फेज–01)

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि द्वारका में दिल्ली सरकार द्वारा सौ प्रतिशत वित्त पोषित दीनदयाल कालेज के नये भवन का निर्माण किया गया है और वर्ष 2016–17 से दीनदयाल उपाध्याय कालेज को कर्मपुरा से द्वारका में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा द्वारका में सौ प्रतिशत वित्त पोषित भास्कराचार्य अपलायड साइंस महिला कालेज, गुरूगोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय नीति विश्वविद्यालय पहले से ही सुचारू रूप से चल रहे हैं। द्वारका के सेक्टर 9 में पहले से स्थापित आई.टी.आई. में विश्व स्तरीय कौशल केन्द्र को खोलने का प्रस्ताव है।

16. श्री जगदीप सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2017–18 के सत्र हेतु ई.डब्ल्यू.एस. की डी–1 एवं डी–2 श्रेणी के अन्तर्गत हुए दाखिलों का नाम, पते व फोन नंबर सहित पूर्ण विवरण; और

(ख) सरकार द्वारा पब्लिक स्कूलों में ई.डब्लू.एस. वर्ग के दाखिले हेतु किए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण?

उप मुख्यमंत्री : (क) बच्चों के नामों एवं आवंटित विद्यालयों की सूची सी.डी. प्रारूप में संलग्न है। परंतु निजता के अधिकार के तहत बच्चों के पते व फोन नंबर की सूचना सार्वजनिक रूप से देना उचित नहीं है।

(ख)

1. ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग के दाखिले हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरवाना।
2. सफल अभ्यार्थियों का कम्प्यूटर द्वारा ड्रा निकालना।
3. मुख्यालय के द्वारा सफल अभ्यार्थियों के मोबाइल पर संदेश देना।
4. विभागीय अधिकारियों द्वारा समय–समय पर मानिटरिंग करना।
5. आवेदकों के दाखिले में होने वाली समस्याओं का यथाशीघ्र निस्तारण करना।

17. श्री प्रवीण कुमार : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगपुरा विधानसभा में बन रहे नए स्कूल भवनों एवं उनके ठेकेदारों का विवरण क्या है;

(ख) क्या निजामुद्दीन स्थित शिव मंदिर के पास दिल्ली जल बोर्ड की जमीन पर स्कूल बनवाने की सरकार की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी नये विद्यालय भवन का निर्माण कार्य नहीं चल रहा है।

(ख) वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार प्रश्न नहीं उठता।

18. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में रोहिणी सेक्टर 16 व रोहिणी सेक्टर 1 के विद्यालयों के भवनों का पुनर्निर्माण होना है;

(ख) यदि हां, तो कार्य में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा, पूर्ण विवरण दें?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी हां।

(ख) फेज–2 के अंतर्गत शिक्षा निदेशालय का 10 हजार अतिरिक्त कक्षाओं को बनाने की योजना है। इसके अंतर्गत रोहिणी सेक्टर–16 व सेक्टर–01 के विद्यालय भवनों में भी G+3, SPS बनाने का प्रावधान रखा गया है। पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा सेक्टर–16 व सेक्टर–01 के विद्यालय भवनों में अतिरिक्त कक्षायें बनाने के लिये प्रारंभिक अनुमान प्राप्त हो चुका है। इसकी स्वीकृति उपरांत पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा।

(ग) प्रारंभिक अनुमान के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति के उपरांत निर्माण कार्य वर्ष 2017–18 में पूरा होने का अनुमान है।

19. श्री जरनैल सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सर्वोदय बाल विद्यालय, जी. ब्लॉक, विकास पुरी के खेल के मैदान का इस्तेमाल किसी स्पोर्टस अकादमी द्वारा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह आबंटन कब, कितने समय के लिए और किन शर्तों पर किया गया है;

(ग) क्या इस स्पोर्टस अकादमी में इस स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है;

(घ) यदि हां तो इस विद्यालय के कितने बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि विभाग को इस अकादमी के विरुद्ध पहले शिकायत मिली है; और

(च) यदि हां, तो उस शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई, पूर्ण विवरण दें?

उप मुख्यमंत्री : (क) जी नहीं। सर्वोदय बाल विद्यालय जी–ब्लाक विकासपुरी के खेल के मैदान का इस्तेमाल खेल शाखा, शिक्षा निदेशालय

द्वारा क्रिकेट कोचिंग के लिये स्वयं किया जा रहा है। इसके अलावा यह मैदान जोन–18 की खेल प्रतियोगिताओं के लिये भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खेल के मैदान का इस्तेमाल ''दिल्ली गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर फॉर क्रिकेट'' के द्वारा किया जा रहा है।

(ख) उपरोक्त 'क' के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस मैदान पर किसी स्पोर्ट्स अकादमी द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, अपितु शिक्षा निदेशालय की खेल शाखा द्वारा जुलाई, 2017 में इस विद्यालय के 30 विद्यार्थियों का प्रशिक्षण दिया गया।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ङ) इस खेल के मैदान को संचालित करने से संबंधित जून, 2016 में एक शिकायत मिली थी।

(च) क्योंकि शिकायत में कोई सत्यता नहीं थी, इसलिए इसे फाइल कर दिया गया था।

20. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं;

(ख) इनमें से कितने पद रिक्त हैं और कब से;

(ग) सरकार द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) ये सभी रिक्त पद कब तक भर दिए जाएंगे;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि प्रधानाचार्य और उपप्रधानाचार्यों की पदोन्नति के कई मामले काफी लंबे समय से लटके हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो ये पदोन्नतियां कब तक कर दी जायेंगी?

उप मुख्यमंत्री : (क) शिक्षा निदेशालय में पी.ई.टी. के कुल 2229 पद स्वीकृत हैं।

(ख) पी.ई.टी. के रिक्त पदों की संख्या 1359 है, जो पिछले तीन वर्षों से रिक्त है।

(ग) शिक्षा निदेशालय द्वारा दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को इन पदों को भरने के लिये समय समय पर पत्र लिखे गये हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा 30/04/2017 को 445 पदों को भरने के लिये परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 919 पदों को भरने के लिये मांग पत्र भेजा जा चुका है।

(घ) प्रक्रिया जारी है।

(ङ) जी हां।

(च) प्रधानाचार्य :

यू.पी.एस.सी. ने पदोन्नति के लिये पहले वर्तमान भर्ती नियमों के संशोधन के निर्देश दिये हैं। जिसके उपरांत ही पदोन्नति के मामलों पर विचार किया जायेगा। संशोधित भर्ती नियम विभाग की वेबसाइट पर डाले गये और संबंधित अधिकारियों और शिक्षकों से विचार मांगे गये।

उप प्रधानाचार्य : सरकार के अनुमोदन के उपरांत भर्ती नियमों में संशोधन का मामला यू.पी.एस.सी. में विचाराधीन है। तथापि उप प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार करने का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

21. चौ. फतेह सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि क्षेत्र की आबादी की आवश्यकता को देखते हुए सरकार की मंडोली में उच्च शिक्षण संस्थान खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो मंडोली में उच्च शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) मंडोली में यह शिक्षण संस्थान कब तक खोल दिया जायेगा?

उप मुख्यमंत्री : (क) शिक्षा संस्थान खोलने का निर्णय विधान सभा क्षेत्र की सीमाओं के अनुसार नहीं किया जाता, क्योंकि यह समय–समय पर परिवर्तित होती रहती है। भूमि की उपलब्धता होने पर यह संस्थान किसी भी क्षेत्र में खोले जा सकते हैं।

(ख) इस विभाग ने मंडल आयुक्त से मंडोली गांव में ग्राम सभा भूमि उपलब्ध कराने के लिये निवेदन किया है। आबंटन के उपरांत शिक्षण संस्थान खोलने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

(ग) उपरोक्त।

22. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने बाहरी दिल्ली में ग्रामीण जनता की पार्टनरशिप से 20 नये कॉलेज खोलने का निर्णय लिया था;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में अनेक नये आई.टी.आई. और पॉलिटेकनिक संस्थान खोलने का निर्णय लिया था;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कितने नये कॉलेज, आई.टी.आई. तथा पॉलिटेकनिक संस्थान खोले गए; और

(घ) किन कॉलेजों में सीटें बढ़ाई गई, पूर्ण विवरण दें?

उप मुख्यमंत्री : (क) ग्रामीण जनता की पार्टनरशिप से 20 नये कॉलेज खोलने का कोई निर्णय नहीं है तथापि दिल्ली सरकार द्वारा कई नये कॉलेज/संस्थान खोले जा रहे हैं।

(ख) जी हां, दिल्ली में नये आई.टी.आई. और पॉलिटेकनिक संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया था।

(ग) पिछले दो वर्षों में निम्नलिखित नये संस्थान खोले गए हैं :

1. दिल्ली भेषज विज्ञान एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (दिल्ली फार्मास्यूटीकर साइंसेज एण्ड रिसर्च यूनिवर्सिटी)
2. डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय का कर्मपुरा कैंपस।

3. नौ (9) तकनीकी संस्थान (इंस्टीट्यूट आफ टेकनॉलोजी) जहां पर बी. वॉक, (बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन) पाठ्यक्रम शुरू किये गये हैं।

4. रजोकरी इंस्टीट्यूट आफ टेकनॉलोजी (पॉलिटेकनिक)

5. आई.टी.आई. मंगोलपुरी,

6. महिला आई.टी.आई. (एम.एस.डी.पी.) नन्दनगरी,

7. **नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट,** ईस्ट ऑफ कैलाश, दिल्ली (गुरू, गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के तहत स्ववित्तपोषित संस्थान)

8. **एक्शन फॉर औतिस्म,** (Action for Autism National Centre for Autism India) जसोला विहार, दिल्ली (गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के तहत स्ववित्तपोषित संस्थान)

9. **शिक्षा भवन लीलावती मुंशी कॉलेज,** कस्तूरबा गांधी मार्ग, दिल्ली (गुरु गोबिंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के तहत स्ववित्तपोषित संस्थान)

इसके साथ ही निम्न पांच (5) संस्थानों को शुरू कराने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है।

1. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय का लोदी रोड कैंपस

2. दिल्ली टेक्नोलॉजीकल विश्वविद्यालय का विवेक विहार कैंपस
3. गुरु गोविंद सिंह विश्वविद्यालय का ईस्ट दिल्ली कैंपस
4. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की धीरपुर कैंपस
5. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय का रोहिणी कैंपस

(घ) उच्च शिक्षा विभाग में वर्ष 2015–16 में कुल 3368 सीटें और वर्ष 2016–17 में कुल 6190 सीटें बढ़ी थी। सूची संलग्न है। (देखें परिशिष्ट–1)

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सभी संस्थानों, विश्वविद्यालयों में वर्ष 2015–16 में कुल 1712 सीटें और वर्ष 2016–17 में कुल 1546 सीटें बढ़ी थी। सूची संलग्न है। (देखें परिशिष्ट–2)

प्रश्न संख्या 22

परिशिष्ट–1

Directorate of Higher Education

Information in r/o 100% Funded Colleges of Delhi Govt.

Intake Capacity in r/o 100% Funded Colleges of Delhi Govt.

Sl. No.	Name of College	Intake Capacity 2014-15	Intake Capacity 2015-16	Intake Capacity 2016-17	Enhanced Intake during 2015-16	Enhanced Intake during 2016-17
1	2	3	4	5	6	7
1.	Acharya Narendra Dev College	563	563	642	Nil	79 (Increased in Existing courses)
2.	Aditi Mahavidyalaya	808	828	827	20	-1

3.	Bhagini Nivedita College,	577	466	740	-111	150 (Increased in Existing courses) 124 (Increased in new courses)
4.	B.R. Ambedkar College,	872	872	964	Nil	92 (Increased in new courses)
5.	Bhaskaracharya College of Applied Sciences	340	340	326	Nil	-14
6.	Deen Dayal Upadyaya College	708	708	708	Nil	Nil
7.	Indira Gandhi Institute of Physical Education & Sports Sciences	198	198	197	Nil	-1

1	2	3	4	5	6	7
8.	Keshav Mahavidyalaya	623	623	623	Nil	Nil
9.	Maharaja Agrasen College	692	742	742	50	Nil
10.	Maharshi Valimiki College of Edn	185	100	100	-85	Nil
11.	Shaheed Sukhdev College of Business Studies	292	329	292	37	-37
12.	Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women	174	174	298	Nil	124 (Increased in New courses)
	Total	6032	5943	6459	107-196= -89 A	569-53= 516 B

Starting of Non-Collegiate Women's Center in 100% & 5% Delhi Govt. Funded Colleges of Delhi University

Sl. No.	Name of College 100% funded colleges	Acad. Year	Intake
1.	Dr. Bhim Rao Ambedkar College	2016-17	470
2.	Kashav Mahavidyalaya	2016-17	470
3.	Bhagini Nivedita College	2016-17	470
4.	Aditi Mahavidyalaya	2016-17	470
	5% funded colleges		
5.	Rajdhani College	2016-17	470
6.	Sri Aurobindo College	2016-17	470
7.	Moti Lal Nehru College	2016-17	470
8.	Satyawati College	2016-17	470
	Total		**3760-C**

Intake Capacity of States Universities

S.No.	Name of University	Intake Capacity 2014-15	Intake Capacity 2015-16	Intake Capacity 2016-17	Enhanced Intake during 2015-16	Enhanced Intake during 2016-17
1.	Guru Gobind Singh Indraprastha University	28146	31873	33543	3457	1670
2.	Dr. B.R. Ambedkar University	842	842	1086	Nil	244
	Total				3457-D	1914-E

Enhanced Intake during 2015-16 = A + D = -89 + 3457 = 3368

Enhanced Intake during 2016-17 = B + C + E = 516 + 3760 + 1914 = 6190

Department of Training & Technical

Name of the Institute	Seats in 2014-15	Seats enhancement in 2015-16
1	2	3
IGDTUW	516	62
NSIT	932	102
DTU	2245	90

1	2	3
DIPSUR	NIL	110
III I.D	301	36
WCSC	640	240
B.VOC	NIL	905
DIPLOMA	5532	(-)420
ITI MANGORPURI	NIL	420
ITI NAND NAGRI	NIL	167
TOTAL	10166	2132-420=1712

23. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ने दिल्ली हायर एजूकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड गारंटी स्कीम के अंतर्गत धनराशि आबंटित की है;

(ख) अब तक इस स्कीम के अंतर्गत कितने विद्यार्थियों ने बैंकों से लोन लिया है; और

(ग) अब तक कितनी राशि लोन के रूप में दी जा चुकी है?

उपमुख्यमंत्री : (क) दिल्ली हायर एजूकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत दिल्ली सरकार ने रुपये 10 करोड़ की धनराशि का दिल्ली हायर एजूकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट क्रेडिट गारंटी फंड/ट्रस्ट

में, छात्रों द्वारा लिये गये बैंक लोन पर गारंटी देने हेतु, वित्त विभाग की सहमति के बाद प्रावधान रखा गया है।

(ख) इस स्कीम के अंतर्गत अब तक कुल 207 विद्यार्थियों/छात्रों का बैंकों द्वारा लोन स्वीकृत हुआ है।

(ग) अब तक कुल रु. 6.61 करोड़ की राशि लोन के रूप में बैंकों द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

25. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली कालेज आफ इंजीनियरिंग के साथ 150 एकड़ भूमि खाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की इस पर कोई विश्वविद्यालय खोलने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) राजस्व विभाग के जिलों तथा डी.डी.ए. से प्राप्त जानकारी के अनुसार रिठाला विधान सभा के गांव शाहबाद दौलत पुर की भूमि पर दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है उसके पास 150 एकड़ जमीन खाली नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त के अनुसार लागू नहीं होता।

24. श्री नरेश यादव : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की रजोकरी गांव में कॉलेज खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए शिक्षा विभाग ने भूमि लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस भूमि पर कब तक कॉलेज निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है?

उप मुख्यमंत्री : (क) रजोकरी गांव में उच्च शिक्षा के प्रोजेक्ट हेतु भूमि चिन्हित कर ली गई है।

(ख) रजोकरी गांव में 100 बीघा 13 बिस्वा ग्राम सभा भूमि राजस्व विभाग से उच्च शिक्षा विभाग ने ले ली है जिसकी सीमा की दीवार के लिए लो.नि.वि. को खर्चे के लिये वित्त अनुमति जारी कर दी गई है।

(ग) योजना बनाई जा रही है।

(घ) उपरोक्त।

26. श्री प्रवीण कुमार : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में अध्यापकों एवं गैर अध्यापकों के स्थायी पदों की भर्ती की प्रक्रिया क्या है;

(ख) इस भर्ती में कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की क्या भूमिका है; और

(ग) इन कॉलेजों में खाली पदों का विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में अध्यापकों एवं गैर अध्यापकों के स्थायी पदों की भर्ती की प्रक्रिया दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमों एवं अध्यादेश के अनुसार की जाती है।

(ख) भर्ती एवं पदोन्नति संबंधित दिल्ली विश्वविद्यालय नियमावली संलग्न है। (देखें परिशिष्ट–01)1

प्रिंसिपल एवं टीचिंग स्टाफ के सदस्यों की नियुक्ति/चयन की प्रक्रिया के प्रमुख बिंदु निम्नांकित हैं :

प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी चयन समिति की सिफारिशों पर करती है। गठित चयन समिति का चैयरमैन गवर्निंग बॉडी का चैयरमैन होता है तथा एक सदस्य गवर्निंग बॉडी में से चैयरमैन नामित करता है तथा दो सदस्य वाइस–चान्सलर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नामित किए जाते हैं जिनमें से एक विशेषज्ञ होना चाहिए। इसके अलावा तीन विशेषज्ञ जिनमें से एक कॉलेज का प्रिंसिपल, एक प्रोफेसर और एक निपुण शिक्षाविद जो कि प्रोफेसर के पद से नीचे न हो (गवर्निंग बॉडी द्वारा नामित) को वाइस–चांसलर, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत पैनल (जिसके कोरम में कम से कम चार सदस्य, जिसमें दो विशेषज्ञ होने चाहिए) में से चुना जाता है। बशर्ते कि उसके अंतिम चयन एवं नियुक्ति से पहले

(अ) गवर्निंग बॉडी उन व्यक्तियों की सूची दिल्ली विश्वविद्यालय को भेजेगी जिन्होंने प्रिंसिपल के पद के लिए आवेदन किया है और उन व्यक्तियों

1. www.delhi assembly.inc.in पर उपलब्ध।

के नाम भी जिन्होंने आवेदन न किया हो, किन्तु गवर्निंग बॉडी उनको इस पद के लिए विचार करने में इच्छुक है, को दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र (फार्म) में यह संकेत देते हुए कि उनकी राय में किस व्यक्ति का अंतिम चयन किया जा सकता है।

(ब) गवर्निंग बॉडी द्वारा प्रस्तुत सूची पर इस उद्देश्य से गठित चयन समिति विचार करेगी जिस गठित चयन समिति में निम्नांकित होंगे :

(1) वाइस–चांसलर

(2) प्रो वाइस–चांसलर

(3) एक नामांकित आगंतुक (ए नॉमिनि आफ विजिटर)

(4) संबंधित कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का चैयरमैन

(5) अधिकारिक परिषद् के दो सदस्य जो उसी के द्वारा नामित किए जाएंगे।

जब भी परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि एक ओ.एस.डी. को ऑफिशिएट/प्रिंसिपल नियुक्ति करना आवश्यक हो जाए तो गवर्निंग बॉडी कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल को सिफारिश करते हुए वाइस–चांसलर को एक प्रत्याशी की ओ.एस.डी. पद पर नियुक्ति की स्वीकृति के लिए भेजेगा। यदि कोई नियुक्ति प्राधिकारी (एपॉईटींग आथोरिटी) ऐसे पैनल की सिफारिश हेतु नहीं है तो वाइस चांसलर ही ओ.एस.डी. पद पर नियुक्ति करेगा। ओ.एस.डी. के पद पर नियुक्ति सामान्यतः 6 माह की अवधि के लिए होती है जिसे कि वाइस–चांसलर की पूर्व स्वीकृति से बढ़ाया या निरस्त किया जा सकता है।

टीचिंग स्टाफ के सदस्यों की नियुक्ति गवर्निंग बॉडी, एक गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, करती है। गठित चयन समिति में निम्नांकित होंगे :

(1) कॉलेज की गवर्निंग बॉडी का चैयरपर्सन या उसका/उसकी द्वारा नामांकित को चयन समिति का चैयरपर्सन बनाया जाएगा।

(2) संबंधित कॉलेज का प्रिंसिपल (यदि सांयकालीन कॉलेज के टीचर की नियुक्ति होनी है तो सायंकालीन कॉलेज का प्रिंसिपल)

(3) वाइस–चांसलर द्वारा नामांकित दो सदस्य जिनमें से एक विषय विशेषज्ञ होना चाहिए।

(4) वाइस–चांसलर द्वारा स्वीकृत पैनल में से गवर्निंग बॉडी के चैयरपर्सन द्वारा नामांकित दो विषय विशेषज्ञ जोकि कॉलेज से संबंधित न हो।

(5) एक सीनियर टीचर/विभाग का मुखिया (एच.ओ.डी.) (संबंधित विषय का) प्रेफेरेबिलि जिसका कम से कम 10 साल का टीचर पद पर सेवाकाल पूरा हो गया हो। मीटिंग का कोरम पांच का होगा, जिनसे कम से कम दो व्यक्ति, तीन विषय विशेषज्ञों में से होने चाहिए।

(ग) 100% वित्तपोषित 12 कॉलेजों में 559 पद खाली हैं। विवरण संलग्न है। (देखें परिशिष्ट–02) और 5% वित्तपोषित कॉलेजों का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट–1

ORDINANCE-XVIII

CHAPTER VII

OF COLLEGES AND HALLS

Ord. XVIII. Colleges other than those Maintained by the Government of India.

1. No College shall have more than 1,000 students on its rolls, and in case of an extended College, not more than 1,500 students, except with the specific approval of the University.

1-A. A College seeking recognition as a Constituent College must have an endowment fund of Rs. 5 lakhs of which at least Rs. 3 lakhs should be immediately available and the balance to be deposited within four years, and have either suitable buildings or a building fund of at least Rs. 3 lakhs. It shall also satisfy the University that either it already has 7-8 acres of land (4-5 if there is no hostel attached) or has reasonable prospects of having the same for the College building.

A College seeking recognition as an affiliated College must have an endowment fund of Rs. 3 lakhs of which Rs. 2 lakhs should be immediately available and the balance to be deposited within two years, and have either suitable buildings or a building fund of at least Rs. 2 lakhs. It shall also satisfy the University that either it already has a minimum of 3 acres of land (or 5 acres of land if hostel is attached) or has reasonable prospects of having the same :

Provided that the provisions of this clause shall not apply in the case of a college whose entire financial responsibility is born by the

Government of India/Delhi Administration in conjunction with the University Grants Commission.

1-B. *Permanent Affiliation*

(a) Subject to the provisions of Statute 30, the Executive Council may grant permanent affiliation to any institution if the following conditions are satisfied :

(i) that the constitution and personnel of the Governing Body are in accordance with the Ordinances and Statutes of the University.

(ii) that the fees levied or proposed to be levied and the provision made for the expenditure on buildings and for the continued maintenance and efficient working of the institution are in accordance with the rules and regulations laid down by the University.

Colleges Other Than Those Maintained by the Govt. of India

(iii) that satisfactory arrangements exist for library, laboratory (in case of science subjects) and other facilities and emoluments of the teaching and non-teaching staff and their terms and conditions of service are in accordance with the Ordinances of the University.

(b) The Executive Council may, if it is so desired, cause an institution to be inspected for the purpose of ascertaining that the above conditions are satisfied.

Provided that no institution shall be granted affiliation unless it has a standing of one year, has fulfilled all the conditions of affiliation and attained the academic and administrative standards prescribed by the University from time to time.

2. The Governing Body will meet at least once in a term, and, subject as hereinafter provided, shall have general supervision and control of the affairs of the College and maintain its own records of its proceedings which shall be open to inspection by the inspection authority.

3. (1) The members of the Governing Body, other than the Principal, shall hold office for a period of one year and shall be eligible for re-appointment or re-election, provided that in respect of teachers' representatives provisions of Sub-Clause (2) of this Clause shall apply.

Provided that on the expiry of one year the Executive Council may, either on the request of the Trust/Delhi Administration or on its own, as the case may be, if it is satisfied that the circumstances so warrant, extend the term of the existing nominees of the Trust/Delhi Administration on the Governing Body for a further period not exceeding six-months but not more than three months, at a time.

Provided further that on the grant of approval by the Executive Council the existing office bearers of the Governing Body shall continue to function as such for the extended period.

(2) The teacher's representatives shall become members of the Governing Body by rotation according to seniority. As least

one of the representatives from among the teachers of the Day Classes and one of the representatives from among the teachers of the Evening Classes (where Evening Classes are held and Evening teachers are represented on the Governing Body) shall be from among those with more than 10 years of service and at least one from among those from the Day Classes and one from among those from the Evening Classes with less than 10 years of service. If however, eligible candidates are not available in one of those categories, namely, those with more than 10 years' service and those with less than 10 years' service, all the representatives may be taken from the other. The term of membership of teachers' representatives shall be for a period of one year :

Ordinance XVIII

Provided that a teacher who has become a member of the Governing Body of a College under the category of teachers with less than 10 years service and completes his tem years of service during the term of his membership as such, will nevertheless continue to be a member of the Governing Body for the full term of one year.

Note : For the purpose of this Clause 'teachers' will be understood to be those holding a permanent whole time post, with requisite service in the College in question.

(3) The Governing Body shall elect from among its own members a Chairman to hold office for one year provided that

this does not exceed his current term as a member of the Governing Body, and shall be eligible for re-election.

(4) In this Clause and in subsequent Clauses of this Ordinance, if not specified, Principal includes Principal (Evening Classes)

4. (1) The Governing Body shall appoint a Treasurer from among its own members to supervise the receipts and expenditure of the Governing Body, who shall be responsible for the proper keeping of its accounts.

(2) The Governing Body, on the recommendation of the Principal, shall appoint a Bursar who shall be a member of the teaching staff and who shall assist the Principal in the maintenance of accounts and in the day-to-day financial affairs of the College. The Principal and Bursar shall jointly operate the Bank account within the budget estimates relating to maintenance grant items duly approved by the Governing Body.

(3) The Principal shall be the Member Secretary of the Governing Body and shall not accept the membership of the Governing Body of any other College of the University. It shall be the duty of the Member-Secretary to summon meetings with the of the Chairman and in accordance with the Regulations framed by the Governing Body for the purpose and to record proceedings of the meetings.

(4) If the Governing Body wish to appoint a Vice-Principal, it should do so with the prior approval of the University. The appointment of the Vice-Principal shall be made from among the Readers in the College who *fulfil the qualifications for the post of Principal.* THe appointment of such Vice-Principal shall require the approval of the University.

(5) The appointment of the Librarian and the Director of Physical Education in the College shall be made by the Governing Body of the College by advertisement. The Selection Committee for recommending appointment of the Librarian and the Physical Director with be consitituted as follows :

Colleges Other Then Those Maintaned by the Govt. of India

Librarian :

1. Chairman of the Governing Body or his nominee. (Chairman)
2. One University representative on the Governing Body.
3. University Librarian.
4. Head of the Department of Library and Information Science.
5. Principal of the College Principal (Evening Classes) in case the Selection is for the evening classes.

Three members inclusive of the Chairman and University Librarian or Head of the Department of Library and Information Science of the University shall form a quorum.

Director of Physical Education :

1. Chairman of the Governing Body or his nominee. (Chairman)
2. One University representative on the Governing Body.
3. Director of Physical Education of the University.
4. Principal of the College-Principal (Evening Classes) in case the Selection is for the evening classes.
5. Two experts nominated by the Academic Council from out of the panel of names approved by it.
6. Director of Psycial Education in the College in case of selection of additional post of Director of Physical Education.

Three members inclusive of the Chairman and an expert nominated by the Academic Council or the Director of Physical Education of the University shall form a quorum.

5. The accounts of the college shall be kept in such form as the University Grants Commission may prescribe. The accounts shall be audited by an auditor chosen by the Governing Body out of a panel of three Auditors approved by the University in consultation with the Institute of Chartered Accountants, New Delhi.

6-A. (1) There shall be a Staff Council in every College.

(2) All the members of the teaching staff, the Librarian and Director of Physical Education shall constitute the of Staff Council.

(3) Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances of the University, the Principal shall act as Principal-in-Council in respect of matters on which Staff Council is required to take decisions.

(4) (a) The Principal shall be *ex-officio* Chairman of the Staff Council.

(b) The Council shall elect its Secretary, who shall hold office for a term of one year. The Secretary may be re-elected for a second term but no person shall hold office of Secretary for more than two consecutive terms.

(5) (a) Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances of the University, the Staff Council shall take decisions in respect of the following matters :

(i) Preparation of College time-table

(ii) Allocation of extra-curricular work of teachers not involving, payment of remuneration.

(iii) Organising extra-curricular activities, including cultural activities of students, sports, games, National Service Scheme and other social services schemes and academic societies.

(iv) Laying down guide-lines for purchase of library books and laboratory equipment in consultation with the appropriate departments.

(v) Organising admission of students.

(b) Subject to the provisions of the Act, the Statutes and the Ordinances of the University, the Staff Council shall make recommendations in respect of the following matters :

(i) Formulation of recommendations on introduction of new teaching posts in the departments and expansion of the existing departments.

(ii) Formulation of admission policy within the framework of the policy laid down by the University.

(iii) Formulation of guidelines regarding arrangements for the residence and welfare of students in consultation with appropriate students' organisations.

(iv) Formulation of guide-lines regarding discipline of the students :

(v) Formulation of policies for recommending names of teachers for participation in seminars and conferences and financial assistance to teachers.

Note : The administrative staff of the College will not be within the purview of the Staff Council.

B. (a) The Staff Council shall function through Committees appointed by the Council. Ordinarily (i) no person shall be member of more than two Committees at a time; and (ii) no person shall hold office as a member of a Committee for more than two consecutive terms.

(b) The Principal shall have the right to be present and to speak any meeting of any Committee.

(c) Each Committee shall have a Convenor appointed by the Staff Council who shall convene the meetings of the Committee and the minutes of the meetings shall be prepared and maintained by him.

(d) The decisions of the committee shall be reported to the subsequent meeting of the Staff Council for ratification wherever necessary.

(e) The Principal shall implement all decisions of the Staff Council. If, in the opinion of the Principal, however, any emergency has arisen which requires that immediate action should be taken, the Principal shall take such action as he deems necessary and shall report the same to the next meeting of the Staff Council for confirmation.

C. The rules relating to the conduct of meetings of the Staff Council shall be in accordance with the Regulations laid down in this behalf.

7. (1) The appointment of the Principal and other members of teaching staff shall be made after advertisement.

The Principal should, in addition to his duties as Principal, be also required to undertake some teaching work in the College, or the University.

(2) The appointment of the Principal shall be made by the Governing Body of the College on the recommendation of a Selection Committee consisting of the Chairman of the Governing Body (Chairrman), one member of the Governing Body to be nominated by the Chairman two nominees of the Vice-Chancellor, out of whom one should be an expert, three experts consisting of the Principal of a College, a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor and an accomplished educationist not below the rank of a Professor (to be nominated by the Governing Body) out of a panel of experts approved by the Vice-Chancellor (At least four members, including two experts, should constitute the quorum), provided that prior to final selection and appointment (a) the Governing Body shall submit to the University a list of persons who have applied for the post of Principal, as also names of persons, who may not have applied but whose names the Governing Body may desire to consider for the post in a form as prescribed by the University and shall indicate the persons from

whom, in their opinion, the final selection may be made; (b) the list thus submitted by the Governing Body shall be considered by a Selection Committee constituted for the purpose and consisting of the following :

(i) Vice-Chancellor,

(ii) Pro-Vice Chancellor.

(iii) A nominee of the Visitor;

(iv) Chairman of Governing Body of the College concerned and

(v) Two members of the Executive Council, nominated by it.

and (c) on the recommendation of the Selection Committee the University shall transmit to Governing Body a list of persons mentioned in the order of preference whom the University would be prepared to reconse as Principal or, if none of the applicant are considered suitable shall refram from sending a list, in which case the post shall be re-advertised.

Provided that where in the opinion of the Vice-Chancellor, emergency action is called for or where in his opinion, it would be unnecessary to adopt the procedure prescribed in (b) and (c) above, the Vice-Chancellor may indicate merely which of the candidates included

*Modified to bring them in Ordinance with UGC regulations vide letter no E 3-1/2000(PS) dt. 4.4.2000 as directed by the Hon'ble Vistor vide MHRO letter no F 4-44/2002-(Desk) (U) dt. 7.1.2004

**The above provision shall apply Mutatis, Mutandis to Colleges and Institutions maintained by the University under Ordinance XX except UCMS/VPCI/ACBR

in the list submitted by the Governing Body under sub-Clause 2(a) of Clause 7 of Ordinance XVIII, will not be acceptable to the University. briefly indicating ground for the decision. In such a case, the Governing Body will be free to appoint any person from any of the candidates against whom no such disapproval has been indicated.

(3) In case of a casual vacancy in the office of the Principal the Vice-Principal, if any, shall until the appointment of the Principal, act as the Principal. In case there is no Vice-Principal the senior most teacher shall act as Principal. The teacher so to act as Principal shall fulfil the minimum elighibility requirements for appointment as Principal of the College.

Such temporary arrangements shall be made ordinarily for a period not exceeding six months and shall require the prior approval of the University.

3. (a) If the arrangement is for less than *one month,* the Vice-Principal shall not get any additional allowance. If the arrangement exceeds *one month* but is less than six months, the Vice-Principal shall be eligible for 10% of the minimum of the basic pay of the post of Principal as "Additional Charge Allowance". Further, if the arrangement exceeds six months, the Vice-Principal shall be designated as "Officiating Principal" and shall be eligible for the scale of pay of the post of Principal for the duration of the arrangement.

3. (b) in the case of a long term vacancy in the office of the Principal being appointed as an officer of the Univer-

sity or on deputation to a government educational institution, an appointment can be made for the period of lien. The person to be appointed must fulfil the minimum eligibility requirements for appointment as Principal of the College. The appointment shall be made after due advertisement by a Selection Committee to be consituted by the Governing Body on the same basis as that for the appointment of the Principal. Such appointments shall require the prior approval of the University. The person so appointed, shall be entitled to the salary and other allowances of the Principal only for the period of such appointment.

Colleges other than those maintained by the Gov. of India

3. (c) Where circumstances so warrant that it may be necessary in appoint an OSD to officiate as Principal, the Governing Body may recommend a panel of at least three names to the Vice-Chancellor for approval of a candidate for appointment as as OSD. However, in case there is no appointing authority to recommend such a panel the Vice Chancellor shall appoint the OSD. The appointment of OSD shall ordinarily be for a period of six months, which may be extended or terminated with the prior approval of the Vice-Chancellor.

4. (a) Members of the teaching staff shall be appointed by

the Governing Body on the recommendations of Selection Committee constituted as follows.

1. Chairperson of the Governing Body of the College or his/her nominee to be the Chairperson of the Selection Committee.

2. Principal of the concerned College (Principal Evening College in case the Selection is for a teacher in the Evening College).

3. *Two nominees* of the Vice-Chancellor of whom one should be a subject expert.

4. *Two subject-experts* not connected with the College to be nominated by the Chairperson of the Governing Body out of a panel of names approved by the Vice-Chancellor.

5. One senior teacher/Head of the Department (of the concerned subject) preferably having not less than 10 years of service as teacher.

The quorum of the meeting should be five of which at least two must be from out of the three subject experts.

4(a) Modified to bring them in consonance with UGC's vide its letter No. F 3-1/2000 (PS) dated 04.04.2002 as directed by the Hon'ble Visitor vide MHRD letter No F4022/2002-Desk (U) dated 07.01.2004.

4(a) The above provisions i.e. 7(4-A) shall apply mutatis mutandis to Colleges and Institutions maintaned by the University under Ordinance XX except UCMS/VPCI/ACBR.

Ordinance XVIII

(4-b) The Screening/Evaluation Committee for recommending promotion of Lecturers to the Reader's grade under the Merit Promotion Scheme of 1983 shall consist of the following :-

1. The Chairman of the Governing Body of the College concerned or his nominee.
2. The Principal of the College Principal evening classes in case the selection was for a teacher for the evening classes.
3. The Head of the University Department.
4. Another member of the University Department in the subject concerned from amongst the Professors and Readers to be nominated by the Vice-Chancellor out of a panel drawn by the Department and approved by the Academic Council.
5. A teacher of the College in the Selection Grade (Reader's Grade) in the subject concerned in order of seniority by rotation for a period of two years.

4-(c) (a) The Selection Committee for recommending promotion of Lecturer to Lecturer in Senior Scale under the relevant Merit Promotion Scheme, shall consist of the following :

1. Chairman of the Governing Body of the College or a member of the Governing Body nominated by him/her (Chairman).
2. Principal of the College/Principal (Evening Classes) in case the promotion is for a teacher for the Evening Classes.

3. One Expert to be nominated by the Academic Council. viz the Head of the Department in the University in the subject concerned.

4. Another member of the University in the subjects concerned from amongst the Professors and Readers out of a panel of experts drawn by the Department and approved by the academic Council to be nominated by the Vice-Chancellor.

5. A Reader/Lecturer in Reader's Grade (Selection Grade) in the subject concerned in the College in order of semority for a period of the three years.

Note : (i) At least four persons present at the meeting inclusive of the Chairman and one out of categories 3 and 4 shall form the quorum.

(ii) The Selection Committee may at their discretion require any candidate to appear for interview.

Colleges other than those maintained by the Gov. of India

Provided that the Selection for recommending promotion of Lecturer in (Director of) Physical Education to Lecturer in (Director of) Physical Education in Senior Scale under the relevant Merit Promotion Scheme shall consist of the following.

1. Chairman of the Governing Body of the College or a member of the Governing Body nominated by him/her (Chairman).

2. Principal of the College/Principal (Evening Classes) in case the promotion is for a teacher for the Evening Classes.

3. Director of Physical Education in the University.

4. Two experts nominated by the Academic Council from out of the panel of names approved by it.

5. Reader in Physical Education/Lecturer in (Director of) Physical Education in Reader's Grade (Selection Grade) in College.

Note : (i) At least four persons present at the meeting inclusive of the Chairman and one out of categories 3 and 4 shall form the quorum.

(ii) The Selection Committee may at their discretion require any candidate to appear for interview.

(b) The Selection Committee for recommending promotion of Lecturer/Lecturer in Senior Scale (other than Physical Education) to Reader/Lecturer in Reader's Grade (Slection Grade) and for designating a Lecturer in Reader's Grade (Selection Grade) as Reader under the relevant Merit Promotion Scheme shall consist of the following :

1. A nominee of the Vice-Chancellor (Chairman)

2. Chairman of the Governing Body of the College or a member of the Governing Body nominated by him/ her.

3. Principal of the College/Principal (Evening Classes) in case the promotion is for a teacher of the Evening Classes.

4. One expert to be nominated by the Academic Council, viz., the Head of the Department in the University in the subject concerned.

5. Two experts in the subject out of a panel drawn by the University Department and approved by the Academic Council to be nominated by the Vice-Chancellor;

Ordinance XVIII

6. A reader in the subject concerned in the College in order of seniority for a period of three years, and if the Selection is for the Lecturer in Reader's Grade (Selection Grade), a Reader/Lecturer in Reader's Grade (Selection Grade), in order of seniority for a period of three years.

7. One of the Representatives of the University on the Governig Body.

Provided that in case the Selection Committee finds that a candidate is not suitable for promotion as Reader, it may consider him/her for promotion in Reader's Grade (Selection Grade). However, he/she can apply for being considered for Reader's designation after one year.

Colleges other than those maintained by the Gov. of India

Note : (i) At least 5 persons present at the meeting inclusive of 1 and 2 and at least two from categories 4 and 5 shall form the quorum.

(ii) Every candidate will be required to appear for interview before the Selection Committee unless on his/her request the Selection Committee agree to consider him/her in absentia.

Provided that the Selection Committee for recommending promotion of Lecturer in (Director of) Physical Education/Lecturer in (Director of) Physical Education in Senior Scale to Reader/Lecturer in (Director of) Physical Education in Reader's Grade (Selection Grade) and for designating a Lecturer in (Director of) Physical Education in Reader's Grade (Selection Grade) as a Reader in the College under the relevant Merit Promotion Scheme shall consist of the following :

1. A nominee of the Vice-Chancellor (Chairman)
2. Chairman of the Governing Body of the College or a member of the Governing Body nominated by him/her.
3. Principal of the College/Principal (Evening Classes) in case the promotion is for a teacher of the Evening Classes.
4. Director of Physical Education in the University.
5. Two experts out of the panel approved by the Academic Council to be nominated by the Vice-Chancellor;

6. A Reader in Physical Education in the College and if the Section is for Reader's Grade (Selection Grade), a Reader/ Lecturer in Physical Education in Reader's Grade (Selection Grade) in order of seniority for a period of three years.

7. One of the representatives of the University on the Governing Body.

Colleges other than those maintained by the Gov. of India

Note : (i) At least 5 persons present at the meeting inclusive of 1 and 2 and at least two from categories 4 and 5 shall form the quorum.

(ii) Every candidate will be required to appear for interview before the Selection Committee unless on his/ her request the Selection Committee agree to consider him/her in absentia.

(c) The Selection Committee for recommending promotion of Reader as Professor under the relevant Merit Promotion Scheme shall consist of the following :

1. Vice-Chancellor/Pro-Vice-Chancellor/nominee of the Vice-Chancellor (Chairman).

2. Chairman of the Governing Body of the College or a member of the Governing Body nominated by him/her.

3. Principal of the College/Principal (Evening Classes) in case the promotion is for a teacher in the Evening Classes.

4. One expert to be nominated by the Academic Council, viz., the Head of the Department in the University in the subject concerned, if he/she is a Professor.

5. Three experts in the subject concerned out of a panel drawn by the Department and approved by the Academic Council to be nominated by the Vice-Chancellor;

6. A Professor in the subject concerned in the College;

7. One of the Representatives of the University on the Governing Body, if he/she is a Professor.

Note : (i) At least 5 persons present at the meeting inclusive of 1 and 2 and at least three from categories 4 and 5 shall form the quorum.

(ii) Every candidate will be required to appear for interview before the Selection Committee unless on his/her request the Selection Committee agree to consider him/her in absentia.

(5) The Governing Body, before advertising an appointment of the teaching staff shall give notice to the University of their intention so to do and shall take into consideration any representations which the University may make thereon within fourteen days.

(6) Members of the teaching staff of the College (other than a member appointed temporarily in case of emergency, or a member appointed to take the place of a member absent on

leave or by reason of sickness or on a contract basis) may be appointed on probation for not more than one year and if confirmed after the probationary period shall be appointed to the post a permanent basis.

The period of probation may be extended in special case for a further period of the one year.

In the case of teachers on probation whose work was not found to be satisfactory, periodical warnings should be given to them.

Principals of colleges will be exempted from the above and shall be appointed on a permanent basis.

In the case of members of the teaching staff appointed on probation or on a temporary basis, the engagement may be terminated by one month's notice of either side or by the payment of a sum equivalent to one month's salary by the party choosing to terminate such engagement.

Provided that where the engagement is for a period less than one month, neither notice nor payment of salary in lieu of notice shall be neccessary.

(7) Not more than one-third of the total number of the teaching staff shall be a temporary or contractual basis at the same time.

(8) The engagement of the Principal or of any other member of the teaching staff may be summarily determined by the

Governing Body for misconduct, but save as aforesaid shall not be determined except for good cause and after three month's notice in writing or the payment of three months' salary in lieu of notice.

In the case of a teacher who has served for not less than one academic year on the staff of the college the notice given under this condition shall take into account any period by which the vacation already taken with salary falls short of three months.

(9) No decision for the temination of the services of any teacher or Principal appointed on substantive basis whether on probation or permanent, or for his suspension, shall be taken by the College or the institution concerned without the prior approval of the Vice-Chancellor.

(10) A member of the teaching staff of a College including the Principal, may at any time terminate his engagement by giving three months notice in writing to the Governing Body, and if three months notice in writing is not given such member of the teaching staff shall become liable to pay to the Governing Body a sum equivalent to thrice his monthy salary unless the Governing Body decides in any particular case not to realise such sum from such member.

Provided that in the case of a member of the teaching staff on a contractual basis, the contract may provide for a lesser period of notice than three months but not less than one

month and the provisions of this paragraph shall be construed accordingly.

(11) Any dispute aristing in connection with termination of the service of either the Principal or of any member of the teaching staff of a College except when on probation or on a temporary basis shall be referred to the arbitration of an Appeal Comittee of three independent persons appointed by the Chancellor. The Appeal Committee shall have power to inquire into the facts and to interpret the terms of any Agreement, and its decision shall be final and binding on both parties and the Indian Arbitration Act, 1940, shall apply to such arbitration. The Appeal Committee shall give its final decision within a reasonable time.

Provided that during the pendency of the appeal, the teacher shall continue to draw such salary or subsistence allowance as the case may be, as he was drawing immediately prior to the termination of his/her services.

8. (1) The payment of salaries to teachers shall be in accordance with scales approved by the Government of India.

(2) Increments shall be granted by the Governing Body on the recommendation of the Principal and shall not be withheld without the consent of the University.

9. The number of recognised teachers in any College shall be such that the proportion of students on the rolls of the College to the teachers in the College shall, not exceed

twenty to one in case of Pass students and twelve to one in the case of Honours and Post-graduate students unless a higher proportion is approved by the Government of India.

10. (1) Every Governing Body shall maintain a Provident Fund for the benefit of members of its teaching staff, in accordance with rules prescribed by the Government of India.

(2) The accounts of the Fund shall be duly audited each year and a copy of the accounts so audited shall be furnished to each subscriber to the Fund.

11. The Executive Council may from time to time cause an inspection to be made of the College for the purpose of satisfying themselves that the conditions of this Ordinance or any conditions on which recognition has been given are being complied with.

100% वित्तपोषित कॉलेज;

क्र.सं.	कॉलेज का नाम	रिक्त स्थान
1.	आचार्य नरेन्द्र देव कॉलेज	43
2.	अदिति महाविद्यालय	0
3.	बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज	37
4.	भास्कराचार्य कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस	81
5.	भगिनी निवेदिता कॉलेज	46

क्र.सं.	कॉलेज का नाम	रिक्त स्थान
6.	दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज	54
7.	इन्दिरा गाँधी इंस्टीट्यूट आफ फिजीकल ऐजूकेशन एंड स्पोर्ट साइंस	50
8.	केशव महाविद्यालय	95
9.	महाराजा अग्रसेन कॉलेज	98
10.	महर्षि वाल्मिकी कॉलेज ऑफ ऐजूकेशन	05
11.	शहीद राजगुरू कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वोमेन	35
12.	शहीद सुखदेव कॉलेज आफ बिजनेस स्टडी	15

27. **श्री आदर्श शास्त्री** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका विधान सभा में उच्च शिक्षा हेतु नये कॉलेज/संस्थान खोलने की दिल्ली सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) द्वारका में दिल्ली सरकार द्वारा 100% वित्तपोषित दी दयाल उपाध्याय कॉलेज के नये भवन का निर्माण किया गया है और वर्ष 2016–17 से दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज को कर्मपुरा से

द्वारका में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा द्वारका में 100% वित्तपोषित भास्कराचार्य अप्लाइड साइंस महिला कॉलेज, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय नीति विश्वविद्यालय पहले से ही सुचारु रूप से चल रहे हैं। द्वारका के सेक्टर–9 में पहले से स्थापित आई.टी. आई. में विश्व स्तरीय कौशल विकास केन्द्र को खोलने का प्रस्ताव है।

(ख) उपरोक्त।

28. श्री सुखबीर सिंह दलाल : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुंडका विधान सभा के अन्तर्गत घेवरा मोड़, घेवरा पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी/स्कूल बनाने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उपरोक्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी/स्कूल के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं;

(घ) उपरोक्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी/स्कूल के निर्माण हेतु पिछले 10 महीनों में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) मुण्डका विधानसभा में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की क्या योजनाएं हैं;

(च) क्या उपरोक्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी/स्कूल हेतु सरकार द्वारा दिए गए 10 करोड़ रुपये को इसके निर्माण हेतु उपयोग किया जा चुका है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) हां, यह सत्य है।

(ख) वर्तमान में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी/स्कूल के निर्माण हेतु उप–कुलपति, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु योजना बना रही है।

(ग) उपरोक्त स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी/स्कूल के निर्माण हेतु एक कन्सेप्ट नोट बनाया जा चुका है। इसके अनुमोदन पश्चात् डिटेल प्रॉजेक्ट रिर्पोट इत्यादि बनाई जाएगी।

(घ) दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्पोर्ट विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए प्रोफेसर श्री अनिल कुमार त्यागी, उपकुलपति, गुरू गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है जिसके अन्तर्गत दिल्ली स्पोर्ट विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए योजना बनाई जा रही है।

(ङ) समय–समय पर सरकार उच्च शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु योजनाएं बनाती है। परन्तु इन योजनाओं की सीमा विधानसभा वार नहीं होती।

(च) स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी/स्कूल हेतु सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 में 1.0 (एक) करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो कि कन्सेप्ट नोट के अनुमोदन के आने पर उपयोग किया जा सकेगा।

(छ) उपरोक्त।

29. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की द्वारका विधान सभा क्षेत्र में कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा; और

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा पिछड़े विधान सभा क्षेत्रों में कौशल विकास को प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) से (ग) शिक्षा संस्था खोलने का निर्णय विधान सभा की सीमाओं के अनुसार नहीं लिया जाता क्योंकि ये यथासमय परिवर्तित होती रहती हैं। जमीन की उपलब्धता होने पर ये संस्थान किसी भी क्षेत्र में खोली जा सकती हैं।

द्वारका के सेक्टर–9 में पहले से स्थापित आई.आई.टी. में विश्व स्तरीय कौशल विकास केन्द्र को खोलने का प्रस्ताव है।

30. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की राजेन्द्र नगर विधानसभा क्षेत्र में 'स्किल–सेन्टर' तथा 'वोकेशनल–सेन्टर' खोलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) और (ख) शिक्षा संस्थान खोलने का निर्णय विधान सभा की सीमाओं के अनुसार नहीं लिया जाता क्योंकि ये यथासमय परिवर्तित होती रहती हैं। जमीन की उपलब्धता होने पर ये संस्थान किसी भी क्षेत्र में खोले जा सकते हैं।

किन्तु राजेन्द्र नगर विधान सभा क्षेत्र से लगे हुए पूसा संस्थान में स्किल–सेन्टर खोलने की योजना है।

31. श्री चौ. फतेह सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बच्चों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार की मंडोली गांव में बहु–तकनीकी शिक्षण संस्थान खोलने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो मंडोली गांव में यह शिक्षण संस्थान कब तक खोल दिया जायेगा?

उप मुख्यमंत्री : (क) और (ख) शिक्षा संस्था खोलने का निर्णय विधान सभा की सीमाओं के अनुसार नहीं लिया जाता क्योंकि ये यथासमय परिवर्तित होती रहती हैं। जमीन की उपलब्धता होने पर ये संस्थान किसी भी क्षेत्र में खोले जा सकते हैं।

इस विभाग ने मंडल आयुक्त से मंडोली गांव में जमीन उपलब्ध करने के लिए निवेदन किया है। जैसे ही यह जमीन आबंटित हो जाती है, शिक्षण संस्थान खोलने की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी।

32. सुश्री भावना गौड़ जी : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत पालम विधान सभा में आबंटित किए गए कुल प्लाटों का पूर्ण विवरण क्या है?

राजस्व मंत्री : (क) सूचना एकत्रित की जा रही हैं।

33. सुश्री भावना गौड़ जी : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा की कुछ भूमि खाली है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस पालम विधान सभी क्षेत्र की ग्राम सभा की कुछ भूमि पर अवैध कब्जे है;

(ग) यदि हां, तो इन अवैध कब्जों का पूर्ण विवरण क्या है;

(घ) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत खाली पड़ी भूमि का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ङ) ग्राम सभा की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

राजस्व मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जिस भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण को कब्जा मिला है वह पूर्ण रूप से खाली है।

(ग) शून्य उपरोक्त और (ख) के संदर्भ में।

(घ) पालम विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत खाली भूमि का विवरण संलग्न है।

(ङ) शून्य उत्तर (ख) के संदर्भ में।

Annexure-1

पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतरगत ग्राम सभा की खाली पड़ी पूर्ण विवरण

Sr. No.	Locality	Area in Sqm
1.	Vacant land in Pkt. 18B/Palm Sec-7 Dwarka	6900
2.	Vacant land near Gas, Go-down Sec-7, Dwarka	300
3.	HAF-1 Sec-7, Dwarka	6583
4.	LSC-II, Sec-7, Dwarka	1410
5.	HAT-II, Sec-7, Dwarka	6000
6.	OCT, Sec-7, Dwarka	1000
7.	Maternity Home, Sec-7, Dwarka	1100
8.	OCF, Sec-1, Dwarka	1037

34. श्री जरनैल सिंह : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्व विभाग में अफगान शरणार्थियों के भारतीय नागरिकता के लिए कितने आवेदन लंबित है;

(ख) ये आवेदन कितने वर्षों से लंबित है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार का कोई आदेश सं. 3022 दि. 23 दिसंबर 2016 प्राप्त हुआ था;

(घ) इस आदेश के बाद कितने आवेदकों को नागरिकता दी गयी है, और;

(ङ) शेष आवेदकों को कब तक नागरिकता दे दी जाएगी?

राजस्व मंत्री : (क) लगभग 3513 मामले लंबित है।

(ख) पश्चिम जिले में लगभग 10—15 वर्षों, दक्षिण, पूर्वी जिले में लगभग एक वर्ष तथा दक्षिण पश्चिमी जिले में लगभग 08 से 09 वर्षो से लंबित है।

(ग) जी हां।

(घ) जिला पश्चिमी जिले के अन्र्तगत 23.12.2016 के पश्चात गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गए 12 नागरिकता प्रमाण पत्र आवेदकों को दिए गए है जो पहले से गृह मंत्रालय में अंतिम प्रक्रिया में थे परन्तु स्पष्टीकरण लंबित होने की वजह से अभी तक किसी भी आवेदक को उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत इस कार्यालय से नागरिकता प्रदान नहीं की है। दक्षिण पूर्व में 06 आवेदकों को भारतीय नागरिकता दी गई और एक मामला नागरिकता प्रदान करवाने हेतु गृह विभाग को भेजा गया है।

(ङ) इस संबन्ध में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा बनाये गए ऑनलाइन पोर्टल के एक्सेस/उनसे स्पष्टीकरण मिलने के उपरांत ही इस विभाग द्वारा शेष आवेदकों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है।

35. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गांव सनौठ, होलम्बी कलां, शाहबाद दौलतपुर, घोघा इत्यादि में दिल्ली सरकार ने लगभग वर्ष 2004–05 में जमीन एक्वायर की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां के किसान, भूमिधरों तथा ग्राम सभा की जो जमीन अधिग्रहण की गयी थी, उसके बदले में उनको सबको मुआवजा दे दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उस अधिग्रहित जमीन को किसी कारणवश विवादित घोषित किया गया;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि कुछ ग्राम निवासियों ने इन दस्तावेजों के जाली होने की शिकायत की है;

(च) यदि हो तो क्या दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है;

(छ) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम निवासियों द्वारा इस रैकेट को उजागर करने के लिए विभिन्न विभागों तथा अधिकारियों को शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ज) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गयी है; और

(झ) जिन अधिकारियों ने इसमें अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया है, उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई प्रस्तावित है, पूर्ण विवरण दें?

राजस्व मंत्री : (क) यह सत्य है कि वर्ष 2004—05 में गांव सन्नौठ, होलम्बी कलां में जमीन एक्वायर की गई थी। गांव शाहबाद दौलतपुर अवार्ड नं. 1/98—99 एवं 29/02—03 में व घोघा में अवार्ड न. 5/98—99 में जमीन एक्वायर की गई।

(ख) कुछ मामले विवादित होने के कारण धारा 30—31 में ए डी जे साहब की कोर्ट में विचाराधीन है।

(ग) जी हां।

(घ) भूमि का मालकाना हक एवं कब्जे का विवाद होना।

(ङ) जी हां।

(च) मामला विवादित होने के कारण ए.डी.जे. साहब की कोर्ट में केस विचाराधीन है जो इस मसले पर संज्ञान ले रहे है।

(छ) जी हां।

(ज) जिला दंडाधिकारी कार्यालय, जिला उत्तरी द्वारा शिकायतों पर प्रारंभिक जांच करायी जा रही है।

(झ) प्रारंभिक जांच पूरा होने के बाद उचित कार्रवाई की जा सकती है।

36. श्री नरेश यादव : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजोकरी गांव में कुल कितनी जमीन वन विभाग की है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में वन विभाग की भूमि की पैमाइश की गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसका विवरण;

(घ) यदि नहीं, तो इस भूमि की पैमाइश कब तक की जाएगी;

(ङ) रजोकरी गांव में वन विभाग की भूमि पर हुए अवैध कब्जे हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे है; और

(च) वन विभाग की भूमि पर बने 'होली चौक जोहड़' के विकास की सरकार की क्या योजना है?

राजस्व मंत्री : (क) अधिसूचना के अनुसार वन विभाग की भूमि लगभग 3010 बीघा तथा 13 बिस्वा है।

(ख) से (घ) जी हां। वर्ष 2002 से पैमाइश जारी है। हाल ही में राजस्व एवं वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा रजोकरी वन क्षेत्र की पैमाइश टी.एस.एम. मशीन द्वारा दोबारा करने का निर्णय लिया गया।

(ङ) नए अवैध कब्जे होने की स्थिति में वनकर्मियों द्वारा समय–समय पर तत्काल नये अवैध कब्जों को तोड़ दिया जाता है।

(च) होली चौक जोहड़ खसरा न. 1689 पर स्थित है। इस खसरा संख्या पर लगभग 30% क्षेत्र अवैध रूप से कब्जे में है। वास्तविक स्थिति खसरे की पैमाइश के उपरान्त ही स्पष्ट होगी। इस जोहड़ के विकास के लिए बाढ़ नियंत्रण विभाग के CD-1 मंडल को पत्र लिखा गया है।

37. श्री प्रवीण कुमार : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सिविल डिफेंस में नियुक्ति हेतु क्या प्रक्रिया है;

(ख) उपयुक्त नियुक्तियों का अधिकार किसके पास है;

(ग) दिल्ली सिविल डिफेंस में पंजीकृत लोगों के रिक्त पदों की सूचना किस प्रकार दी जाती है; और

(घ) नई दिल्ली एवं दक्षिण पूर्व जिले में सिविल डिफेंस के रिक्त पदों का विवरण दें?

राजस्व मंत्री : (क) (1) वर्तमान में नागरिक सुरक्षा विभाग, दिल्ली में रिक्त वैतनिक पदों को भरने हेतु 'दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड' को लिखित आग्रह किया जाता है; तदोपरांत् दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा इस विभाग के रिक्त पद/पदों से सम्बंधित भर्ती नियम के आधार पर चयन प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा सफल उम्मीदवारों की सूची विभाग में प्राप्त होने के उपरांत् कर्मचारी/कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है।

(2) नागरिक सुरक्षा संगठन में स्वयं सेवक/सेविका के रूप में नामांकन/भर्ती हेतु राजस्व विभाग की वेबसाइट (e-District portal) पर ऑन लाईन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन हेतु निम्न कार्यविधि अपनाई जाती है :—

1. प्रार्थी सर्वप्रथम खाता (Login ID) बनाए।
2. प्रार्थी फिर आवेदन पत्र (Application form) भरें।
3. पुलिस सत्यापन प्रमाण व अन्य प्रमाण पत्र अपलोड करें।

4. पूर्ण औपचारिकताओं उपरांत आवेदन पत्र जमा (Submit) करें।

5. प्रार्थी आवेदन पत्र/प्रमाणों के सत्यापन उपरांत् सम्बंधित नागरिक सुरक्षा उप–नियंत्रक/उप–मण्डलीय दण्डाधिकारी द्वारा नागरिक सुरक्षा की सदस्यता प्रदान किये जाने के उपरांत् सदस्यता प्रमाण पत्र (Form-C) ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है।

(ख) 1. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार 'भर्ती नियम' के तहत निर्धारित होता है, जो इस प्रकार है:–

(1) प्रथम श्रेणी के कर्मचारी/अधिकारी–माननीय उप–राज्यपाल, दिल्ली।

(2) द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी/अधिकारी–माननीय उप–राज्यपाल, दिल्ली/प्रमुख सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।

(3) तृतीय श्रेणी के कर्मचारी/अधिकारी–विभागाध्यक्ष।

2. स्वयंसेवकों की भर्ती का अधिकारी 'उप–नियंत्रक नागरिक सुरक्षा/उप–मण्डलीय दण्डाधिकारी' के पास है।

(ग) रिक्त पदों की सूचना जिला के प्रतिपालकों (Wardens) को समय–समय पर आयोजित बैठकों के दौरान दी जाती है तथा परिपत्र भी जारी किया जाता है, जिसकी प्रति को उप–नियंत्रक नागरिक सुरक्षा/उप–मण्डलीय दण्डाधिकारी कार्यालय एवंम् नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचनार्थ लगाया जाता है।

(घ) सूचना संलग्न है।

DISTRICT CIVIL DEFENCE OFFICE, NEW DELHI DISTRICT, 10/11, JAM NAGAR HOUSE, NEW DELHI-110011

F.NO.ICD/CD/NEW DELHI/(31)/2017/9973 DATED : 31.08.2017

To,

SSO (CD)/ HOO,
Directorate of Civil Defence, Delhi,
1, Kripa Narayan Marg Delhi

Sub: Reply of Parliament questions Distt: New Delhi.

S.No.	Target Strength	Total Enrolled Strength	Total Trained Strength	Remarks
1.	22325	2969	1222	

MALE WING

Sl. No.	Name of Post	Target Strength	Present Status	Vacant position
1	2	3	4	5
2.	Sr. Chief Warden	1	1	N/A
	Chief Warden	1	1	N/A
	Addl. Chief Warden (M)	1	1	N/A

1	2	3	4	5
	Addl Chief Warden (L)	1	-	1
	Dy. Chief Warden (HQ)	1	-	1
	Dy. Chief Warden (Zonal)	3	2	1
	Divisional Warden	19	8	11
	Dy. Divisional Warden	38	9	29
	Post Warden	190	8	182
	Dy. Post Warden	190	24	166
	Sector Warden	1900	17	1883
	Messenger	380	-	3.80
	H.F.P. (M)	15200	2404	12756
	TOTAL (MEN)	17925	2475	15410

FEMALE WING

Sl. No.	Name of Post	Target Strength	Present Status	Vacant position
1	2	3	4	5
3.	Lady Warden	19	0	19
	Dy. Lady Warden	19	1	18

1	2	3	4	5
	Group Leader	114	4	110
	H.F.P. (L)	4256	489	3767
	Total (Women)	4408	494	3914

Sd/-

(KARAM CHAND SHARMA)

SR. lCD, NEW DELHI DISTRICT

DISTRICT OFFICE CIVIL DEFENCE

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

District Magistrate (South-East) Office Complex, Room No. 114. Ist Floor, Amar Colony, Lajpat Nagar-IV, New Delhi -110024

Tel : 011-26471803, E-mail : dcdsoutheast@gmail.com

File .No. (06)/CD/Gen. Corr. (Parliament)/ SE/2017/388 Date : 31.07.2017

To,

The SSO (CD)/HOO
Directorate of Civil Defence, Delhi
1, Kripa Narayan Marg, Delhi-110054.

Sub:- Reply of Parliament Questions Distt: South-East, Date: 31/07/2017

S.No.	Total Enrolments & Trained Strength of CD Members			
	Target Strength	Total Enrolled Strength	Trained Strength of CD Members	Remarks
1.	22,333	4,766	1.796	
2.		Total Wardens		
a.		Men Wing		

Sl. No.	Name of Post	Target Strength	Present Status	Vacant position
1	2	3	4	5
	Sr. Chief Warden	1	1	N/A
	Chier Warden	1	1	N/A
	Addl. Chief Warden (M)	1	1	N/A
	Addl Chief Warden (W)	1	0	1
	Dy Chief Warden (HQ)	1	1	N/A
	Dy. Chief Warden (Zonal)	3	3	N/A
	Divisional Warden	19	7	12
	Dy. Divisional Wardens	38	12	26
	Post Warden	190	16	174
	Dy. Post Warden	190	6	184
	Sector Wardens	1900	7	1893
	Messenger	380	0	380
	Member of Men Volunteers	15200	4065	11135
	Total (Men)	17925	4120	13805

b.	Ladies Wing		
Lady Warden	19	0	19
Dy. Lady Warden	19	0	19
Group Leader	114	3	111
Member of Lady Volunteers	4256	643	3613
Total (Women)	4408	646	3762

Sd/-

(A.K. Verma)

Inspecting Officer (CD)
Distt: South-East

38. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधान सभा के अंतर्गत दिल्ली सरकार की खाली पड़ी जमीनों की वर्तमान स्थिति क्या है, पूर्ण विवरण दें;

(ख) उपरोक्त खाली पड़ी जमीनों का लैंड यूज क्या है;

(ग) दिल्ली सरकार की जमीनों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए भू–माफियाओं के विरूद्ध सरकार द्वारा कार्रवाई करने में देरी के क्या कारण है; और

(घ) इन अनाधिकृत कब्जों के मामलों के निपटान हेतु क्या दिल्ली सरकार की कोई विशेष कार्य योजना है?

राजस्व मंत्री : (क) से (घ) द्वारका विधान सभा क्षेत्र में जिला दक्षिण पश्चिम में 2 गांव थे, नसीरपुर तथा डाबरी। यह दोनो ही गांव वर्ष 1994 की अधिसूचना द्वारा गांव नसीरपुर तथा डाबरी शहरीकृत घोषित हो गये है। अनाधिकृत कब्जों के मामलों में संबन्धित जिलाधिकारी की देख–रेख में उचित कार्रवाई की जाती है।

39. श्री अजय दत्त : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर विधानसभा स्थित विराट पार्क किस विभाग के स्वामित्व में है;

(ख) इस भूमि का लैंड यूज क्या है;

(ग) क्या सरकार की विराट पार्क को ग्रीन पार्क बनाकर उसमें पेड़–पौधे लगाने की कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) विराट पार्क में लगने वाले मेले के लिए किन–किन विभागों से स्वीकृति ली जाती है; और

(छ) पिछले 5 वर्षों में किस–किस विभाग द्वारा इस हेतु स्वीकृति प्रदान की गई, पूर्ण विवरण दें?

राजस्व मंत्री : (क) अम्बेडकर नगर विधानसभा स्थित विराट पार्क दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व में है।

(ख) इस भूमि लैंड यूज हरित क्षेत्र है।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग एक वर्ष में कार्यान्वित कर दिया जायेगा।

(ङ) उपरोक्त के संदर्भ में लागू नहीं है।

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्यान विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाता है। इसके अलावा मेले की प्रकृति के अनुसार अन्य विभाग जैसे कि यातायात पुलिस विभाग, पुलिस लाइसेंसिग विभाग इत्यादि से भी आपत्ति प्रमाण पत्र या स्वीकृति ली जाती है।

(छ) केवल दिल्ली विकास प्राधिकरण के दक्षिण अभियन्ता विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

40. श्री सोमनाथ भारती : क्या **राजस्व मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्षदों/विधायकों/सांसदों के शपथ–पत्र में वर्तमान और इसके पिछले कार्यकाल में दी गई सम्पत्तियों का टाईटल्स, डाईमेंशन व कीमत सहित पूर्ण विवरण क्या है; और

(ख) उपरोक्त सम्पत्तियों के डिमार्केशन की क्या प्रक्रिया है?

राजस्व मंत्री : (क) विधायकों/सांसदों के शपथ–पत्र कार्यालय मुख्य निर्वाचन आधिकारी, दिल्ली की वैबसाईट www.ceodelhi.nic.in पर उपलब्ध लिंक http://affidavitarchive.nic.in/ पर प्राप्त की जा सकती है।

पार्षदों से संबंधित जानकारी इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

(ख) इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।

41. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा 01 जनवरी 2017 से 30 जून 2017 के दौरान डी.डी.ए. के अधिकारियों के विरुद्ध कितनी एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं;

(ख) उपरोक्त एफ.आई.आर. के मामलों में अभियुक्त डी.डी.ए. के अधिकारियों के नाम, पदनाम व एफ.आई.आर. नम्बर सहित पूर्ण विवरण दें;

(ग) एफ.आई.आर. के उपरोक्त कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है, केस नम्बर व कोर्ट के नाम सहित पूर्ण विवरण दें;

उप मुख्यमंत्री : (क) कोई नहीं।

(ख) कोई नहीं।

(ग) कोई नहीं।

यह पत्र माननीय मत्री, सतर्कता विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

42. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा भारत सरकार एवं दिल्ली सरकार के कितने कर्मचारियों के विरूद्ध मामले दर्ज किए गए हैं।;

(ख) 01 जनवरी 2015 से 30 जनवरी 2017 के दौरान दर्ज मामलों में अभियुक्तों के नाम, पदनाम व FIR नं. सहित पूर्ण विवरण दें।;

(ग) 01 जनवरी 2015 से 30 जनवरी 2017 के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दिल्ली पुलिस के कर्मियों के विरूद्ध कितनी FIR दर्ज की गई है;

(घ) दिल्ली पुलिस कर्मियों के विरुद्ध दर्ज FIR के उपरोक्त कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है, कृपया केस नम्बर, कोर्ट के नाम सहित पूर्ण विवरण दें;

उप मुख्यमंत्री : (क) से (ख) 01 जनवरी 2015 से 30 जनवरी 2017 तक भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा 47 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं। एफ. आई.आर. होने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक शाखा जांच करती है तथा जाच के दौरान साक्ष्य के आधार पर जाच एजेंसी आरोपियो की संख्या में बढ़ोतरी कर सकती है।

(ग) 01 जनवरी 2015 से 30 जनवरी 2017 के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दिल्ली पुलिस के कर्मियों के विरूद्ध 01 FIR दर्ज की गई है।

(घ) FIR नम्बर 10/15–महिला/निरीक्षक राजकुमारी FIR नम्बर 15/15, ASI Amar Singh] HC Anil Kumar & Ct. Shravan

(ङ) उपरोक्त दोनो केस अभी विवेचनाधीन हैं।

यह पत्र माननीय मत्री, सतर्कता विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

43. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को 01 जनवरी, 2015 से 30 जून, 2017 के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई, इन सभी शिकायतों की प्रति प्रदान करें;

(ख) 01 जनवरी, 2015 से 30 जून, 2017 के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा कितनी शिकायतों पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई है, इन सभी एफ.आई.आर. की प्रति प्रदान करें;

(ग) 01 जनवरी, 2015 से 30 जून, 2017 के दौरान दर्ज कितनी एफ.आई.आर. के मामलों में जांच की गई है;

(घ) उपरोक्त एफ.आई.आर जांच के मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) उपरोक्त एफ.आई.आर. जांच के कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है; और

(च) उपरेक्त सभी मामलों में केस नम्बर, कोर्ट नम्बर सहित पूर्ण विवरण दें?

उप मुख्यमंत्री : (क) प्रतीक्षित। www.delhiassembly.nic.in/पर।

44. श्री राजेश गुप्ता : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली पुलिस और एण्टी क्रप्शन ब्रांच दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है;

(ख) यदि हां तो दिल्ली सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार की शिकायतों की सुनवाई दायित्व किस एजेंसी का है;

(ग) वर्तमान सरकार द्वारा अब तक ऐसे कितने मामले निपटाए गए हैं;

(घ) ऐसे कितने मामले अभी तक लम्बित हैं; और

(ङ) सतर्कता विभाग में कितने कर्मचारी तैनात हैं और उनका वरियता क्रम क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.05.2015 के अनुसार दिल्ली पुलिस और एण्टी क्रप्शन ब्रांच माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली, के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

(ख) दिल्ली सरकार के विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की सनुवाई का दायित्व एण्टी क्रप्शन ब्रांच, सतर्कता विभाग के साथ साथ संबंधित विभागों का भी है।

(ग) 1/4/2015 से 4 अगस्त 2017 के दोरान 138 कर्मचारियों के मामले विभागीय कार्यवाही में निपटाए गए।

(घ) 217 मामलों में विभागीय कार्यवाही चल रही हैं।

(ङ) सतर्कता विभाग में कुल 72 कर्मचारी तैनात हैं जिनकी वरियता क्रम निम्न है :—

1. प्रधान सचिव
2. विशेष सचिव
3. उप सचिव
4. सहा. निदेशक
5. अधीक्षक
6. सहा. लेखा अधिकारी
7. कंसलटैंट
8. मुख्य लिपिक
9. अवर लिपिक
10. आशुलिपिक
11. लिपिक
12. हैड कांस्टेबल/कैशियर
13. वाहन चालक
14. चपरासी
15. होम गार्ड
16. डाटा एंट्री ऑपरेटर
17. सिविल डिफैंस

यह पत्र माननीय मत्री, सतर्कता विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।

45. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **प्रशासनिक सुधार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार दिल्ली के सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार हटाने तथा पारदर्शिता लाने के लिए वचनबद्ध है;

(ख) यदि हां तो प्रशासनिक सुधार विभाग ने इसको लागू करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए हैं, ब्योरा दें;

(ग) प्रशासनिक सुधार विभाग ने किस–किस विभाग में कौन–कौन से पद सृजित करने के लिए अनुशंसा की है;

(घ) किस–किस विभाग में कार्य अनुपात से ज्यादा पद हैं, उन पदों को समाप्त करने के लिए कहा है, पूर्ण ब्योरा दें; और

(ङ) अभी तक ई–गवर्नेन्स कितने विभागों में लागू नहीं किया गया है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

प्रशासनिक सुधार मंत्री : (क) जी हां।

(ख) अनुसंलग्नक 'क' अनुसार।

(ग) और (घ) सूची अनुसंलग्नक 'ख' अनुसार।

(ङ)

1. ई–आर.टी.आई. पोर्टल का 10 जुलाई 2017 को दिल्ली सरकार के सभी विभागों/स्थानीय निकाय इत्यादि मे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुभारम्भ किया गया।

2. 08 विभागों के संबंध में ई–जिला पोर्टल पर ई–सेवा दी जा रही है। कई अन्य विभाग भी अपने वेब पोर्टल्स पर सेवाए प्रदान कर रहे हैं।

3. सेवाओं के समयबद्ध निष्पादन के लिए 361 सेवाओं को अधिसूचित किया गया है।

Annexre-'क'

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Details of steps taken up by Administrative Reforms Department to eradicate the corruption :

1. The Public Grievance Monitoring System has been created for time-bound resolution of problems and receives complaints online and physically. Approximately, 220 Departments have been connected through the PGMS portal for timely disposal of the registered grievances within the stipulated time.

2. E-RTI online portal has been launched by Hon'ble Chief Minister of Delhi on 10.07.2017 for providing facility of on-line filling of RTI applications as well as appeals to the general public in departments/public authorities under Govt. Of NCT of Delhi.

3. To eliminate public harassment, requirement of 200 types of affidavits asked by public dealing departments/ local

bodies/other organisation under GNCTD for various public services and necessity of attested copy of documents have been abolished and in place self-declaration/attestation has been adopted vide Cabinet Decision No. 2238 dated 03.11.2015.

4. Council of Ministers, GNCTD vide Cabinet Decision No. 2132 dated 03.03.2015 approved the setting up of 24x7 Call centre service for providing Anti-Corruption Helpline through a toll free number '1031'. Ever since, till date the call centre has been functioning to receive the anti corruption calls and for other purposes.

5. In order to bring transparency and awareness in the general public about the facility provided by the Government for redressing their grievances, all the officers of GNCTD were directed to be available in their seats between 10.00 am to 11.00 am for facilitating meetings to general public without appointments in all working days.

Annexure-'ख'

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Details of posts recommended for creation and abolition:

(Report for the period from 01-04-2016 to 31-03-2017)

Sl.No.	Name of department	No. of posts recommended for creation					No. of posts recommended for abolition				
		Regular				Outsource Contract	Regular				Outsource/ Contract
		A	B	C	Total		A	B	C/D	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Delhi Dispute Resolution Society (under Law Department)	06	-	02	08	4	-	-	-	-	-
2.	Delhi Technological University	256	-	-	256	-				-	-
3.	Deptt. of Archy.	-	-	-	-	43	-	-	10	10	42
4.	ITI Narela	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

5.	Meera Bai Institute of Technology through TIE	04	-	-	04	-	-	-	-	-	-
6.	Delhi Pharmaceutical Sciences & Research University	-	02	-	02	-	-	-	-	-	-
7.	G.B. Pant Institute of Technology	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
8.	Camp Office of Hon'ble Minister, GAD	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
9.	Camp office of CM	-	-	-	-	9	-	-	-	-	
10.	Department of Food Safety	-	01	-	01	02	-	-	-	-	-
11.	Department of TIE (Emp. Skillinst.)	-	26	-	26	-	-	-	-	-	15
12.	Central Jail Department	01	41	429	471	-	-	-	-	-	-
13.	ACL Deptt.	-	-	-	-	02	-	-	-	-	-
14.	Department of Achy.	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-
15.	Rajokari Inst. Of Tech. (Under Dte. of TIE)	19	05	29	53	04				-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	Consumer Dispute Redressal Forum	-	-	22	22	-	-	-	-	-	-
34.	Deen Dayal Upadhaya College	-	-		-	25	-	-	-	-	-
35.	Family Courts	-	_	38	38	-	-	-	-	-	-
36.	Directorate of Education	-	-	90	90	-	-	-	-	-	-
31.	Delhi Judicial Academy	-	-		-	12	-	-	-	-	-
38.	Maharishi College of Engineering	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
39.	DHS	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
40.	Deep Chand Bandhu Hospital	-	-		-	15	-	-	-	-	-
41.	New Delhi & Central D. F.	-	26		26	-	-	-	-	-	-
42.	Ambedkar University	-	-		-	28	_	_	-	-	-
43.	Lok Nayak Hospital {Neonatology Srs.}	9	-	-	09	_	-	-	-	-	-
44.	Guru Teg Bahadur Hospital {GTBH}	7	3	12	22	6	-	-	-	-	-

45.	lok Nayk Hospital {Peds SRs.)	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
46.	Dada Dev Hospital (Gynaecology Srs)	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
47.	MAIDS	17	24	33	74	96	-	-	-	-	-
48.	Education Deptt.	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-
49.	Kanti Nagar Dental Polyclinic	2	1	2	5	3	-	-	-	-	-
50.	Bhagwan Mahavir Hospital	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
51.	Lok Nayak Hospital IT Cadre	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
52.	Lok Nayak Hospital (Peds Srs.)	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-
53.	Jag Pravesh Chandra Hospital	-	-	4	4	36	-	-	3	3	-
54.	Maulana Azad Medical College	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-
55.	Delhi Pharmaceutical Science and Research University	25	7	12	44	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.	Delhi Fire Service Department	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
57.	National Blood Transfusion Council/National AIDS Control Organisation	4	2	8	14	12	-	-	-	-	-
58.	Sardar Vallabh Bhai Patel Hospital	5	8	12	25	12	-	-	-	-	-
59.	Sanjay Gandhi Memorial Hospital	2	-	8	10	3	-	-	-	-	-
60.	SDDMASC	4	13	7	24	6	-	-	-	-	-
61.	LBS Hospital	1	1	5	7	1	-	-	-	-	-
62.	Guru Nanak Eye Centre	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-
63.	CNBC Hospital	-	-	41	41	41	-	-	-	-	-
	Total										

46. श्री सोमनाथ भारती : क्या **प्रशासनिक सुधार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के अन्तर्गत कितने विभाग आते हैं;

(ख) दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आने वाले विभाग किसके प्रति उत्तरदायी है;

(ग) क्या दिल्ली सरकार के उपरोक्त विभागों का कभी परफोर्मंस ऑडिट किया गया है;

(घ) दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आने वाले विभागों के कर्मचारियों की विभाग–वार स्ट्रेंग्थ, पिछले पांच वर्षों की वार्षिक कमाई व कर्मचारियों के वेतन सहित खर्च का पूर्ण विवरण दें;

(ङ) दिल्ली सरकार के विभागों के बेहतर प्रशासन हेतु पिछले 5 वर्ष में क्या प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किए गए;

(च) क्या उन प्रशासनिक सुधारों को स्वीकार कर लिया गया; और

(छ) यदि नहीं, तो उपरोक्त प्रशासनिक सुधारों पर निर्णय कब से और किसके पास लम्बित है;

(ज) क्या यह सत्य है कि आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों की उपस्थिति इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम से अंगुलियों के निशान द्वारा दर्ज करना लागू किया गया है?

प्रशासनिक सुधार मंत्री : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ङ) संलग्न 'क' के अनुसार।

(च) जी हां।

(छ) उपरोक्त के परिप्रेक्ष्प में लागू नहीं है।

(ज) विगत कई वर्षो से विभिन्न कार्यालयों में बायोमैट्रिक सिस्टम लगाए गए है।

Annexure-'क'

GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

Details of Administrative Reforms proposed for facilitating good governance in departments of GNCTD during last 5 years :

1. The Public Grievance Monitoring System has been created for time-bound resolution of problems and receives complaints online and physically. Approximately, 220 Departments have been connected through the PGMS portal for timely disposal of the registered grievances within the stipulated time.

2. E-RTI online portal has been launched by Hon'ble Chief Minister of Delhi on 10.07.2017 for providing facility of on-line filling of RTI applications as well as appeals to the general public in departments/ public authorities under Govt. Of NCT of Delhi.

3. The Government of NCT of Delhi decided on 03.11.2015 to abolish 200 categories of affidavits which are sought by

various departments, local bodies and other organizations. The Government of NCT of Delhi has also decided that attestation of only those documents expressly approved by concerned ministers will be retained beyond 01.12.2015. In other cases, attestation of documents will be done away with.

4. Council of Ministers, GNCTD vide Cabinet Decision No. 2132 dated 03.03.2015 approved the setting up of 24x7 Call centre service for providing Anti-Corruption Helpline through a toll free number '1031 '. Since its inception, till date the call centre has been functioning to receive the anti corruption calls and for other purposes.

5. In order to bring transparency and awareness in the general public about the facility provided by the Government for redressing their grievances, all the officers of GNCD were directed to be available in their seats between 10.00 am to 11.00 am for facilitating meetings to general public without appointments in all working days.

47. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा से गुजरने वाली नजफगढ़ ड्रेन को विकसित करने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) जी नहीं। ऐसी कोई योजना वर्तमान में इस विभाग में विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) विभाग द्वारा नाले के अनुरक्षण का कार्य समय–समय पर आवश्यकतानुसार कराया जाता है।

48. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि संचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा सेक्टर 11 से सेक्टर 24 को जोड़ते हुए नाले वाले रोड पर दोनों साइड पुल का निर्माण करना है;

(ख) यदि हां, तो कार्य में देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) इस कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति धनराशि दिनांक 21–07–2017 को डिजाईन ड्राइंग के लिए कुल अनुमानित राशि का 1 प्रतिशत अर्थात् रुपये 4.90 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। पुल के लिए मृदा परिक्षण डिजाइन ड्राइंग का कार्य प्रगति पर है। डिजाइन ड्राइंग बनने के बाद कुल अनुमानित लागत का आंकलन, कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के लिये किया जाएगा।

(ग) कार्य की अनुमानित लागत की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कार्य करने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा।

49. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बड़े नालों की सफाई का कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का है;

(ख) यदि हां, तो इस वित्त वर्ष में विभाग द्वारा रिठाला विधानसभा क्षेत्र में कितना पैसा नालों की सफाई में व्यय किया गया; और

(ग) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा इस वित्त वर्ष में रिठाला विधानसभा क्षेत्र में किन–किन नालों की सफाई की गई, पूर्ण विवरण दें?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) दिल्ली के अधिकतर नालों की सफाई का कार्य सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग का है।

(ख) रिठाला विधानसभा के अन्तर्गत पूरक नाला रोहतक रोड़ ब्रिज आर.डी. 22471 मीटर से रिठाला ब्रिज आर.डी. 16436 मीटर तक की सफाई का कार्य विभागीय मशीन के द्वारा किया गया है इस वित्तीय वर्ष में लगभग तीन लाख रुपये की धनराशि व्यय की गई है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

50. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री द्वारा सदन में दिए गए आश्वासन के अनुसार खिड़की एक्सटेंशन एवं पंचशील विहार में वर्ष 2013–14 में सी.सी. रोड बनाते समय नालियॉ न बनाने के भ्रष्टाचार के मामले में सतर्कता जांच की जानी थी;

(ख) यदि हॉ, तो उपरोक्त जांच की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उपरोक्त जांच कब तक शुरू कर दी जाएगी?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) इस सम्बन्ध में सदन के समक्ष दिये गये आश्वासन के सम्बन्ध में विभाग को जानकारी उपलब्ध नहीं है। तथापि माननीय विधायक महोदय द्वारा पूछे गए दोनों कार्यो का विस्तृत विवरण तथा नालियों का निर्माण न करने का पूर्ण विवरण सहित जानकारी संलग्न है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

51. श्री अजय दत्त : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र में कौन से कार्य करवाए गए हैं;

(ख) इस विधानसभा क्षेत्र में अभी और कौन से कार्य किए जाने प्रस्तावित है; और

(ग) इस विधानसभा क्षेत्र में एम.एल.ए. लैंड फंड से किए जा रहे कार्यों के वर्क आर्डर, कम्पलीशन सर्टिफिकेट और कार्य पूर्ण होने की अनुमति तिथि आदि का पूर्ण विवरण क्या है?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) विगत दो वर्षों में कराये गये कार्यों का वर्णन सूची (क) में संलग्न है।

(ख) प्रस्तावित कार्यों की सूची (ख) संलग्न है तथा इन कार्यों का आकलन माननीय विधायक महोदय को संतुति के लिये गये हैं।

(ग) सूची (क) के अन्तर्गत मांगी गई जानकारी का पूर्ण विवरण समाहित है।

सूचि (क)

अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में 2 वर्षों में किये गये व करवाये जा रहे कार्यों का विवरण

Sl. No.	Name of the scheme/work	Adminis-trative (A/A) approval	Date of A/A & E/S	Amount Received	Name of Agency	Awarded Amount	Stipu-lated date of start	Stipulated date of comple-tion	Total Phy progres	Total Exp. on the Scheme	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sh. AJAY DUTT (AC-48) (DS)										
1.	Construction of road between Shiv Mandir to Jawahar Park Portion, ambedkar Naoar AC-48.	23.97	05.02.16	14.50	M/S Ranjit Const. Co.	15.11	07.05.16	04.08.16	100%	1316817.00	Work completed on 03.08.16.
2.	Providing and fixing of Benches in the parks Ambedkar Nagar Constituencv-48.	16.50	14.03.16	8.25	M/S Ranjit Const. Co.	8.65	07.05.16	05.07.16	100%	825000.00	Work completed on 24.09.16.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Improvement of damaged streets in Khanpur village, Ambedkar Nagar Govt.Conlr. Constituency AC-48.	16.25	01.07.16	8.00	M/S Raj Const.	11.08	08.11.16	06.01.17	100%	660366.00	Work completed in 23.05.17.
4.	Construction of Extesnsion road between Shiv Mandir to Jawahar Park end in Dr. Ambedkar Nagar Constituency Thru MLALAD Scheme.	18.77	28.09.16	9.50	M/S Garg Const. Co.	12.40	15.12.16	15.03.17	100%	950000.00	Work completed in 09.03.17.
5.	Supptying and fixing of Security gates in Dakshinpuri A,B,C, J, K, L-Block in Dr. Ambedkar Nagar Constituency Thru MLA LAD Scheme.	35.79	28.09.16	18.00	M/S Global constr. Govt. Contar.	30.00	15.12.16	14.02.17	75%	1011917.00	Work in progress & likely to be completed i.e. 31.08.17.

6.	Supply & Fixing of Security Gates in DDA flates & BG, A-I to H 1st block Madangir in Ambedkar Nagar Constituency.	23.48	22.11.16	11.50	M/S AZZ infracon Pvt.Ltd.	19.58	210117	06.03.17	90%	730177.00	Work in progress & likely to be completed i.e. 31.08.17.
7.	Demolishing and reconstruction of Jatav Chaupal in Khanpur village, Ambedkar Nagar. (AC-48).	18.93	24.10.16	9.50	M/S AZZ infracon Pvt.Ltd.	16.16	21.01.17	19.07.17	20%	0.00	Work in progress & likely to be completed i.e. 31.12.17
8.	Supply and Fixing of Security Gates in Pushp Vihar in Ambedkar Nagar Constituency AC-48 thru MLA LAD Scheme.	29.85	07.03.17	15.00	M/S AZZ infracon Pvt.Ltd.	23.13	11.05.17	07.09.17	40%	0.00	Fabrication of gate is in progress & likely to be completed i.e. 31.08.17.
	Total	183.54		94.25		136.11				5494277.00	

सूचि (ख)

अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यों का विवरण

संख्या नं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1.	Providing & fixing of R.C.C. benches in Place in Ambedkar Nagar AC-48. (MLA LAD)	रु. 16.50 लाख

52. श्री दत्त शर्मा : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा 3 वर्ष पूर्व भजनपुरा थाने के पास जल निकासी के लिए पम्प लगया गया था;

(ख) यदि हॉ, तो इस निकासी पम्प को अब तक क्रियान्वित न किए जाने के क्या कारण है; और

(ग) इस पम्प को कब तक पूर्ण रूप से क्रियान्वित कर आम जनता को पानी की आपूर्ति शुरू की जाएगी?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) जी नहीं। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा 3 वर्ष पूर्व भजनपुरा थाने के पास जल निकासी के लिए पम्प नहीं लगाया गया था। केवल पम्प का निर्माण किया गया है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) उपरोक्तानुसार।

53. श्री प्रवीण कुमार : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण क्या है;

(ख) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में विधायक फंड से किए गए एवं किए जाने वाले कार्यो, टेंढर प्रक्रिया एवं ठेकेदार का पूर्ण विवरण क्या है; और

(ग) उपरोक्त विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारियों के नाम व सम्पर्क नम्बर क्या हैं?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री : (क) इस विभाग के अन्तर्गत जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में किये गये कार्यों का विवरण सूचि (क) में संलग्न है।

(ख) उपरोक्तानुसार

(ग) अधिशासी अभियंता – 9958890103 (रविन्द्र कुमार)

सहायक अभियन्ता – 9818120094 (एस.के. अग्रवाल)

कनिष्ठ अभियंता – 9810245550 (तनवीर अहमद)

Sl.No.	Name of the scheme/work	Project I.D. No.	Amount of A/A & (Rs. in lacs)	Date of A/A & E/S.	Awarded Amount & Agency (Rs. in lacs)	Date of Start	Date of Completion	Total upto date Expdr. On the Scheme	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	20	21
AREA M.L.A. Sh. Praveen Kumar (AC-41)									
1.	Development of streets/roads in **Kasturba Niketan** Complex Lajpat Nagar in Assembly Constituency Jangpura (AC-41) MLA LAD FUND		17.82 8,91,068.00	23.02.2016	15.18 M/S Raj Construction	21.05.16	28.10.16	17.99	Work Completed
2.	Providing and fixing **RCC Table Bench in Public Parks** in Assembly Constituency Jangpura **(AC-41) MLA LAD FUND**		18.93 9.465	18.03.2016	15.221 M/S Shusheel Kumar & Brothers	14.05.16	10.08.16	9.46	Work Completed
								27.45	

54. श्री पंकज पुष्कर : क्या **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कौन से कार्य किए जाने प्रस्तावित है;

(ख) इन कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के स्वामित्व या उपभोग अधिकार में सी.डी. 2, 6, 9 एवं 10 के अंतर्गत कौन सी भू संपदा है, इसका पूर्ण विवरण क्या हैं?

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण : (क) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अन्तर्गत तिमारपुर विधानसभा में प्रस्तावित कार्यों का विवरण ''संलग्नक क'' में संलग्न है।

(ख) उपरोक्तानुसार

(ग) सी.डी.—9 के स्वामित्व या उपयोग अधिकार में पूरक नाला वजीराबाद से लेकर आउटफाल तक और वजीराबाद स्टोर आता है। वजीराबाद सड़क से सीडी—6 के अन्तर्गत आर.एम.ई रामघाट तक तथा सी. डी.—10 अन्तर्गत जहांगीरपुरी ड्रेन एवं गोपालपुर स्टोर आता है। सी.डी.—2 अन्तर्गत नजफगढ़ ड्रेन एवं तिमारपुर स्टोर, सी.डी.—14 के अन्तर्गत तिमारपुर स्टोर आता है।

संलग्नक (क)

Sl.No.	Name of Scheme	Amount lacs	Present Status	Remarks
	Sh. Pankaj Pushkar, Timarpur AC			
1.	Restoration of pot hoples made by Rain at Jagatpur bund	0.91	Work awarded on	
2.	Construction of side drains and providing and laying of RMC on Main gali & gali No. 3 and 9 in Wazirabad Village AC Timarpur, Delhi	82.00	Copy of estimate submitted in the my received office of MLA, Timarpur in December 2016 for further transmission to DUDA	AALES

55. श्री राजेश गुप्ता : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्तमान सरकार द्वारा अप्रत्याशित बहुमत पाने के बावजूद इसके विधायको को फुटपाथ पर चलने जैसे मुलभूत अधिकारों के लिए नगर निगम तथा यातायात पुलिस के पास जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि आम जनता के अधिकारों के लिए उपराज्यपाल महोदय ही सक्षम प्राधिकारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो वे कौन से विभाग हैं जहां उपराज्यपाल महोदय ही विभागीय प्रमुख है?

विधि और न्याय मंत्री : (क) ऐसी कोई सूचना इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) उपरोक्त

(ग) उपराज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है। दिल्ली सरकार के कार्य विभिन्न विभागों में व्यावसायिक नियमों का आबंटन (ABR) के अनुसार बांटे गए है जिसे सम्बंधित विभाग के सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

(घ) उपरोक्त

56. श्री सोमनाथ भारती : क्या **विधि एवं न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोअर कोर्ट्स में कोर्ट–वार जजों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या कितनी है;

(ख) निम्न और उच्च न्यायालयों में कोर्ट–वार व विषय–वार कितने मामले लंबित हैं;

(ग) कोर्ट केसेज के शीघ्र निपटान हेतु सरकार की क्या योजना है;

(घ) वर्तमान में कितने पार्षदों/विधायकों/सांसदों के विरूद्ध एफ.आई. आर. दर्ज की गई है तथा किन किन न्यायालयों में उपरोक्त मामले लंबित है, पार्षदों/विधायकों/सांसदों व पुलिस स्टेशन वार पूर्ण विवरण दें;

(ङ) वर्ष 2014 में अब तक हाई कोर्ट में पदोन्नत किए गए जजों का विवरण क्या है;

(च) क्या दिल्ली के न्यायालयों की कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था करने की कोई योजना है; और

(छ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?

रोजगार मंत्री : (क) से (छ) मांगी गई सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्रित की जा रही है प्राप्त होते ही उपलब्ध करा दी जाएगी।

57. श्री राजेश गुप्ता : क्या **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में वर्तमान में रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं;

(ख) यदि हां तो सरकार द्वारा रोजगार के अवसर बढ़ाने और बंद होते रोजगार के अवसरों को बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) पर्यावरण और रोजगार बचाने के उद्देश्य से पर्यावरण और उधोग के आपसी समन्वय हेतु दोनों विभागों की अब तक ऐसी कितनी बैठकें हुईं हैं;

(घ) वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे पिक्लिंग व्यवसाय से जुड़े कर्मचारियों के रोजगार बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

रोजगार मंत्री : (क) और (ख) इस तरह का कोई आंकड़ा रोजगार निदेशालय के पास उपलब्ध नहीं हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। विभिन्न बड़ी–बड़ी कंपनियों से संपर्क कर समय – समय पर रोजगार निदेशालय द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किये जाते हैं।

(ग) पर्यावरण विभाग और उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस संबंध में उत्तर शून्य हैं।

(घ) उद्योग विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस संबंध में उत्तर निम्नलिखित हैं।

वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में पिक्लिंग व्यवसाय से जुड़े व्यवसायीयों को 2010 में इस विभाग ने प्रदूषण के मद्देनजर पिक्लिंग रहित व्यवसाय अथवा अन्य उद्योगों में व्यवसाय परिवर्तन हेतु सुझाव दिया था ताकि रोजगार बचाया जा सके।

58. श्री अजय दत्त : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की दिल्ली में फ्री वाई–फाई प्रदान करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गए है; और

(घ) दिल्ली में फ्री वाई–फाई की सुविधा कब तक दे दी जाएगी?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली सरकार सार्वजनिक स्थानों मे वाई–फाई लगाने हेतु प्रयासरत है।

फ्री वाई–फाई प्रदान करने हेतु अभी कोई नीति निर्धारित नहीं है।

(ख) पायलट परियोजना के अंतर्गत दिल्ली में कुछ हॉट–स्पॉट लगाने की योजना विचाराधीन है।

(ग) सरकार ने दिल्ली आई.आई.टी. अथवा एम.टी.एन.एल. से इस सन्दर्भ में संवाद स्थापित किया है।

(घ) इस सम्बन्ध में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है।

59. श्री आदर्श शास्त्री : क्या **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधानसभा क्षेत्र स्थित नसीरपुर सब्जी मंडी में कुल लाइसेंसधारक विक्रेताओं की संख्या;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस मंडी में कुछ अनाधिकृत विक्रेता भी कार्यरत हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(घ) इन अनाधिकृत विक्रेताओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इन अनाधिकृत कब्जा धारकों को कब तक हटा दिया जाएगा?

राजस्व मंत्री : (क) जैसा कि दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 2.9.2014 के द्वारा नसीरपुर मंडी क्षेत्र को फल व सब्जी के व्यापार के लिए नियमन मुक्त कर दिया गया है। अतः वर्तमान में कोई वैध लाइसेंसधारक नहीं है।

(ख) उपरोक्त के संदर्भ में यह प्रश्न विपणन समिति के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है।

(ग) प्रश्न लागू नहीं होता।

(घ) प्रश्न लागू नहीं होता।

(ङ) प्रश्न लागू नहीं होता।

60. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी मण्डियों की कमेटियॉ पूर्ण रूप से गठित है?

(ख) इन मण्डियों में कौन से सदस्य किस आधार पर मनोनीत किए गए है;

(ग) क्या इन कमेटियों के गठन की कानूनी रूप से भली भाँति जाचँ करवा ली गई थी;

(घ) क्या इन मण्डियों की कमेटियों में केवल किसानो, ट्रेडर्स क्वालिफाइड कमीशन ऐजेंटों तथा तोलने वाले मजूदरों को ही प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है;

(ङ) क्या उपयुक्त नियमों का उल्लघंन करते हुऐ राजनैतिक पार्टी के सदस्यों को मनोनित किया गया है;

(च) क्या इन कमेटियों में चुने हुए प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है;

(छ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(ज) यदि इन कमेटियों में चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्मिलित नही किया गया है, तो इसका कारण क्या है?

विकास मंत्री : (क) वर्तमान में सभी सातों मण्डियों की समितियों के गठन सम्बन्धी प्रक्रिया जारी है।

(ख) – वही –

(ग) – वही –

(घ) सभी मण्डियों के समितियों में किसानों, ट्रेडर्स व कमीशन ऐजेंटों तथा तोलने वाले मजदूरों के अतिरिक्त दिल्ली कृषि विपणन समिति (विनियम) अधिनियम, 1998 की धारा 27 व 36 के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

(ङ) जी नहीं, उपरोक्त (ध) के अनुसार किया जाता है।

(च) जी हां, चुने हुए प्रतिनिधियों को नियमानुसार सम्मिलित किया जाता है।

(छ) विवरण के लिए अनुलंग्नक का अवलोकन करे।

(ज) बिन्दु (च) में दिये गये उत्तर के अनुसार चुने हुए प्रतिनिधियों को समितियों में नियमानुसार सम्मिलित किया जाता है।

(दिल्ली असाधारण गजट खंड–4 में प्रकाशित किए जाने के लिए)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विकास विभाग)
कृषि विपणन निदेशालय
49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
फैक्स सं. 23818298, ई–मेल का पताः dagri@sansad.nic.in

दिनांक 20.12.2016

अधिसूचना

सं. एफ 8/(107)/2016/डी.ए.एम./एम.आर./7903 अधिसूचना सं. सं.एफ 8(107)/2016/डी.ए.एम./एम.आर./7502 दिनांक 08.11.2016 के अनुसरण में और 12.12.2016 को हुए चुनावों का विवरण, दिल्ली कृषि उत्पाद विपणन (चुनाव) नियमावली, 2000 के नियम 59 के अंतर्गत निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त होने पर मैं, साक्षी मित्तल, निदेशक (कृषि विपणन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा उपर्युक्त नियमों के नियम 60(1) के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के सामने वर्णित, चयनित सदस्यों के नाम एवं पतों को अधिसूचित करती हूं :–

क्रम संख्या	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	चयनित प्रत्याशी का नाम	पता
1	2	3	4
1.	लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से दिल्ली कृषि विपणन परिषद का एक सदस्य	श्री मेठा राम कृपलानी	ए–300, सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली–33

1	2	3	4
2. (क)	कृ.उ.वि.स. (रा.म.मं.) आजादपुर में ''लोकल सीट'' के लिए कृ.उ.वि.स. आजादपुर के लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से दो सदस्य	1. श्री अनिल मल्होत्रा 2. श्री भजन सिंह	1464 / 65 पंजाबी मौ. सब्जी मण्डी घंटा घर, दिल्ली–7 ए–356, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली–33
(ख)	कृ.उ.वि.स. (रा.म.मं.) आजादपुर में ''ओपन सीट'' के लिए किसी भी विपणन समिति के लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से एक सदस्य	श्री अमित कुमार गुप्ता	सी.सी.–26बी, शालीमार बाग, दिल्ली–88
3.	लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से कृ.उ.वि.स., केशोपुर के दो	1. श्री अजय पाल	डब्लूजैड 159–ए, तिहाड़ गांव, नई दिल्ली–110018

1	2	3	4
	सदस्य	2. श्री जे.पी. असनानी	एस–2/43ए, पुराना महावीर नगर, तिलक नगर, दिल्ली–18
4.	लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से कृ.उ.वि.स., नरेला के दो सदस्य	1. श्री अरुण कुमार	2046, पुरानी अनाज मण्डी, नरेला, दिल्ली –40
		2. श्री राजकुमार	2082–डी, अनाज मण्डी, नरेला, दिल्ली–40
5.	लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से कृ.उ.वि.स., नजफगढ़ के दो सदस्य	1. श्री विजय कुमार गुप्ता	बी–32, विजय पार्क, नया बाजार, नजफगढ़, दिल्ली–43
		2. श्री हरेन्द्र सिंघल	961, गली जैन मंदिर, नजफगढ़, दिल्ली–43
6.	लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों	1. श्री मुकेश धींगरा	1/15, गली नं. 5, विश्वास

1	2	3	4
	में से कृ.उ.वि.स. (शाहदरा) गाजीपुर के दो सदस्य		नगर, शाहदरा, दिल्ली—32
		2. श्री जगदीश लाल बजाज	190ए/1ए गली नं. 15ए भोलानाथ नगर, शाहदरा, दिल्ली
7.	लाईसेंसधारी व्यापारियों और कमीशन एजेंटों में से पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर के दो सदस्य	1. श्री तेग सिंह	ई—177, अशोक विहार फेस—1, ई. ब्लाक, दिल्ली—52
		2. श्री कृष्ण कुमार	म. नं. 14/456, दक्षिण पुरी, नई दिल्ली—62
8.	लाईसेंसधारी तौलाओं और मापकों में से कृ.उ.वि.स., नरेला का एक सदस्य	श्री रंजीत सिंह	दुकान नं. 2038, पुरानी अनाज मण्डी, नरेला, दिल्ली—40
9.	लाईसेंसधारी तौलाओं और मापकों में से कृ.उ.वि.स., नजफगढ़ का एक सदस्य	श्री बलवीर शर्मा	ए—30, अनाज मण्डी, नजफगढ़, दिल्ली—43

61. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **कृषि एवं विपणन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों की मनमानी से प्रशासन चलाने के कारण आजादपुर स्थित चौधरी हीरासिंह सब्जी व फल मंडी कारण मंडी का रोजमर्रा का प्रशासन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है;

(ख) मंडी में भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता और अराजकता के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) सरकार मंडी की चरमराई हुई व्यवस्था को किस प्रकार दुरुस्त करने जा रही है;

(घ) क्या यह सत्य है कि 24 जुलाई, 2017 को आजादपुर मंडी में धरना आयोजित किया गया था;

(ङ) धरने के तहत क्या–क्या मांगें थी;

(च) सरकार इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है;

(छ) सरकार ने असामाजिक तत्त्वों के द्वारा जबरन वर्षों पुराने कारोबारियों के टमाटर शैड तथा मौसम्बी शैड में किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की है; और

(ज) क्या सरकार द्वारा मंडी में शीर्ष अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है?

कृषि एवं विपणन मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मंडी में प्रतिदिन चेकिंग की जाती है, यदि इस दौरान कोई गलत कार्य में संलिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है। इसके अतिरिक्त ए.पी.एम.सी. प्रशासन ने मंडी के गेटों पर सी.सी. टी.वी. कैमरे लगवाये हैं, जिसकी निरंतर निगरानी की जाती है।

(क) व (ग) प्रश्न के संदर्भ में यह कहना उचित नहीं होगा कि मंडी व्यवस्था चरमराई हुई है। पिछले कुछ समय में ए.पी.एम.सी. प्रशासन ने आजादपुर मंडी में कार्य करने वाले आढ़तियों, व्यापारियों व मजदूरों के लाभ के लिए मंडी में कई विकास के कार्य किए हैं जैसे 15 हाई मास्ट एल. ई.डी. लाईट, ए एवं बी रोड़ पर आर.सी.सी. एवं नालों का पुनः निर्माण, नई फल मंडी में आर.सी.सी. सड़कें, टोल–प्लाजा गेट का निर्माण, दो मोहल्ला क्लीनिकों का निर्माण, नये टॉयलेट ब्लॉकों का निर्माण, मजदूरों के लिए विश्राम स्थल जिसमें मनोरंजन की सुविधा के साथ–साथ ठंडे पानी के लिए फ्रीजर की व्यवस्था की गई है तथा मंडी परिसर में विभिन्न स्थानों पर पीने के पानी के लिए नये प्याउ का निर्माण किया गया है।

(घ) धरने की कोई औपचारिक सूचना ए.पी.एम.सी. कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) धरने की कोई औपचारिक सूचना ए.पी.एम.सी. कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई इसके साथ–साथ मांगों से संबंधित कोई औपचारिक पत्र भी प्राप्त नहीं हुआ है।

(छ) सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पिछले तीन वर्षों के मंडी शुल्क के आधार पर टमाटर व मौसम्बी शैड के फडों का पारदर्शी तरीके से पुनः आवंटन किया जायेगा।

(ज) नहीं, ऐसी कोई कार्रवाई विचाराधीन नहीं है।

62. **श्री विजेन्द्र गुप्ता** : क्या **कृषि एवं विपणन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आजादपुर फल और सब्जी मंडी को टीकरी खामपुर में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था;

(ख) यदि हॉ, तो यह योजना कब बनाई गई थी और अब इसकी क्या स्थिति है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया था;

(घ) जिस समय यह योजना बनाई गई थी, उस समय इसके निर्माण पर कितनी लागत अनुमानित थी?

(ङ) यदि अब इस मंडी का विकास किया जाए तो इस पर कितना व्यय आयेगा;

(च) मंडी का स्थानांतरण न हो पाने के लिए कौन दोषी है?

कृषि एवं विपणन मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आधुनिक मंडी के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहित की गई थी।

(घ) 2012 में अनुमानित लागत 914 करोड़ रुपये (लगभग) आंकी गई थी।

(ङ) हाल में प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपये आंकी गई है।

(ङ) उपरोक्त (क) में दिए गए उत्तर अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता।

63. श्री राजेश गुप्ता : क्या **विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विकसित विधान सभा क्षेत्रों को और अधिक विकसित करने के उद्देश्य से सरकार इन क्षेत्रों के लिए नई योजनाएं लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सत्य है कि सरकार इन क्षेत्रों के लिए विधायक निधि के अलावा और अतिरिक्त फण्ड की व्यवस्था करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण क्या है; और

(घ) यदि नही तो उसके क्या कारण हैं?

विकास मंत्री : (क) इस समय किसी भी विधान सभा क्षेत्र को विकसित घोषित किये जाने का प्रावधान नही है। अतः सरकारी विभाग सभी विधान सभा क्षेत्रों के विकास के लिए कार्यरत रहते है।

(ख) लागू नही होता

(ग) लागू नही होता

(घ) लागू नही होता

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य वैल में आ कर नारे बाजी करने लगे)

अध्यक्ष महोदय : सदन 3.30 तक स्थगित करता हूं।

(सदन की कार्यवाही 3.30 बजे तक स्थगित की गई)

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था

सदन अपराहन 3.35 बजे पुनः समवेत हुआ।

अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदय : तारांकित प्रश्न सं. 1–20 और अतारांकित प्रश्न सं. 1–63 तक पढ़े हुए माने जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, सदन का डेढ़ घंटा खराब हो चुका है। आपसे प्रार्थना है कि बैठ जाइए प्लीज। मनीष जी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भाई विजेन्द्र जी, दो मिनट आप चुप होंगे मनीष जी भी तो खड़े हैं ना। सिरसा जी भी खड़े हैं मनीष जी उत्तर दे चुके हैं। सिरसा जी भी खड़े हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको हत्याओं के मामले से कुछ नहीं लेना—देना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये विषय क्या है, जो आप माफी मंगवाइए! विषय क्या हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये नहीं, विषय किस चीज का है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई या तो अपनी सीट पर जाकर बताइए ऐसे नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आप सीट पर जाइए, सीट पर चलिए। मुझे समझ नहीं आता!

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी, नहीं, ये कोई आग्रह नहीं है। ये किसी नियम में नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम है, तो मुझे बताइए। नहीं, ऐसा कोई नियम है तो मुझे बताइए। नहीं, तो आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं आप बैठ जाइए। उप मुख्य मंत्री बैठे है ना। उत्तर दिया है ना उन्होंने। आप बैठिए, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि देखिए अभी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूंए, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बैठिए। आप समझदार हैं। इनको भी बोलने दो। आप तो बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी आप बैठिए, इन्हीं को बोल लेने दीजिए। भई आप बैठिए प्लीज वो एक ही बहुत है बोलने के लिए, आप बैठिए।

सिरसा जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैठिए प्लीज। देखिए मेरी एक बार बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी एक बार मेरी बात सुन लीजिए, नहीं मेरी एक बात सुन लीजिए पूरी। मैं प्रार्थना करके कह रहा हूं एक बार मेरी बात सुन लीजिए आप बोलेंगे इस पर निर्णय फिर मुझे मजबूरन निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे एक घंटा हो गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र गुप्ता जी, मैं वार्निंग दे रहा हूं। विजेन्द्र जी कुर्सी पर बैठिए, विजेन्द्र जी मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूं आप कुर्सी पर बैठिए मुझे एक घंटा हो गया, सदन चलाना है। अब मुझे सदन चलाना है, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं एक घंटा हो गया पूरा एक घंटा खराब हो गया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है। उप मुख्य मंत्री बैठे हैं। माननीय उप मुख्य मंत्री श्री मनीष जी बैठे हुए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र माननीय मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय उप मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी कुछ कहना चाह रहे है। मार्शल विजेन्द्र गुप्ता जी को बाहर करें।

(माननीय सदस्य श्री विजेन्द्र गुप्ता को मार्शल्स द्वारा सदन से बाहर निकाला गया।)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ठीक है कोई तरीका नहीं है। अरे भई! जब इतनी बात है आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं कि माननीय उप मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मुझे एक घंटा हो गया है, आप बाता करने को तैयार नहीं हैं। मैं बार–बार बोल रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कोई बात नहीं गलत है, ठीक है। मैं जब बार–बार ये कह रहा हूं देखिए

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सदन ने क्या अपराध किया है? आप सदन को हल्का कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सिरसा जी मेरी बात को सुनोगे। सिरसा जी मैं इस गलत मत इन्टरप्रेट करिए। मैंने इस बात के लिए नहीं निकाला है, आप गलत बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसके लिए नहीं निकाला आपको, मैंने इसलिए नहीं निकाला कि आप ये लगा के आए हैं। आप गलत इन्टरप्रेट कर रहे हैं, मैंने इसलिए निकाला है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुन लीजिए मैंने क्यों निकाला है, सुन लीजिए एक बार। मैं बार—बार प्रार्थना कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बात के लिए नहीं निकाला है आप गलत बोल रहे हैं मैंने इसके लिए नहीं निकाला आपको, मैंने इसलिए नहीं निकाला कि आप ये लगा के आए हैं। आप गलत इन्टरप्रेट कर रहे हैं। मैंने इसलिए निकाला है सुन लीजिए मैंने क्यों निकाला है सुन लीजिए एक बार।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : जी।

अध्यक्ष महोदय : मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : मैं कह रहा हूं, जब बात करते हैं तब बाहर निकाल देते हैं। मैं ये कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : न, कभी नहीं, ये लगा के निकालने में कभी किसी को बाहर नहीं निकाला। मैंने अब इसलिए निकाला है, एक सैकेण्ड मेरी

बात सुन लीजिए कि माननीय उप मुख्यमंत्री खड़े हैं, मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं भई मंत्री खड़े हैं, उनको क्या बात कहनी है, उनको सुनो तो सही। कोई ऐसा कानून नहीं है, लड़ रहे हो आप उसके लिए। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि उनको बुलाया जाए कोई किताब के कानून नहीं है। मैं अब आपसे प्रार्थना कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसा : आप मानने को तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैं इस बात को नहीं मानूंगा, कि उप मुख्य मंत्री का संवैधानिक अधिकार छीना जाए। उस पर मैंने बोला है, सबसे पहले मैंने बोला है। पूरा स्टेटमेंट दिया है। सरकार घोषणा कर चुकी दस–दस लाख रुपये, मनीष जी, देखिए। सिरसा जी, मनीष जी को बोलने दीजिए। मुझे प्रेशराइज मत करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं मुझे प्रेशराइज मत करिए आप। आप बैठिए, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। प्लीज।

उप मुख्यमंत्री : सदन में दलित के बच्चों को पढ़ाने के लिए कानून लाया जाना है, असली दलित विरोधी ये हैं। ये नहीं चाहते हैं कि दलित के बच्चों के लिए कोई यूनिवर्सिटी बने। दलित के बच्चों के लिए कोई पढ़ाई का केन्द्र बने, ये लोग नहीं चाहते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मनीष जी को सुन तो लीजिए एक बार।

उप मुख्यमंत्री : दलित छात्रों को मरवाते हैं और ये दलितों की बात करते हैं। ये दलितों के विरोध में हैं। इनसे बड़ा दलित विरोधी कौन होगा! दलितों के हत्यारे तो ये हैं! इनसे बड़े दलित विरोधी, रोहित वेमुल्ला का नाम याद है आपको? गुजरात के ऊन्ना में दलित को मरवाते हैं ओर सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं देते ये लोग! अध्यक्ष महोदय, जो लोग सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह में चोरी करते हैं, उनसे क्या दलितों की बात कर रहे हैं! किस मुंह से दलितों की बात कर रहे हैं? सरकार कानून लाना चाहती है कि दलित बच्चों को पढ़ाया जा सके, ये लोग नहीं चाहते कि उन बच्चों की पढ़ाई हो सके।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुख्यमंत्री को बुलाओ! ये कोई तमाशा है ये। मार्शल्स, मार्शल्स सिरसा जी को बाहर करें। सिरसा जी को बाहर करें। नहीं ऐसा नहीं चलेगा। मैं ऐसे नहीं चलने दूंगा सदन को। मैं ऐसे सदन नहीं चलने दूंगा। एक घण्टा हो गया, एक घण्टे से मैं बर्दाश्त कर रहा हूं। जगदीप जी, बैठिए आप प्लीज।

(माननीय सदस्य श्री मनजिंदर सिरसा को मार्शल्स द्वारा सदन से बाहर निकाला गया)

(माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रधान द्वारा सदन से बहिर्गमन)

मैंने जगदीश प्रधान जी के लिए मार्शल्स का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा। वो स्वयं अगर छोड़ के जाना चाहते हैं, जा सकते हैं और नहीं तो मेरी प्रार्थना है, वो अन्दर आ जाएं।

सौरभ जी, एक सैकेण्ड, मेरी एक बात बहुत गंभीर थी, वो अधूरी रह गयी। वो इन्होंने पढ़ने नहीं दिया। मैं उसे दोबारा पढ़ लूं फिर मनीष जी अपनी बात रखेंगे।

यह अत्यधिक चिंताजनक है कि हाल में चंडीगढ़ में वर्णिका कुंडू नामक एक महिला के साथ अभद्रता का प्रयास किया गया। चंडीगढ़ जैसे महानगर में इस तरह की घटना महिला सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसके बावजूद जिस तरह से वर्णिका कुंडू ने इस पूरे मामले में संघर्ष का जो रास्ता अपना है, वह सराहनीय है। दोषी कोई भी हो, उसे सजा मिलनी ही चाहिए तथा पुलिस को निष्पक्ष ढंग से इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए दोषियों को कड़ी सजा देना बहुत जरूरी है। ये मैंने इसलिए पढ़ा दोबारा कि महिलाओं का विषय था। ये जब पढ़ने की बारी आई तो विजेन्द्र गुप्ता जी खड़े हो करके आ गए और उन्होंने डिस्टर्ब किया पूरा। पूरा सदन डिस्टर्ब किया, उससे पहले नहीं बोले हैं। मुझे इसलिए दोबारा पढ़ना पड़ा। माननीय मनीष सिसौदिया जी। नहीं, माननीय मंत्री जी को एक बार बोलने दीजिए प्लीज।

उप मुख्यमंत्री के वक्तव्य

श्री मनीष सिसौदिया (उप मुख्यमंत्री) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आपने बात दोहराई है, वो बहुत महत्वपूर्ण थी और जिस वक्त माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो इंटरवीन किया, उस वक्त आप इस संवेदनशील मुद्दे का जिक्र कर रहे थे। सदन में ये बहुत ही शर्मनाक है कि उस बातचीत को पूरी हुए, उस जिक्र को पूरा होने दिए बिना माननीय नेता प्रतिपक्ष बीच में कूद पड़े। क्योंकि ये बहुत सहज है, जब भी देश में इस तरह के मसले उठते हैं, सीधे उंगलियां बी.जे.पी. की तरफ उठ रही होती हैं और जब

भी कहीं कोई बात हो रही होती है, तो ये लोग इसी तरह से चिल्ला के सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं।

मैं फिर से अपनी बात, जो मैं पहले भी कह चुका हूं सदन के समक्ष दौहराना चाहता हूं, सभी सदस्यों की सूचना के लिए भी, कि जो तीन सफाई मजदूर जो मारे गए, उसमें दिल्ली सरकार ने बहुत क्लीयरकट इन्सट्रक्शंस दे रखी है सभी ठेकेदारों को कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मेनहोल में सफाई करने के लिए सीवर में नहीं उतारा जाएगा। आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं, मशीनों से सफाई कराई जाएगी, किसी भी रूप में नहीं उतारा जाएगा। ये क्लीयरकट कानून में भी है, इंस्ट्रक्शंस भी है, कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं और उनका अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, पहले से ही दिए हुए हैं, ऐसा नहीं होता है, उतारा नहीं जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक ठेकेदार ने उतारा है। सरकार ने पहले ही उसको बहुत गंभीरता से लिया है। ये हो कैसे सकता है कि इस तरह की घटना हो जाए, सरकार उस ठेकेदार के खिलाफ जांच करा रही है, किस अधिकारी ने उसको निर्देश दिए उसकी जांच करा रही है जो भी हो अधिकारियों की गलती हो, ठेकेदार की गलती हो, जिसकी भी गलती हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। साथ साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी इन तीनों मजदूरों के घर स्वयं व्यक्तिगत रूप गए थे। वहां जाके सभी परिवारों से मिलके आए हैं। उन परिवारों की स्थिति बहुत, गरीब परिवार हैं, उनको देखते हुए उन्होंने 10–10 लाख रुपये का मैंने खुद एलजी साहब से बात कर ली है। मुख्यमंत्री राहत कोष से 10–10 लाख रुपये की राहत राशि तुरन्त उनको दी जाएगी और साथ ही उनके परिवार से एक एक व्यक्ति को तुरन्त सिविल डिफेंस में ड्यूटी दिलवाई जाएगी ताकि वो अपने घर का खर्चा भी चला सके।

ये पहली बार हो रहा है कि इस तरह किसी एक मजदूर के मारे जाने पर विधान सभा खड़े होके शोक भी व्यक्त करती है, दो मिनट का मौन करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी जा के स्वयं 10 लाख रुपये का ऐलान करते हैं और उनको सिविल डिफेंस में ड्यूटी दिलवाने का भी ऐलान करते हैं तो समझ रहा था कि सदन को एक पूरी बात संजीदगी से एक बार सूचित हो जाए, इसका समय देने के लिए धन्यवाद।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा निवेदन बस, छः बजे जंतर मंतर पर एक जो बहन...

अध्यक्ष महोदय : अभी तो 6 बजने में बहुत देर है।

श्री संजीव झा : नहीं, मैं अनुरोध ये ही कर रहा था कि छः बजे से पहले हाउस डिजोल्व कर दें। जंतर मंतर पर इसके सपोर्ट में एक प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए हम सब लोग।

अध्यक्ष महोदय : राजेन्द्र गौतम जी, माननीय मंत्री।

समाज कल्याण मंत्री (श्री राजेन्द्र गौतम) : सबसे पहले तो, हां मैं भी गया था। सबसे पहले तो उस घटना पर मैं दुःख व्यक्त करता हूं क्योंकि इस तरह की अशोभनीय घटनाएं रुकनी चाहिए। एक्ट बनने के बावजूद जब कि इस तरह मेन्युअल काम करना अलाउंड नहीं है। आधुनिक मशीनें हमने लाई हुई हैं लेकिन उसके बाद भी ये घटना घटी। ये बहुत ही दुःखदाई घटना है। मैं और सीएम साहब और हमारे दो साथी एम.एल.ए. भी वहां साथ में गए थे और जो हमने वहां देने की घोषणा की, वो तो माननीय डिप्टी सी.एम. साहब ने बता दी लेकिन मैं साथ साथ सदन

के सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम इसपे इस तरह के पैरामीटर्स तैयार करने वाले हैं ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और किसी न किसी जिम्मेदार इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराया जा सके और कोई अगर ऐसी घटना घटती है कि भई अन्दर जाना जरूरी है, मशीन वहां तक नहीं पहुंच पा रही है, तो वहां पे जेई खुद खड़ा होगा और सारे एक्विप्ड होंगे। उसके बाद ही मजदूरों को नीचे भेजा जाएगा ताकि इस तरह की भविष्य में कोई घटना न हो पाए। चूंकि ये वाकया अशोभनीय है, आज के नव भारत टाइम्स में भी छपा है। अकेले केवल मुम्बई में 2700 से ज्यादा 10 साल के अन्दर इस तरह मृत्यु हो चुकी है। तो इसको रोकने के लिए अब सरकार बेहद गंभीर है ओर अभी तीन परिवार जिनके यहो हम गए, चूंकि वो प्राइवेट उसमें हुआ है, उसका भी देखना पड़ेगा। उसकी जांच अभी चल रही है और इसकी भी जांच चल रही है जो भी दोषी होंगे उनको सख्त सजा दी जाएगी, धन्यवाद।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये मेरे इलाके का इंसीडैंट है। इंसीडैंट मेरे इलाके का है। इसके बारे में थोड़ा सा एक बात मुझे रखनी थी। अध्यक्ष महोदय, ये जो घटना हुई है आज, दुःखद है।

अध्यक्ष महोदय : संक्षेप में रखिए प्रवीण जी।

श्री प्रवीण कुमार : सरकार ने अपनी तरफ से जो भी इस परिवार के लिए किया है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। मेरे यहां जब ये घटना हुई थी, उसी दौरान मेरे पाास भी फोन आया था और मैंने भी घटना स्थल पर जाके देखा था और वहां पे जो वो लेबर थी, वो ही मेरे कांस्टिट्यूएंसी

के इलाके की लेबर थी नहीं। जे.ई. से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि उस लेकर को न ही उनमें इंस्ट्रक्ट किया था। वो डारेक्टली मेनहोल में जाके और उस मेनहोल को साफ करने की कोशिश कर रही थी लेकिन दुःखद ये है कि उनकी वहां पे डेथ हो गई जो भी गैस वगैरह निकलने से। लेकिन मेने वहां से भी मेरे पास लोगों से भी अनुरोध है कि किसी भी तरीके की प्राइवेटली सीवर साफ करवाते हैं लोग। प्राइवेटली सरकारी सीवर जो प्राइवेटली साफ करवाते हैं। इस दौरान कई सारे लोग वहां पे प्राइवेटली दिल्ली जल बोर्ड बताए बिना भी वहां पे उस सीवर के अन्दर चले जाते हैं, उस कारण से भी कई सारी घटनाएं हो जाती हैं क्योंकि लोगों को कई बार जल्दी होती है सीवर वगैरह सारे इश्यू को डिजोल्व करने की तो प्राइवेटली भी लोग जो है एक सीवर को साफ करवाने के लिए जो है लोकल लेबर हायर करके वहां से उसके द्वारा काम चलाते हैं उस कारण से भी एक कई सारी कुछ घटनाएं घटित हो जाती हैं अध्यक्ष महोदय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद की वह इस परिवार के साथ में खड़ी हुई है, इस परिवार के साथ में काम किया है। शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : इस पर मैं मनोज जी को, उनके इलाके के थे मजदूर। श्री मनोज कुमार।

श्री मनोज कुमार : बहुत—बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने इस पूरे दुःखद घटना पर बोलने का अवसर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि तीनों ही जो व्यक्ति थे, जो सीवर साफ करने के लिए उस सीवर में घुसे, वो तीनों ही मेरी विधान सभा से लगते हैं और तीनों की माली हालत इतनी बुरी है। जब उनके परिवारों से, कल मैं पूरे दिन बारिश में उनकी अन्त्येष्टि तक उनके साथ रहा। वहां पर कुछ दूसरे दल के लोगों

ने प्रोटेस्ट भी करना चाहा। उनके शव को भी रोकना चाहा परन्तु उन सबके साथ में मिलके जब दुःख में शामिल हुए तो पता चला कि कितनी दुःखद घटना ये रही। उनका परिवार इतना कमजोर वर्ग से है कि उन बच्चों को इसलिए जाना पड़ा क्योंकि कल राखी का दिन है। अपनी बहन को कुछ न कुछ देना होगा तो कल की ड्यूटी राखी की मैं आज कर लूं। मुझे डबल मजदूरी मिलेगी। वो मां बिलख रही है जिसका बच्चा चला गया। जिसकी शादी तक अभी तक नहीं हुई थी। जो झुग्गी में रहता है। पांच भाई हैं वो, जिसकी घटना की बात कर रहा हूं। वो खिचड़ी पुर की है। मनीष भाई की कान्स्टीट्यून्सी का एक व्यक्ति रहा उसमें। वो पांचों भाई मजदूर है और वो इसी तरह काम करते हैं। उसके बड़े भाई ने बताया कि दो दिन पहले छोटे भाई ने कहा कि वहां पर ठेकेदार बोल रहा है कि बड़ी लाईन के अन्दर काम करना है। जो बीस फीट के करीब की लाईन है परन्तु वो संसाधन उनको नहीं उपलब्ध कराये गये जिनसे वो बच सकते हैं। उन्होंने कहा भी कि उसमें गैस बन रही है, हम नहीं जाएंगे लेकिन कुछ ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से जो इस समाज के साथ ये दुर्घटना घटी। ऐसे दोषियों को चिन्हित करना पड़ेगा। ऐसे ठेकेदार जो लिस्ट में नहीं है, कहीं पर। जल बोर्ड बड़ा ठेका देता है। उनसे पेट्टी कान्ट्रैक्ट ले लेते हैं। उनसे और छोटे कान्ट्रेक्टर ले लेते हैं जिससे न मजदूर को ये पता है कि मैं किसके पास काम करने जा रहा हूं। तीनों परिवारों से मिले। तीनों परिवार को ये नहीं पता था कि वो किस ठेकेदार के पास जा रहे हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था जल बोर्ड बनाये कि अगर जल बोर्ड के अन्दर कोई भी व्यक्ति जाता है काम के लिए, कम से कम उसका रिकार्ड होना चाहिए कि कौन व्यक्ति उसको हॉयर करके लेके आता है। वो सारा गरीब तबका मेरे यहां पर रहता है खिचड़ी पुर, कल्याण पुरी, त्रिलोक

पुरी और ये दल्लू पुरा। वो तीन–तीन सौ रुपये में मजदूरों को लेकर के आते हैं। वो भी उनको दो–दो महीने से ठेकेदारों ने नहीं दिये। जब पूरा ये सारा चल रहा है कि किसकी वजह से लापरवाही हुई है, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई तो पता चलता है कि वो ठेकेदार कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। कहीं पर पता नहीं है, कौन है? उसको जल बोर्ड भी देख रहा है। मंत्री जी भी खुद सर्च कर रहे हैं कि भई ऐसा व्यक्ति कौन है। बताया भी कि सारे संसाधन जल बोर्ड के पास उपलब्ध हैं। उसके बावजूद भी उन बच्चों को उतारा जा रहा है। तो कहीं न कहीं तो इसमें साजिश की बू भी नज़र आती है। जब सरकार का कोई भी अधिकारी नहीं उतरता कि अच्छी मशीनरी के साथ वो सीवर साफ कर रहे हैं तो ऐसे कौन व्यक्ति हैं, जो छोटा लालच देके इन मजदूरों को उन सीवर में मौत के घाट उतारने का काम कर रहा है।

तो मेरा इस सदन से अनुरोध है कि हमारा कोई भी सफाई कर्मचारी चाहे वो एम.सी.डी. से हो, चाहे वो जल बोर्ड से हो। उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जाये तो वो कम से कम अपने परिवार तक सही सलामत पहुंच सके। मैं धन्यवाद करता हूं सरकार का, मंत्री जी का कि ये वहां घटना स्थल पर पहुंचे, वहां की जनता से मिले, उन परिवारों से भी मिले और उनको 10 लाख का मुआवजा दिया। उनके परिवार को रोजगार देने का आश्वासन दिया है कि आगे से ऐसी घटना न घटे। ये विधान सभा उस पर भी चिन्तित रहेगी। आपका बहुत–बहुत आभार, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सुश्री राखी बिड़ला जी।

सुश्री राखी बिड़ला : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे इतने गम्भीर मुद्दे पर बोलने का मौका दिया और सबसे पहले मैं केजरीवाल सरकार, केजरीवाल को दिल से इस बात के लिए बधाई देती हूं कि ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि सफाई कर्मचारी की सीवर के मेन होल में गिरने से मौत होती है और सी.एम. उनके घर जाते हैं, मंत्री उनके घर जाते हैं। उन्हें मुआवजे की राशि देते हैं और साथ में रोजगार देने की भी बात कहते हैं।

अध्यक्ष जी, अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि मैं विधान सभा में मौजूद नहीं थी लेकिन लगातार हमें ये सूचना मिल रही थी कि विपक्ष के साथी अरविन्द केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी को दलित विरोधी कह–कहकर खूब हंगामा कर रहे थे। सदन नहीं चलने दे रहे हैं लेकिन अगर मेरी आवाज उनकी कानों तक पहुंच रही हो तो मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि केजरीवाल सरकार देश के इतिहास में पहली एक ऐसी सरकार है जो एक मजदूर से लेकर, एक गरीब से लेकर, हर व्यक्ति के हित में खड़ी है। घड़ियाली आँसू बहाने से, दलितों के नाम पर रोटी सेंकने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जिस तरह से दलितों पर अत्याचार करते हैं। जिस तरह से आये दिन बी.जे.पी. शासित राज्यों से घटनाएं सामने आती है, उस पर विचार नहीं होता लेकिन आज एक दुर्भाग्यवश दिल्ली के अन्दर घटना घटी। पिछले 15 दिनों के अन्दर मेन होल में गिरने से सात कर्मचारियों की मौत हुई। उनमें से तीन परिवारों से आज हम दुःख की घड़ी में, समय उनके साथ सांझा कर–कर आये। उनके परिवारों से मिलकर आये और सातों के सातों परिवारों को दस–दस लाख रुपए का मुआवजा और नौकरी देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के माध्यम से कही गयी है।

सिर्फ दिखावे की राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती है। इस देश में सीमा पर, सरहद पर खड़े हुए लोगों का या फिर ड्यूटी पर दिल्ली में अगर कोई सिपाही शहीद होता है तो उनको भी उसी प्रकार से मुआवजा देने की जो बात हुई, वो भी दिल्ली सरकार के माध्यम से ऐतिहासिक कदम देश की राजनीति में, देश की सरकारों में हुआ। उसी प्रकार से इतिहास लिखते हुए पिछले कई सालों में चाहे बम्बई जैसा महानगर हो या और अन्य राज्य हो, आये दिन सफाई कर्मचारियों की इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होकर मौत होती है लेकिन सरकारें कोई सुध नहीं लेंती। सरकारें जाकर मिलना तो दूर, उनके बारे में बात करने को राजी नहीं होती लेकिन ये पहली बार अरविन्द की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिस तरह से एक बार पुनः साबित करा है कि वो दलितों के हक में थी, है और हमेशा रहेगी, मैं उसके लिए दिल से धन्यवाद देती हू, बहुत—बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, अब श्री मनीष सिसोदिया जी। संदीप जी अब ये हो गया प्लीज। चलिए, आप भी बोलिए।

श्री संदीप कुमार : अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपने समय दिया। ये हर साल होता है और ये कोई नई बात नहीं है। ये दिल्ली की सरकार वाकई में ही लोगों के हित में काम करती है लेकिन जब एक डी.टी.सी. का आदमी एक्सपॉयर होता है तो उसको एक करोड़ रुपये दिये जाते हैं। कोई किसान पेड़ पर आत्म हत्या कर लेता है तो उसको एक कराड़ रुपये दिये जाते हैं और ये जो सिविल डिफेन्स की नौकरी अभी आपने बात कही। ये कोई परमानेन्ट जॉब तो है नहीं। मैं चाहता हूं कि ये जो दिल्ली की सरकार

है। कुछ नहीं फर्क पड़ता तीन करोड़ रुपये में। हर परिवार को एक–एक करोड़ रुपया मुआवजा दे और इनको परमानेन्ट नौकरी का प्रावधान करे। क्योंकि देश में कहीं भी चले जाओ आप, जितना अत्याचार सफाई कर्मचारियों पर होता है वो कहीं नहीं होता। सारे, सबको पता है। जितने सदन में आज लोग बैठे हैं। हर आदमी को पता है कि दिल्ली में कहीं भी मशीनों से सफाई नहीं हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : बैठिए, हो गया, संदीप जी।

श्री संदीप कुमार : तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी इसके लिए दस लाख रुपये देती है, डेथ होती है तो। विपक्ष के लोग हैं नहीं यहां पर। इनसे भी हम लोग विनती करेंगे कि ये लोग दें और मैं सदन के माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी यहां पर बैठे हैं तो इन लोगों की परमानेन्ट नौकरी का अगर आप लोग करोगे तो और ज्यादा अच्छा होगा, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, अब श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री वर्ष 2008–09 से।

...(व्यवधान)...

श्री नितिन त्यागी : सर, आप मुद्दा समझ लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : ये मेरे पास भिजवाइये ये। ये मेरे पास भिजवाइए, क्या है?

...(व्यवधान)...

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

अध्यक्ष महोदय : बैठिये, बैठिये। पांच विधायक इस पर अपना नाम भेज दें। मैं शुरुआत कर रहा हूं नितिन त्यागी जी से। चार और भेज दें। नितिन जी, दो मिनट बैठिये। श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री वर्ष 2008–2009 से 2015–2016 के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वार्षिक लेखा तथा कार्यवाही प्रतिवेदनों (सी.ए.जी. लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों) की हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2008–2009 से 2015–2016 के लिए इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वार्षिक लेखा तथा कार्यवाही प्रतिवेदनों (सी.ए.जी. लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों) की हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[1]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कैलाश गहलोत जी, माननीय परिवहन मंत्री दिनांक 07 जुलाई, 2017 से सड़क सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ.17(330)/योजना/परि./2015/869 दिनांक 07.07.2017 की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 07 जुलाई, 2017 से सड़क सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के संबंध में जारी अधिसूचना संख्या एफ.17(330)/योजना/परि./2015/869 दिनांक 07.07.2017 की हिन्दी तथा अंग्रेजी प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूं।[2]

---

[1] पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर.–20072 पर उपलब्ध।

[2] पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर.–20073 पर उपलब्ध।

अध्यक्ष महोदय : श्री सौरभ भारद्वाज जी से जो मुझे यह मिला है। पहले नितिन जी, आप बोलिये, संक्षेप में बोलें जरा।

मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपने पर चर्चा और निर्णय

श्री नितिन त्यागी : थैंक यू अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी मुद्दा था, इसी वजह से उठाया और अभी दो अगस्त को, ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन, दिल्ली, विधान सभा से उनके लैटर हैड पर एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें कुछ स्टेंडिंग कमेटीज विधान सभा के अंदर बनी हैं, जो बहुत सारे डिपार्टमेन्ट्स को लेकर बनी हैं, उनकी वर्किंग को लेकर बनी है जिससे कि अच्छे से अच्छे तरीके से दिल्ली की जनता की सेवा हो सके, दिल्ली की जनता तक, जो काम उन डिपार्टमेंट के हैं, वो सुनिश्चित किया जा सके कि वो काम ठीक से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, जवाबदेही जनता के प्रति तय हो सके और बहुत अच्छे तरीके से ये कमेटीज पूरे के पूरे देश में काम कर रही हैं पर उसको अनकॉन्स्टीट्यूशनल कहा गया और डिस्मैण्टल करने की बात की गई। इससे पहले भी कई बार विजेन्द्र गुप्ता जी इस तरीके की टिप्पणी हाउस के ऊपर कर चुके हैं, हाउस को अनकॉन्स्टीट्यूशनल बोल देते हैं, हाउस को भंग करने की बात करते हैं, कभी राज्य सभा को भंग करने की बात करते हैं और उसके बाद इनकी पार्टी पूरे देश में, राज्य सभा को लेकर राजनीति करती फिरती है। आज गुजरात में राज्य सभा का चुनाव हुआ, पूरा नौटंकी भर के, बड़े दिन से काम चल रहा था उसके ऊपर, उसकी इम्पोर्टेंस वो लोग समझते हैं, पता नहीं! विजेन्द्र गुप्ता जी क्यों नहीं समझते और कई बार उन्होंने इस तरीके की बात करी कि जैसे दिल्ली के इस अगस्त हाउस के अंदर,

इस कॉन्टीट्यूशन के मंदिर के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जो लोग सब बैठे हैं और जो सब काम होने की कोशिश, हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सारा का सारा अनकॉन्स्टीट्यूशनल बता देते हैं। यह बहुत गैर–जिम्मेदाराना इनकी हरकत है सर। और हम लोग जो सब जन–प्रतिनिधि हैं यहां के, जनता ने चुन कर भेजा है, अपने–अपने क्षेत्र की जनता को रिप्रजेंट करते हैं यहां पर। जब हमारे द्वारा बनाई गई किसी भी, इस हाउस द्वारा बनाई गई, आप द्वारा बनाई गई, सारे के सारे एम.एल.एज. जिसका पार्ट हैं, बनाई गई ये कमेटीज को वो अनकॉन्स्टीट्शनल बताते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं तो समझिये की पूरी की पूरी दिल्ली की जनता का ये मजाक उड़ा रहे हैं। हर उस वोटर का मजाक उड़ा रहे हैं जिसने इस विधान सभा के ऊपर अपना विश्वास जताया है, वोट दिया है। पूरा का पूरा लोकतंत्र ताक पर रख दिया है विजेन्द्र गुप्ता जी ने। विजेन्द्र गुप्ता जी को इस कथन के लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे सदन से। मेरी हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए the kind of insult that Vijender Gupta had brought to this House because of his adverse comments, I would say. sir, I think the whole House demands an apology from Vijender Gupta for his comments.

अध्यक्ष महोदय : थैंक यू। सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी–अभी नितिन त्यागी जी ने बताया कि नेता, विपक्ष जो है, यह बहुत बड़ा और मुझे लगता है कि काफी जिम्मेदारी वाला पद है। पूरी की पूरी पार्टी को, पूरी की पूरी

अपोजिशन को यहां पर रिप्रजेंट करते हैं और मुझे लगता है कि अब तक इनका पूरा का पूरा जो चाल–चलन रहा है इस सभा के अंदर, इस विधान सभा के अंदर, एक बार वो टेबल पर खड़े होकर डांस कर रहे थे। एक बार उन्होंने राज्य सभा के बारे में कह दिया कि राज्य सभा की जरूरत ही नहीं है। फिर उनके ऊपर प्रिविलेज का मामला चला यहीं पर प्रिविलेज कमेटी में, फिर उन्होंने जाकर माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, माफी मांगने के बाद आप लोगों ने दया दिखाई और प्रिविलेज का मामला उनके ऊपर रोका गया। उस तरीके से और भी कई तरीके के मामले इनके ऊपर चल रहे हैं। पिछले दिनों सिरसा जी ने भी कुछ कमेटीज के बारे में कुछ ऐसी ही बेतुकी टिप्पणी की, जिसके कारण उनके ऊपर भी प्रिविलेज का मामला शुरू किया गया और अभी जो यह मामला आया है दोबारा, इन्होंने कई जगह अखबारों में भी यह चीज छपवाई है और खुद इन्होंने अपनी प्रेस विज्ञप्ति के अंदर यह कहा है। दो–तीन बातें जो कही हैं, वह यह है कि एक तो यह कि हाउस की जो कमेंटीज बनी हैं, यह अनकॉन्स्टीट्यूशनल हैं, असंवैधानिक हैं और इस हाउस को पॉवर्स नहीं है कि ऐसी कमेटियां बनें और इससे भी ज्यादा जो मेरे पास और कोई शब्द नहीं है, घटिया ही इसके लिए शब्द सही रहेगा, इससे भी ज्यादा जो घटिया बात इन्होंने कही है, वो यह कही है कि इन कमेटीज के अंदर हम अफसरों को बुलाते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और उनसे अपने काम कराते हैं।

मुझे नहीं मालूम, कुछ कमेटीज का तो मैं भी मैम्बर हूं, कुछ कमेटीज का मैं चेयरमैन हूं और बहुत सारे मैम्बर्स से बात करता रहता हूं मेरे को तो नहीं मालूम कि आज तक कभी ऐसा हुआ होगा कि हमने किसी अफसर को बुलाया हो और उससे कोई पर्सनल काम कहा हो। यह मैं चैलेंज करता

हूं विजेन्द्र गुप्ता जी को, वो अभी हैं नहीं, मगर वो मेरी बात सुन रहे होंगे, वो बतायें कि हम अपने कौन से पर्सनल काम करने के लिए अफसरों को बुलाते हैं। अगर हम अफसरों को इसलिए बुला रहे हैं कि नालों की सफाई क्यों नहीं हो रही, तो वो तो हर साल दिल्ली के अखबारों में छपता है। हर बार चर्चा होती है कि दिल्ली में नालों की सफाई नहीं होती। अगर हम इसलिए बुला रहे हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया के लिए क्या तैयारी की गई है, तो भी यह पर्सनल मामला नहीं है। अगर हम इस चीज के लिए बुला रहे हैं कि जल बोर्ड के अंदर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, वो बन रहे हैं, उनकी जरूरत है या नहीं है। उसमें गड़बड़ी, भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं हुआ है, तो वो भी कोई पर्सनल मामला नहीं है। इस तरीके की जो टिप्पणी इन्होंने की है, अगर कोई बाहर का आदमी करता तो भी उसके ऊपर प्रिविलेज का मामला बनता। मगर ये तो नेता, विपक्ष हैं। इसके हिसाब से तो यह मामला और भी ज्यादा सीरियस है कि इन्होंने इस तरीके की बेतुकी, बेढंगी बात एक हाउस के बारे में कही और अध्यक्ष जी, इसके पीछे पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है कि किस तरीके से एक अखबार के अंदर इस खबर को छपवाया जाता है कि जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनकी एक लीगल ऑपिनियन आई है कमेटीज के बारे में। किसने मांगी है, एल.जी. साहब ने मांगी है कमेटीज के बारे में लीगल ऑपिनियन तो बहुत सारे लोगों को यह मुगालता है, गलतफहमी, तो मुझे लगता है कि उनकी गलतफहमी मिटा देनी चाहिए कि अगर कहीं पर यह फैसला हुआ भी है कि सरकार का नेता जो है, सरकार का जो लीडर है, वो एल.जी. है मगर यह कहीं पर तय नहीं हुआ कि इस हाउस का जो लीडर है, एल.जी. साहब सरकार के सुप्रीम हो सकते हैं मगर इस हाउस के सुप्रीम नहीं हैं। ये जो हाउस है, वो सरकार के ऊपर है। ये

सरकार के नीचे नहीं है सरकार के आधीन नहीं है, सरकार इस हाउस के आधीन है और एल.जी. साहब इस सरकार के नेता जरूर हो सकते हैं मगर इस हाउस के नेता नही हैं। इस हाउस के नेता स्पीकर साहब हैं यहां पर और जहां तक ए.एस.जी. साहब की लीगल ओपिनियन का मामला है, ए.एस.जी. कौन होता है? ए.एस.जी. केन्द्र सरकार का एक नुमाइंदा होता है। वो एक इम्प्लाई है केन्द्र सरकार के। पॉलिटिकल एक नौकर हैं, केन्द्र सरकार के ये नौकर हैं और एक पॉलिटिकल एप्वाइंटमैंट होती है, राजनीतिक एप्वाइंटमैंट होती है। उनके बारे में जो जा छप रहा है, जो जो उनके नेता कह रहे हैं वो और भी लोग बताएंगे मगर वो कौन होते हैं जो एक हाउस की कमेटीज के बारे में बताएंगे कि ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है और ये मामला सिर्फ आज का ही नहीं है, ये मामला तबका है, जब से हम लोग चुनकर आए हैं। अध्यक्ष जी, हम लोग जब चुनकर आए, मैं सरकार की बात नहीं करना चाहता हम विधायकों की बात करेंगे इस हाउस के अंदर। हम लोग जब चुनकर आए इस हाउस के अंदर, हम लोग यह कहकर आए कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और सब लोगों का मानना था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो अफसर भ्रष्टाचार कर रहे हैं जो पुराने मामले थे, उनकी जांच होनी चाहिए और जैसे ही सरकार आई सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों को दर्ज कराना शुरू किया, एण्टी करप्शन ब्रॉच के जरिए और ये खबरें छपी की ए.सी.बी के जरिए मामले दर्ज किए जा रहे हैं तो केन्द्र सरकार ने क्या किया, विजेन्द्र गुप्ता जी के पेट में दर्द तब भी होता था, केन्द्र सरकार ने क्या किया कि ए.सी.बी. को दिल्ली सरकार से छीन लिया, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद सरकार की ये मंशा थी कि भई, भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगानी चाहिए। सरकार ने कुछ अफसरों की टीम बनाई और वो

अफसरों की टीम बाकी लोगों पर निगरानी रखती थी कि अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं पर करप्शन हो रहा है, तो वो उसकी जांच करेगी, डिसिप्लिनरी इन्क्वारी करेगी और उन अफसरों के खिलाफ प्रोसीडिंग करेगी, उनको हो सकता है सस्पेंड कर दे, उनका तबादला कर दे, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। वो पॉवर देखकर भी इनके पेट में दर्द हुआ। केन्द्र सरकार के पेट में दर्द हुआ कि ये भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगा रहे हैं तो उन्होंने वो पॉवर भी दिल्ली सरकार से छीन ली कि आप किसी अफसर का तबादला नहीं कर सकते, आप किसी को सस्पेंड नहीं कर सकते, आप किसी के ऊपर कोई इन्क्वायरी नहीं कर सकते खैर सरकार ने सोचा कि कोई बात नहीं भ्रष्टाचार से तो लड़ना है, किसी न किसी तरह से लड़ेगी सरकार! सरकार ने कहा कि हम इंडिपेंडेन्ट इन्क्वारी कमिशन बना देंगे और ये खबरें भी छपी कि सरकार ने दो तीन जगह पर इन्क्वारी कमीशन्स बनाई जैसे सी.एन.जी. फिटनेस स्कैम के अंदर एक इन्क्वारी कमीशन बनाई थी। दिल्ली के अंदर क्रिकेट के अन्दर जो गड़बड़ी होती थी, उसके अंदर केन्द्र सरकार के मंत्री जी की शोहरतें कई सालों तक उन्होंने कमाई वहां पर, तो जेटली जी का जो नाम बार बार उसके अंदर आता था, उस चीज को देखने के लिए सरकार ने एक और इन्क्वारी कमीशन बनाया। उसके खिलाफ भी केन्द्र सरकार हाईकोर्ट गई और उन्होंने किसी तरीके से उन इन्क्वारी कमीशन्स को भी रुकवा दिया। अब मुझे लगता है कि जब सरकार के हाथ से जितनी पावर्स थी, भ्रष्टाचार पर लगाम की, इन्होंने छीन ली तो विधायकों ने तय किया कि विधायक अपनी जो सीमा है, विधायकों के पास जो पावर्स है, हमारी विधानसभा के अंदर जो पॉवर है, हम उस पॉवर का इस्तेमाल करके सरकार की जवाबदेही तय करेंगे, अफसरों की जवाबदेही तय करेंगे, डिपार्टमेंट्स की जवाबदेही तय करेंगे और

ये जो जवाबदेही का जो पूरा का पूरा मुझे लगता है पिंसिपल है, ये तो हमारे कंस्टीट्यूशन के अंदर हैं कि जो एग्जीक्यूटिव हैं जो अफसरशाही है, जो सरकार हैं, उसकी जवाबदेही जनता के प्रति है, उसकी जवाबदेही विधायिका के प्रति है, लेजिस्लेचर के प्रति है। हम लोग जनता के नुमाइंदे हैं। हमारा काम है ये देखना कि सरकार के जो वायदे हैं, सरकार की जो पॉलिसीज हैं, जो कागजों में सरकार पॉलिसी बना रही है, जो अखबारों में छप रही हैं, वो जमीन पर उतर रही हैं या नहीं उतर रही। जिन अफसरों की ये जिम्मेदारी है कि उनको ये काम करना है, वो ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर अस्पतालों के अंदर कहा गया है कि मुफ्त में दवा मिलनी चाहिए तो वो दवा मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये काम ये सारी की सारी समितियां कर रही हैं। अभी मैं आपको पिटिशन कमेटी का जिक्र करूं, तो पिटिशन कमेटी रात को दस बजे से लेकर रात को दो बजे तक पिटिशन कमेटी के जो विधायक हैं रात को दो–दो बजे तक अस्पतालों के अंदर घूम रहे हैं अफसरों के साथ, ये देखने के लिए कि अगर जो मरीज रात को आ रहा है, इमरजेंसी सिचुएशन में आ रहा है, हो सकता है उसको दिल का दौरा पड़ा है, हो सकता है उसका सड़क पर उसको दुर्घटना हो गई उसके साथ, और वो आदमी वो है, जो सबसे वॅलनरेबल है जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, क्या उसको वो सर्विसेज मिल रही हैं या नहीं मिल रही है और इसके बारे में ये लोग कहते हैं कि ये गैरकानूनी है। मैं आज ये किताब लाया हूं जो रूल्स और प्रोसीजर हैं, कण्टक्ट ऑफ बिजनिस के जो रूल्स हैं, उसके अंदर साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि क्या क्या पॉवर्स इस हाउस को हैं और मुझे लगता है कि कोई अफसर या कोई केन्द्र सरकार का लीगल एडवाइजर या केन्द्र सरकार को कोई नुमाइंदा, कोई पॉलिटिकल एप्वाइंटी अगर अपनी

तरफ से कोई लीगन ओलीनियन दे दे तो इस किताब के अंदर जो पावर्स हमारे हाउस को मिली हैं, वो कत्तई कम नहीं होती। उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। मैं आपको बताऊं अध्यक्ष जी, जिस बात का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि इस हाउस के पास पॉवर्स नहीं हैं, इस हाउस के पास पॉवर्स बहुत कम हैं, तो मैं विजेन्द्र गुप्ता जी तो चले गए, मगर जहां भी होंगे, वो ये बात सुन रहे होंगे और बहुत सारे लोग और भी अलग–अलग तरीकों से ये बात सुन रहे होंगे, मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि कंस्टीट्यूशन ऑफ इण्डिया भारत के संविधान के तहत, अमेंडमेंट के तहत दिल्ली का ये संविधान बना है, दिल्ली का जो एक्ट बना था उसकी मैं आपको सैक्शन–18 पढ़कर दे देता हूं ये है : "The Government of National Capital Territory of Delhi Act-1991" इसका Section-18 जो है, उसके अंदर powers & privileges का जिक्र है 18(3) "In the other respects, the powers privileges and immunities of the Legislative Assembly and of the members and the committee thereof shall be such as are for the time being enjoyed by the house of people and its members and committees."

अध्यक्ष महोदय, कहने का मतलब यह है कि ये एन.सी.टी. के एक्ट के अंदर है जो कंस्टीट्यूशन से डेराइव हुआ है कि इस सदन के अंदर जितने भी मेम्बर्स बैठे हैं, इस सदन की जो पॉवर है, इसके अंदर जो कमेटीज बनाई गई हैं, उनकी जो पॉवर हैं, वो उसके बराबर हैं जो लोकसभा की कमेटीज की पावर्स हैं, जो लोकसभा के मेम्बर्स की पावर है। जो लोकसभा की पावर है, वो इस हाउस की पावर्स है तो मुझे लगता है कि मूर्ख ही हैं ये लोग जो इस चीज को बोल रहे हैं, इसको चेलेंज कर रहे

हैं कि हमारे पास पॉवर्स नहीं हैं। इसका मतलब ये तो लोकसभा की पावर्स को भी चेलेंज कर रहे हैं। ये तो पूरे प्रजातंत्र को चेलेंज कर रहे हैं कि ये पावर इनके पास है ये नहीं है और ये, यह नहीं सोच रहे कि अगर ये इस हाउस की पावर्स को कम कर रहे हैं, तो क्या अपनी पॉवर्स को कम नहीं कर रहे! इसका मतलब है कि यहां पर सिर्फ इस हाउस के मेम्बर होने के नाते नहीं बैठते। ये तो किसी की दलाली करने के लिए यहां पर बैठते हैं। उन लोगों की एडवोकेसी करने के लिए यहां पर बैठते हैं। अमरीका होकर आए हैं अभी अभी। इन्होंने आपको बताया नहीं, पांच दिन गायब थे आपके हाउस में। अमरीका से क्या सीखा इन्होंने। कुछ अच्छा भी सीखकर आए हैं, कहां घूमकर आए हैं, वहां पर? बताया तो इन्होंने किसी को नहीं कि कहां जाते हैं। अमरीका के अंदर मगर कुछ अच्छी चीजें भी सीखनी चाहिए इनको वहां पर। अमरीका के अंदर से कुछ अच्छी चीजें ये सीख लेते कि वहां पर हाउस पैनल्स की क्या पावर्स हैं, वहां पर प्रजातंत्र को किस तरीके से हाउस कमेटीज ने मजबूत किया है। वहां से कुछ सीखकर आना चाहिए न अच्छी चीज!

अध्यक्ष महोदय : सौरभ जी, कन्क्लूड करिए।

श्री सौरभ भारद्वाज : अध्यक्ष जी, मेरे को थोड़ा सा समय और दे दीजिए और बार बार मैं उस अखबार का जिक्र कर रहा हूं, जिन्होंने ये छापा था। मुझे तो लगता है कि हालांकि इस तरीके की चीजों को छापने की भी बहुत ज्यादा स्वच्छंदता नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप इस हाउस की गरिमा के साथ नहीं खेल सकते, कोई भी किसी की भी ओपीनियन छाप के वहां! उसके अंदर ये लिखा था कि जो मामला कहीं पर सबज्यूडिस्ड है, जो मामला किसी कोर्ट के अधीन है, उस मामले को

हाउस की कमेटी नहीं उठा सकती है। मैं हैरान हूं कि इस किताब के अंदर लगभग जितनी भी बातों का जिक्र है, चाहे वो क्वेश्चन्स हों, चाहे वो मोशन्स हों, चाहे वो रेजोल्यूशन्स हों, चाहे वो पिटिशन हो, हर चीज के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो मामला अदालत के अंदर सबज्यूडिस्ड है, उसको आप नहीं उठा सकते, हरेक में लिखा हुआ है मगर हर जगह ये साथ में लिखा हुआ है कि स्पीकर्स की पॉवर है स्पीकर चाहेगा तो जो मामला स्पीकर साहब चाहेंगे, अपने विवेक में, अपनी बुद्धि में चाहेंगे कि ये मामला हाउस के अंदर उठेगा, चाहे मोशन की फार्म में आएगा, चाहे रेजोल्यूशन की फार्म में आएगा, चाहे क्वेश्चन की फार्म में आएगा, चाहे पेटिशन की फार्म में आएगा, अगर स्पीकर का विवेक है तो वो मामला हाउस के अंदर उठेगा।

मैं आपको दो तीन चीजें, स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो जल्दी से पढ़कर बता देता हूं। मोशन के लिए जिक्र है : 'Motion for discussion on the matters before tribunals, commissions etc. No motion which seeks to raise a discussion on the matter pending before any statutory tribunal, statutory authority performing any judicial, quasi judicial functions or any commission or court of inquiry, appointed to enquire into or investigate a matter shall ordinarily be permitted to move.' मतलब आमतौर पर वो परमिट नहीं होगा अगर वो कोर्ट में है मगर प्रोवाइडेड, प्रोविजो हर चीज के अगर मगर लगा हुआ है। यहां "Provided that the Speaker may in his discretion allow such matter to be raised before the house as it is concerned with the procedure or scope और वगैरह वगैरह...।" सेम चीज रेजोल्यूशन के बारे में लिखी हुई है। मुझे नहीं

मालूम कि कौन वकील हैं, जिनकी सलाहें ये लेते हैं और मुझे नहीं मालूम कि ये आजकल एल.जी. साहब भी ऐसे लोगों की सलाह क्यों लेते हैं! वो खुद गुमराह हो रहे हैं या उनको लोग कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। जिस पेटिशन कमेटी का अभी जिक्र किया गया है कि पेटिशन कमेटी के अंदर ये मामला इसलिए नहीं आ सकता था क्योंकि ये कोर्ट में चल रहा है। अब ये लोग अभी जो मामला उठा रहे थे, क्या मामला उठा रहे थे? कुछ लोग सीवर में गिर गए। डिसिल्टिंग करने के लिए सीवर में उतरे और वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। डिसिल्टिंग का मामला है, फिर तो यहां नहीं उठ सकता क्योंकि 2005 से हाईकोर्ट डिसिल्टिंग का मामला सुन रहा है। इसी बात पर तो आपने पेटिशन कमेटी को रोका है। आपने कहा है कि पेटिशन कमेटी इस बात को नहीं सुन सकती क्योंकि डीसिल्टिंग तो अब हाईकोर्ट देख रहा है। तो ये मामला भी नहीं हो सकता क्योंकि ये मामला भी डिसिल्टिंग से जुड़ा हुआ है। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले भी हाई कोर्ट देख रहा है तो वो मामला भी यहां नहीं उठ सकता। यहां न क्वैश्चन, न ही यहां पे क्वेश्चन उठ सकता है उसका, न उस पर पेटिशन आ सकता, न उस पर मोशन आ सकता, न उस पर रिजुलूशन आ सकता। ट्रांसपोर्ट के मामले में डी.टी.सी. बस यहां से यहां तक चलाओ। हाई कोर्ट रोज कहता है न यहां से यहां तक चलाओ, नहीं वहां से वहां तक चलाओ।

कुशक नाले का मामला; मैं कोई कोर्ट की जजमेंट पढ़ रहा था। हाई कोर्ट यह कह रहा है कि नहीं, आप उस नाले की जगह पर जाकर देखिए कि सिल्ट उठी या नहीं उठी, फिर अपने आर्डर में लिख रहा है, उधर क्यों उठ गयी, उधर क्यों न उठ गयी? मै। ये नहीं कह रहा कि हाई कोर्ट को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मगर अगर हाई

कोर्ट ही हमारे सारे काम कर देगा तो हमें बंद कर दो? लोक सभा वगैरह सब बंद कर दी जायें।

ट्रांसपोर्ट के मामले हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। पॉल्यूशन के मामले हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, चिकनगुनिया–डेंगू के मामले हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, हॉस्पिटल के मामले हाई कोर्ट के अंदर चल रहे हैं। कौन से मामले नहीं चल रहे! फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि यहां पे ये मकसद नहीं है कि हमको हाई कोर्ट से कोई कन्फ्रंटेशन करना है या कुछ करना है, कहने का मतलब ये है कि इस किताब के अंदर ये हमारी बाइबिल के अंदर ये हमारी बाईबिल भी है, गीता भी है। इस किताब के अंदर जो चीजें लिखी हैं, उसी के हिसाब से ये हाउस चल रहा है और अगर इस किताब में नहीं भी लिखी तो भी सिर्फ आपके पास ये आता कि हाउस कैसे चलाना है। वो भी इसमें लिखा है। वो भी इस किताब में लिखा है। वो भी इस किताब में लिखा है कि जो इस किताब में नहीं लिखा है, उसका फैसला भी आप ही करेंगे, कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। मैं

एक और बड़ी अच्छी चीज पढ़ाता हूं, जो सीधा कांस्टीट्यूशन से निकली है। उसके अंदर ये है, सेक्शन–37 एन.सी.टी. दिल्ली एक्ट का : 'Courts not to enquire into proceedings of the legislative assembly. The validity of any proceedings in the legislative assembly shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of the procedure' इसको मैं हिन्दी में भी बता दूं "न्यायालय द्वारा विधान सभा की कार्यवाही की जांच न किया जाना', विधान सभा की किसी भी कार्यवाही

की विधि मान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा'। यह एक्ट के अंदर है, जो कंस्टीट्यूशन के अंदर है। जो भी चीजें हो रही हैं, यहां पर वह सारी एक्ट के अंदर भी हैं, कांस्टीट्शन के अंदर भी हैं और सीधे वहां से डील हो रही है अध्यक्ष जी। इसीलिए हमने कहा था कि यह बहुत इंपोर्टेंट मामला है। दो मामले बहुत इंपोर्टेंट हैं : एक तो बार बार इस हाउस के पॉवर के बारे में बाहर के लोग टिप्पणी कर रहे हैं और दूसरी बात इस हाउस की पॉवर और प्रिविलेजेज के बारे में नेता विपक्ष की पूरी कर लें, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, मुझे नहीं मालूम सरकार इस पर विचार कर सकती है या नहीं, पर मैं एक बात जरूर निवेदन करूंगी कि केन्द्र में विपक्ष कुछ खत्म हुआ और कुछ खत्म कर दिया गया। आज लोक सभा के पास नेता विपक्ष नहीं है क्योंकि नंबर नहीं था। मैं सरकार को कहूंगी कि एक बार दोबारा विचार करियेगा। इस सदन में भी जब भा.ज.पा. के पास नंबर नहीं था कि वे नेता विपक्ष के एक सम्मानित पद के जिम्मेदार पद पर बैठ पायें, लेकिन उस पद के साथ हम देख रहे हैं कि किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है और उस पद की आड़ में किस तरीके से संवैधानिक जो कमेटियां हैं, उनपे प्रश्न उठाया जा रहा है। मैं सरकार से कहूंगी कि दोबारा विचार करें। अगर विजेन्द्र गुप्ता से ये पद यह हाउस वापस ले सकता हो, तो वो पद ले लेना चाहिए क्योंकि इनके पास वो नंबर नहीं हैं, न वो कर पाये।

दूसरा अध्यक्ष जी, आज तक की कमेटियों में क्या होता रहा, ये शायद कमेटी आम आदमी पार्टी सरकार के आने के बाद गठन हुआ, नहीं। सौरभ जी ने जैसे बताया कि लोक सभा के अंदर 29 मार्च, 1993 में इन कमेटियों के बनाने, इसके अहमियत के ऊपर, इसके गठन के ऊपर चर्चा होके इसको लोक सभा में पारित करके संविधान में लाकर इन कमेटियों का गठन तब हुआ। ये नहीं कि आम आदमी पार्टी आयी तो कमेटियां बन गयी और यहां पर फैसले होने शुरू हो गये। इन कमेटियों में आज तक प्रश्न क्यों नहीं उठा? आज तक ये आवाज क्या पिछले 1993 से, मैं कहूं जब से दिल्ली का विधान सभा बनी, ये कमेटियां बनी, क्या कभी ये प्रश्न उठे कि ये कमेटियां निष्क्रिय हैं, ये कमेटियां अपनी जिम्मेदारी, अपने काम को नहीं निभा पा रही, इसलिए इन कमेटियों को भंग कर देना चाहिए।

अध्यक्ष जी, एक आवाज पिछले सालों में आज तक नहीं उठी कि इन कमेटियों के सदस्य करे क्या हैं? क्या ये देश और विदेश दोनों में इन कमेटियों के आड़ में जाके दिल्ली के टैक्स का पैसा जो खर्च करते हैं, उससे दिल्ली को क्या हासिल होता है? उस आधार पर कभी क्या इन कमेटियों को भंग करने की आवाज उठी? अध्यक्ष जी, कभी नहीं उठी। ये आवाज, आज नेता विपक्ष एक प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, एल.जी. को लेटर लिखते हैं, इन कमेटियों को असंवैधानिक बताते हैं, वो कितनी असंवैधानिक है, ये बात हमारी सौरभ जी ने संविधान की बिताब उठाकर एक एक एक्ट बताया है कि ये क्या है। फिर समस्या कहां है? जो आज ढाई साल के बाद नेता विपक्ष को उठ के खड़े होकर अपने पद का, मैं कहूंगी उपयोग नहीं, दुरुपयोग करते हुए एल.जी. के पास जाकर इन कमेटियों को भंग करने को कहना पड़ा।

अध्यक्ष जी, कारण बहुत ही साफ है, जिसे समझने में आप को समय नहीं लगेगा। इस सदन ने भा.ज.पा. के दो बड़े नेता नेताओं का, पहले जो केन्द्र में वित्त मंत्री भी हैं और आधे–अधूरे डिफेंस मंत्री भी हैं, डी.डी. सी.ए. के अंदर इतने भ्रष्टाचार हुए, कहीं कोई सुनवाई नहीं थी। इन्हीं कमेटियों ने उसकी जब सुनवाई शुरू की तो इन्हें अध्यक्ष जी मिर्ची लगनी शुरू हुई, जो वाजिब भी थी।

दूसरा, इसी सदन के भा.ज.पा. के तीन विधायक जब थे, तो उसमें से एक विधायक ने इसी सदन में खड़े होकर महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की, जो रिकार्ड में आयी, उन्हीं का मामला इन्हीं कमेटियों को सौंपा गया है। आज वर्णिका का चंडीगढ़ का मामला हम उठा रहे हैं। भा.ज.पा. की एक सोच है, जो इनके नेता खड़े होकर आज वर्णिका को कहते हैं कि वो लड़की ही गलत थी, जो 12 बजे घर से बाहर क्या कर रही थी। यहां पर भा.ज.पा. के विधायक ने ही खड़े होकर इस सदन में महिलाओं को जो रात को बाहर काम करने जाती हैं, उन्हें बाजारू शब्द कहा था, ऑन रिकार्ड आया और इसी कमेटी ने फैसला किया और उन्हें सदन से बर्खास्त किया गया और हाई कोर्ट के धक्के खाने के बाद भी हाई कोर्ट ने वही कहा, जो संविधान की इस किताब में लिखा है कि सदन के फैसले को हाई कोर्ट बदल नहीं सकता और आज तक वो इस हाउस से बाहर है? ये ताकत है, इस हाउस की कमेटियों की अध्यक्ष जी। ये मिर्ची लगना वाजिब है इन लोगों को। हमें समझना होगा क्योंकि इन्हें आगे भी पूरा खतरा है, इन्हें पूरा खतरा है कि आगे भी इस तरह के फैसले अगर होते रहे तो ये जो तीन दिख रहे हैं, वो भी सदन में खड़े हुए दिखेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने ऐसे लेटर लिख लिख के एक बार नहीं, बहुत बार असंवैधानिक जो है, वो कार्य किए।

अध्यक्ष जी मुझे तो कहीं न कहीं लगता है कि नेता विपक्ष बैक डोर से चाहते हैं कि इनके नेताओं के ऊपर, इन कमेटियों में जो सुनवाई चल रही है, उसपे ये कमेटियां बैक डोर से समझौते कर लें। आज समझौता कर लें ये कमेटियां, मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि नेता विपक्ष की जो मांग है कि इन कमेटियों को भंग कर दिया जाये, वो उस मांग से पीछे हट जायेंगे क्योंकि इनके नेताओं के खिलाफ जो डी.डी.सी.ए. के या फिर कमेटियों में जांच चल रही है, अगर उसे हम बंद कर दें। लेकिन ये वो सरकार है, ये वो कमेटियां हैं, जो बैक डोर से कोई समझौता नहीं करेगी और बिल्कुल इन कमेटियों के लिए इनकी जो ताकत है, इसके कम करने की बजाय जो है, वो बढ़ाने के लिए बात करेंगे।

अध्यक्ष जी, आज का फ्रंट पेज है "हिन्दुस्तान टाईम्स" का, Centre dumps report giving Delhi Government say in Wakf Property.

सेंटर ने उस कमेटी की सिफारिश, जिसमें कहा गया कि वक्फ बोर्ड के चैयरमेन की नियुक्ति दिल्ली की सरकार करेगी। वक्फ बोर्ड की प्रोपर्टियों के फैसले जो हैं, किसके आर्डर से, किसको हो, यह दिल्ली सरकार करेगी। आज इन फैसलो को सेंटर ने जो है, वो बिल्कुल कूड़े के उसमें डाल दिया है कि नहीं, इसमें दोबारा कमेटी बैठेगी। दोबारा ये कमेटी फैसला करेगी कि वक्फ बोर्ड के चैयरमैन और उसकी जमीनें जो हैं, उसका फैसला दिल्ली की सरकार करेगी या कोई और करेगा और ये फैसला जो है, किसी ओर के कहने से नहीं, विश्व हिन्दू परिषद, आर.एस.एस. के दबाव में किया जा रहा है कि किसी तरह भी यह पूरी ताकत, ये पूरी जमीनें दिल्ली सरकार से हथिया लिये जायें और इन्हें जो है कमर्शियली डी.डी.ए. को देकर जो है जैसे प्रोपर्टी के दामों पर बेचा जाता है, उसे बेचकर व्यापार करने की

सोच की जाये और जिन्होंने ये सुझाव दिया है, वो कौन है, उनका नाम है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जिनका नाम है मिस्टर संजय जैन। अभी सही बात, महान आदमी हैं, इनकी महानता के बारे में हमने नहीं, भा.ज.पा. के नेता डॉ. सुब्रह्म्यण्यम स्वामी ने बहुत बार कहा है। डॉ. सुब्रह्म्यण्यम स्वामी जी के ट्विट में ये जानकारी मिली कि जब यू.पी.ए. की सरकार थी, इन्होंने कितना एड़ी–चोटी का जोर लगाया मिस्टर संजय सिंह ने कि वो जज बन जायें और जज बनने के लिए जितने असंवैधानिक काम कर सकते थे, वो उन्होंने किये और यही डाक्टर सुब्रह्म्यण्यम थे, जिन्होंने उस समय इनका विरोध किया और ये जज नहीं बन पाये और अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, यह वही संजय जैन हैं, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो एल.जी. को भी राय दे रहे हैं। जो पोलिटिकल ओपनियन देते हैं और उनका पोलिटिकल जो एल.जी. साहब ने लिया तो उन्होने एकदम से कह दिया कि हां हां ये कमेटियां भंग हो जानी चाहिए। इन्हें तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ये वही हैं, जो केन्द्र को भी वक्फ बोर्ड की जमीनों पर और उनके अधिकारों पर अपनी राय दे रहे हैं। इनकी क्रेडिबिल्टी क्या है,? ये मैं नहीं डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी, भा.ज.पा. के राज्य सभा के अध्यक्ष, पूर्व मंत्री इनका कहना है। इतना ही नहीं, अभी एक और खुलासा इन्होंने ही किया है। डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कि एडिशनल सोलिसिटर जनरल बनने से पहले इन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनने के बाद संस्कार की तरफ से लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जो शख्स जब खाली वकील था जिस प्राइवेट चैनल का केस लड़ता है और जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के सरकारी पद पर आता है, तब वो सरकार की तरफ से उनका जो है वो केस लड़ता है तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्रेडिबिलटी क्या है और किस तरह से इनकी नियुक्तियां जो हैं, वो की जा रही है।

अध्यक्ष जी, मैं यही आपसे निवेदन करूंगी और एल.जी. साहब तक बिल्कुल मुझे जानकारी हुई कि इस हाऊस की प्रोसिडिंग को वो देखते हैं, सुनते हैं अपने घर। मैं एल.जी. साहब को भी कहूंगी कि ऐसे पॉलिटीकल ओपीनियनस लेने से पहले, उस पर विचार करने से पहले आपको संविधान की बिताब की तरफ देखना होगा कि संविधान में क्या लिखा है। आप सिर्फ इस कमेटियों को भंग नहीं करेंगे बल्कि आप संविधान की किताब में जो लिखा हुआ है, उसके साथ एक बहुत बड़ा एक खिलवाड़ करेंगे! सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आप कुछ चंद भ्रष्ट नेताओं को इन कमेटियों से जो है, सजा से बचाना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी सौरभ जी ने अभी जिक्र किया कि हाल ही में जो नालों की सफाई के लिये 92 साल के एक रिटायर्ड कर्नल पिछले दस 15 सालों से अदालतों में नालों की सफाई डिसिल्टिंग के केस को लड़ रहे थे लेकिन कभी न्याय नहीं मिला। उन्हें न्याय कब मिला, जब उन्होंने अपनी याचिका पेटिशन कमेटी के सामने दी। उन्होंने सुनवाई की और उन्होंने यकीन दिलाया कि उस पर कार्रवाई होगी और सारी चीजें आईं। दूसरा अभी यही कमेटी को जब पता लगा कि अस्पतालों में दवायें नहीं मिल रही हैं, अध्यक्ष जी यही कमेटी रात को दस बजे से दो बजे तक, रात को एक–एक अस्पताल में जाकर ये सुनिश्चित करती हुई दिखी कि मरीजों को दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही है और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है।

अध्यक्ष जी, इन कमेटियों की अहमियत बहुत है, मैं ये कहूंगी कि जो भी इस पर प्रहार करे, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सदन इस बात को गंभीरता से लेगा और मैं आपसे कहती हूं नेता विपक्ष के पद

को लेकर के ये सरकार विचार करे और नेता विपक्ष ने जो पत्र लिखकर प्रेस में इस कमेटियों को और कभी राज्यसभा को भंग करने की बात के खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके, वो होनी चाहिए ताकि आगे ढाई सालों में हमारे पास एक सबक रहे, जयहिंद।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारती :

Speaker sir, today you have allowed me to speak on this matter, I am very thankful to you. Hon'ble Sir, it is a matter emenating from the press release which was released by Vijender Gupta ji and yet again he has done something highly unconstitutional. Hon'ble sir, in the past as well, leader of opposition has done this unconstitutional work many a times. Last time when I was chairman of Privilege Committee, it was a matter before the committee in which he had written an article in a newspaper in which he advocated for dissolution of Rajya Sabha. He had said then that because Rajya Sabha is coming in the way of hon'ble prime minister and that's why it should be dissolved.

Hon'ble sir, I duly remember that he had not only apologized before the committee, he had agreed that whatever he had said that was unconstitutional and that report was duly presented before the House as well and every member in the House duly seen that he apologized before the committee, he apologized before the Vice president, he apologized before the gentleman who had complained against him in the Rajya Sabha.

Sir, the words used by Vijender Gupta ji in this press note is not only condemned of, it is highly objectionable because it undermines the supremacy of this House.

Sir, I would take the House attention to the constitution of India wherein there is a specific article under which the act was framed, Act of Govt. of NCT of Delhi and after that the rules were framed under them which are duly all before the House. Sir, article 208 which categorically states and I leave all before the House so that comes in record, so what the article says us is that, rules and procedures, the House of Legislature of a state may make rules for regulating subject to the provisions of this constitution, its procedure and the conduct of business. Sir this is, this constitutional provision which resulted in the formation of this rules of procedures. sir and as my friend Saurabh today read out from this book, I will read out a different section, different provision of this book hon'ble sir. So that this comes on record that whatever is being questioned today, is basically an insult not only to the House, an insult is also to the parliament, an insult is also to the book which was drafted by none less than Dr. Bhim Rao Ambedkar. Sir, today he was talking about the rights of Dalit, it is that Dalit which today across the nation is worshipped as a Maseeha, He is the one who authored this book and this book which Saurabh stated as to be bible of democracy and that is correct, this book which resulted in this book, both of them are Saurabh, I mean if you read out this entire press note is highly insulted not being given any importance to and under whose guidance I will just read out couple of lines from here and then sir I will put my speech to an end, sir here he says that... leader of opposition today wrote a letter to LG Anil Baijal Ji requesting him to take necessary steps to dismantle unconstitutional House committees of the Delhi Assembly. Committees which were framed because of the constitutional provisions and I read out in article 208 and then because

of that the act was laid out of that section (33) which resulted in our rules, all of these which were framed because of the constitutional mandate, role being insulting being said that they need to be dismantled. Sir I will just read out couple of more things and I will put my speech to an end, sir it says further that Vijender Gupta ji wrote to LG that these committees have been illegally constituted behind the ... that the works and claims made by officers need to be verified on behalf of public representatives. The fact is that these committees have been constituted primarily to settle score with senior officers danics, allied services and another officers. Sir. This is unfortunate as Saurabh said in his speech what happens all attempts are being made हर तरफ से तैयारी की जा रही है। पहले सरकार जो ए.सी.बी. के जरिये काम कर रही थी उस पर रोक लगाया गया अब एक प्रोविजन जब निकल के आया है through this august House we do have s listed provisions through the committees, we can take on the corrupt and corruption that also is being disliked. Sir, as I was in this section 204 because this is all powers of you Sir, that categorically states that this is the power of this House which allows the formation of these committees and I will read out the specific provisions because there were so much of fuss around by the opposition party, whether by the media back calling of the senior IAS officers by Petition Committees is illegitimate. Sir, 204' and provisions which was being used by a other people who were saying that it was unconstitutional, that says in para-6 that matter sub-juiced should not be allowed, but there is a proviso to that and that is provided that the speaker may in his discretion rquire the committee to consider any petition referred by him, discretion of the hon'ble speaker is not to be questioned in a court of law or anywhere outside the assembly.

But sir, this highly unconstitutional thing today I think I will request all my colleagues in this august House that all in unison to tell the hon'ble speaker that this is a matter of privilege if he does not apologize and this must be referred to Privilege Committee and last time Privilege Committee had pardoned him of but he should not be pardoned him this time at least because further he says which is very very particular and Sir it says, he said, he specifically to this because what is hurting hon'ble LG and what is hurting opposition that there are committee which are questioning today the misdeads of previous LG and that is not being disliked.

अध्यक्ष महोदय : कंकलूड करिए अब सोमनाथ जी कंकलूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : He says that the SIC, Special Inquiry Committees do not have jurisdiction to review the quasy judicial functions vested in Governor NCT of Delhi. Sir, because 1 am the chairman of that committee so I do have specific information available with me this moment. So the order which was passed by the previous LG to restore the cancelled license of ration shop dis-respecting the will of the ordinary people was done under a wrong law. Discretion of LG will not be questioned if the discretion has been enjoyed or implemented. Hon'ble Sir, there is an act targeted public distribution system control order 2015 that this particular law replaces all the previous laws and that is why what the committee is questioning is not only legitimate and not only moral but that is constitutional also sir, and that is my limited submission before you sir, because what is being questioned

today by leader of opposition is not ordinary it warrants extra ordinary intention of this House and that is why this House is worried and critical about what he has said. Sir, he further says that the House penal cannot take over core executive function through this committee. It is hilarious what he is saying here because on one hand he was talking about that there are these sewerage men who are falling in the main holes and he was worried about them on the other hand when through petitions committee when through govt. undertakings committee they trying to take control of the executives...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी कंकलूड करिए प्लीज, कंकलूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : One minute more. Then he saying that the committee should not function in such a manner. Hon'ble sir, as Saurabh sated and Alka also stated today in their speeches, the govt. executive all of them are accountable to the assembly. It is assembly through which all their powers, their salaries flow. It is the people of Delhi elected this assembly and assembly in turn put the govt. in place. The govt.'s all deeds as well as executive deeds they are all to be questioned if by anybody, it is the assembly itself and the committees, one line more, the committees are basically mini legislatures, committees enjoy all those powers, all those rights which this August House enjoys, in which view this press note of Mr. Vijender Gupta needs to be condemned by the entire house and also because he is not there in the House I would urge you Sir, that this should be sent to privilege committee so that the committee can take a note of it and act accord-

ingly. Sir I remember last year when Health Secretary, he was supposed to take act against the dengue etc. he was sent to leave for a week by the Hon'ble LG. and entire Delhi was in mess. When CEO Delhi Jal Board was called before the estimate committee for his wrong deeds, then he was sent on one week leave. This time I was told that a...

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी अब कंकलूड करिए, बहुत लंबा हो गया, कंकलूड करिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : Last line, Chief Secretary was also sent on leave for a week when he was asked to submit ATR, action taken report, is this the way you are trying to help us the govern Delhi, you trying to help us to serve Delhiites? This is highly condemnable. Sir, I put an end to my speech with again requesting you that the matter should be sent to privilege committee. Thank you.

अध्यक्ष महोदय : श्री मदन लाल जी।

श्री मदन लाल : Thank you Hon'ble Speaker sir, for giving me a chance to speak on this important matter that before I proceed with my contentions I would like to read what Mr. Vijender Gupta, the leader of the opposition has wrote to the LG. On 2nd of August 2017. Leader of Opposition Vijender Gupta today wrote a letter to LG Mr. Anil Baijal requesting him to take necessary steps to dismantle unconstitutional House committees of Delhi Assembly like Special Enquiry Committees and the department related to Standing Committees in view of the legal opinion of Additional Solicitor General. It is clear, he said. "These committees are nothing but abuse of power and have been

setup in contravention of the constitutional provisions and also the doctrine of separation of powers of delebreative and executive wings of government These committees have taking over executive, judicial, legislative functioning of the government Vijender Gupta also wrote to LG that these committees have been illegally constituted behind the facet that the work and claims made by officers need to be verified on behalf of public corrupt representatives. The fact is that these committees have been constituted primarily to settle score with senior lAS, DANICS, allied services and other officers. They are being made to fall in line through humiliation, grilling and questioning in the House panels. The House panels are conducting themselves as police of investigative agencies said leader of opposition the mandate lies beyond jurisdiction of Delhi Legislative Assembly. These panels have been functioning like parallel courts for instance the CNG, Vijender Gupta also said that house panel cannot take over court, executive functions through these committees. They are therefore illegal in nature the rule of legislative and to form policies. These committees cannot exercise executive powers. This was the letter sir, which he wrote to Hon’ble LG. He is a Hon’ble member of this House and wants to say that this House has no sanctity to make committees. He forgets or intentionally says or writes to LG that the enactment of NCT Act 1991 forms this August House in 1993 Vidhan Sabha was created the matter was focused that he wants to established that the committees formed by the House have not sanctity of power. He is a member of this House and he is also the one who said once that Rajya Sabha should be scraped for which he not only was humiliated but also had to apologised for this. Now he again wants to say that the law which made this House, is illegal and this House has no power to form committees.

Hon'ble Sir, Vidhan Sabha was created in November 1993 by an enactment. It is this August House which pays for the salaries of all the officials of Govt. and somebody or he wants to establish that these officers are not accountable to this House. They can get paid by this House but they are not responsible. They will not act for what they are obliged, that supposed to be. They have to inspect the hospitals, they have to inspect the nalas, the roads which are being done by the respective departments and they have to do all and each and every duty because they are responsible to this House. Sir the Vidhan Sabha has a power to know the function of all the agencies. The Members wants to know what is happening in Delhi and why the things are not being done properly and who is responsible? Is there any officers who has made complaint that he appeared before a committee and he was mis-behaved or asked what the committee was not entitled to? The committee as formed by this August House through your good office were made to see the functions of the agencies who are responsible because this House is responsible. Each and every member of this House is responsible to his respective constituency and the subjects. The people of his constituency therefore, these committees were formed in the light of those complaints which was being forwarded before your good office and the committees were only made to know and to suggest some measures, so that the govt. machinery functions in a best way.

सर, सबसे ज्यादा दुःख तो तब होता है, जब इस कमेटी को लोग, जो सरकारी अफसर हैं खासकर, वो ये समझने लगते हैं कि शायद इस कमेटी को हमने इसलिए बुलाया जा रहा है कि वहां हमसे अपने काम

के साथ–साथ जब हम अपने काम की बात नहीं बता पाएंगे। क्योंकि वे लापरवाह हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीवर के काम की, नालों के काम की, सफाई से संबंधित चाहे, वो डेंगू हो, चाहे वो नालों की सफाई हो, हाईकोर्ट में बहुत सालों से मामला चला आ रहा है और उनकी अकाउंटेबिल्टी अभी तय नहीं हो पा रही है। इसलिए उन लोगों ने डर के या तो कोर्ट जाना शुरू कर दिया या छुट्‌टी पर जाना शुरू कर दिया। सब बीमार होने लगे हैं और बीमारी का कारण अगर वो ये बताते हैं, बुखार है तो इसका मतलब दिल्ली में अगर उनको भी बुखार हो रहा है बीमारी से तो दिल्ली का हालत वाकई में बहुत खराब है और ऐसे में कमेटी अगर कोई काम कर रही है तो वो बहुत अच्छा है। जब चीफ सेक्रेटरी एक हफ्ते की छुट्‌टी पर चला जाए, बीमार। हैल्थ सेक्रेटरी छुट्‌टी का बहाना लेके जा नहीं रहे, जाना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनको पता है जहां जाएंगे, इन्सपैक्शन किसका करना है, मेरे घर का नहीं करना है, अगर कमेटी, जो हैल्थ कमेटी अगर वो रात को 12 बजे किसी अस्पताल के दौरे पर जाना चाहती है तो क्यों न जाए? अगर मैंबर who is not paid for this job, wants to go, the committee wants to go to a particular hospital or any hospital to visit and see whether the system is working in a right direction or not, why can't secretary go there? Why he is afraid for appearing before the committee because it is only one reason they are not performing their duties according to the satisfaction. They are not doing it and that's why they choose to waste either to go to the court, say sir, this matter is pending before you, therefore please ask them to stay these proceedings. और ठीक है we do not want to go. सर, इसलिए ये हमको

देखना पड़ेगा और खासकर मुझे उनकी नीयत पर शक है जब वे कहते हैं कि ये कमेटियाँ अनकॉन्सिट्यूशनल है, कानून के हिसाब से बनी हुई, अनकॉन्सिट्यूशनल! आज से पहले 1993 से ये हाउस वर्क कर रहा है, 1993 के बाद से लगातार कमेटियां बनती आई हैं। इन कमेटियों में गवर्नमेंट के फंक्शनस को स्क्रूटिनाइज करते रहे हैं सर, पैसे लेंगे, तनख्वाह के हमसे, नौकरी किसी और की, जवाबदेही कहीं ओर! तो सर माफ करें फिर तो ये पैसे भी लेना बंद कर दें, पैसे भी कहीं ओर से ले लें, जिनकी नौकरी कर रहे हैं। दिल्ली विधान सभा के पास आने की जरूरत ही क्या है, हम तो काम और छोटे–छोटे अफसरों से करा लेंगे इतनी मोटी तनख्वाह इनको देने की जरूरत क्या है, जो सेक्रेटरी अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से नहीं निभाते हैं और बहाना लगाते हैं कि हम कानून के मुताबिक आपके सब्जैक्ट नहीं हैं और सर, मैं इनकी नीयत मैं बता दूं कि कई मामले प्रिविलेज कमेटी में गए हुए हैं, अभी मेरे दोस्त ने बताया कि वहां कौन–कौन से मुकदमें किस–किस के खिलाफ चल रहे हैं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इनका नियम क्या है। अब साढ़े तीन साल तो इन्हें हमारे साथ हो गए एल.एल.ए. के, पिछली बार भी गए थे 11 महीने, अभी भी ढाई साल से हैं, आज दिन तक किसी कमेटी की फंक्शनिंग के बारे में ना तो इन्होंने, ना इनकी पार्टी ने, ना किसी ओर व्यक्ति ने, ना किसी हाउस के अपाजिशन के किसी व्यक्ति ने, चाहे वो पिछली मर्तबा थे इनके 32, चाहे इस बार ये चार हों, आज दिन तक कोई सवाल नहीं उठाया है। अब जब सरकार एक अच्छी डायरेक्शन में काम करना चाहती है, क्योंकि पिछली बार हम सबने देखा कि चिकनगुनिया, बुखार, दूसरा, डेंगू इसकी वजह से डेंगी, इनकी वजह से दिल्ली में बहुत सारे लोग मरे। इस बार

माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले से फैसला कर लिया कि हमने बहुत ज्यादा, अच्छी बारीकी के साथ, इन प्रोब्लम्स को एड्रेस करना है। जिहाजा उन्होंने अभी से काम करना शुरू किया इसलिए कमेटीज ने जोर–शोर से इन पर फंक्शन करना शंरू कर दिया, जिससे हर चीज की मॉनिटरिंग प्रोपर हो सके।

अध्यक्ष महोदय, कन्क्लूड करें मदनलाल जी, प्लीज।

श्री मदनलाल : इन सबसे इनको डर लगने लगा है अगर इन्होंने ऐसा किया तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसके पीछे एक सोची–समझी नीति है, मैं इसे आपके संज्ञान में लाने के लिए आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं, थैंक्यू।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गौड़ : मेरा गला खराब है, इसकी वजह से मैं आज बोल नहीं पाऊँगी, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्री : Thank you Hon'ble Speaker sir, for giving me this opportunity to discuss this matter in the House today. This note of 2nd of August of leader of the opposition Vijender Gupta ji where he has spoken about why these committees are unconstitutional and they should be dissolved, this is very serious question raised on the sanctity of the constitution and on the power given to this House by the will of the people. I would like to quote an American President Ibrahim

Linken one of the foremost leaders of right of the people and civil liberty and tourism in the world and he said that the executive is nothing but an instrument where the will of the people is resolved to the House of the people.

कहने का मतलब ये है सर, दिल्ली की जनता ने इस सदन को ताकत दी है, उनके सवालों का जवाब देने की, उनके प्रति जवाबदेही रखने की और ये तीन स्तंभों पर खड़ा है, प्रशासन, जवाबदेही और जिम्मेदारी। ये तीनों हाथ में हाथ चलते हैं। अगर इसमें एक भी स्तंभ हटा दिया जाए तो ये काम नहीं हो सकता। प्रशासन, जवाबदेही और जिम्मेदारी के बगैर नहीं चल सकता। जिम्मेदारी और प्रशासन हो, जवाबदेही नहीं हो, तो काम नहीं चल सकता, जवाबदेही या प्रशासन हो, जिम्मेदारी नहीं हो तो काम नहीं चल सकता। इस तरह निरंतर, ये जो एक साइकिल है, चक्र है इसको चलाने के लिए हाउस ऑफ द पीपल, यहां पे इस सदन का गठन किया गया, 1993 में कांस्टिट्यूशन के तहत और उससे इस सदन को ताकत, संविधान के रूप में मिली कि दिल्ली की जनता के लिए जो काम कर सके, जो हम लोग जवाबदेही बना सकें जो सवालों का जवाब पूछ सकें, उसके लिए अलग–अलग अफसरों को, एग्जिक्यूटिव को बुलाया जा सके, उनसे बात की जा सके, चर्चा की जा सके और उनसे जवाब मांगा जा सके।

I want to bring to the notice of the house the very - concept of these committees. These committees have been functioning in parliament for all along the birth of our country. In the last 70 odd years, parliamentary committees have presented over 1300 reports in the Lok Sabha, in the Raj Sabha and through these committee's reports, government officers have been made accountable and answerable through

the will of the people just to give you a few examples, I would like to remind this house that in 2011, it is the PAC; the Public Accounts Committee of the Lok Sabha which presented report under 2G scam in which over 70 thousand crores worth of money was defrauded from the country exchequer and that was brought to the notice of the people of this country and the answer the people of this country gave to that government of that day in the ensuing general elections. Similarly if we speak of now, even now as recent yesterday the committee, the PAC committee in the Lok Sabha has raised this issue about the demonetisation and it has summoned no other less than the Governor of RBI Urjit Patel, it has summoned the Finance Secretary Ashok Lavasa, it has summoned the Economic Affairs Secretary Sashikanta Dass and if asked them for an explanation and in-fact the committee supposed to get an answer by the 11th of August to a simple question of how much money was collected in government exchequer after demonetisation. So we can understand the kind of power that these committees enjoy and these committees are not dictatorial authoritative committees working in their own right, they function under the purview of the constitution accountable to the people and the will of the people. Sir, if you look at these committees, I just want to bring to the knowledge of this house that these are two types of committees, If you take example of the parliament there is the ad-hoc committee and they are the standing committees. What do they do? they actually monitor the functioning of the executive branch many times the parliament or assembly do not have enough time to go through the functioning of the executive in great detail. It is an such cases that the role of the committees become very important. It is in these cases the

committees can go into greater detail, greater that in understanding the work the executive is performing for the well being of the state for the people. I think it is that essence which these committee represent. The standing committees of-course have the key committees which are all finances based whether it is committee on estimates whether it is the committee on public undertaking or whether it is the public accounts, these standing committees exist to continuously monitor and have an oversight on the functioning of the entire government in the executive similarly adhoc committees are also created for a certain purpose and for a certain time period, these committees have a objective to find out investigate all for in summon various members of the public officers members of the executive and ask them to give information or any such cause that may be required by the committee. Sir, I think it is pertinent for us to understand that these committees only perform a role of oversight, a role of oversight in terms of how the government is functioning and a case in point as mentioned earlier by my esteemed colleagues before me, was the committee where the PWD department secretary was summoned and it is through that committee, the people of Delhi were made aware that what work has been delivered on paper is far removed from what is the ground reality. That is the power of these committees to bring into the public domain information for which people have made us accountable and I think that is essence of these committees and I find it not only shocking, appalling but blasphemous that the leader of opposition of Sh. Vijender Gupta ji could even write and make as a note of this kind various questions the validity of this House. He has questioned the validity of the will of the people and I would request you to Sir, that through this note the kind of insult he has

given, he is laid to this House and therefore to the will of the people of Delhi, this matter should be brought to the committee of privilege and he should be questioned and strict censure should be made to the fact that this kind of disregard for the will of the people through these committees can not be tolerated, Thank you so much.

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अभी तक इन कमेटीज के बारे में सदन में बातें हुई या अखबार में आया। शायद में भाग्यशाली हूं कि इन कमेटीज में सभी में मैं हूं भी। कुछ में चेयरमैन भी हूं। अध्यक्ष जी, शायद विजेन्द्र गुप्ता जी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो कमेटी बनती हैं उसमें नौ मेम्बर्स होते हैं और जो मैम्बर्स हैं, वे एम.एल.एज. हैं। जैसे वे भी एक हैं। शायद उन्हें मालूम नहीं है कि जब एक कमेटी की मीटिंग होती है तो उस एम. एल.ए. को अपने सारे काम छोड़कर जो उसके मेम्बर्स हैं, उनको आना पड़ता है और उसके बाद में कई बार ऐसा होता है कि एक कमेटी की मीटिंग आज हुई, एक की कल है और जिन दौरों का जिक्र अभी मेरे साथी कर रहे थे, उसमें रात को या सुबह जाना भी पड़ता है। उसके बावजूद क्योंकि दिल्ली की जनता ने, जितने साथी मेरे यहां बैठे हुए हैं, उनमें विश्वास जताकर या जिताकर भेजा है। तो अब जहां तक मुझे याद आता है, अगर अपनी ही बात करें तो इतनी सारी कमेटीज में होने के बावजूद सिर्फ एक कमेटी में, एक दिन गैर हाजिरी थी। इतना इम्पोर्टेंस हम कमेटीज को देते हैं। उसमें आना बात करना, पूछना जो भी हम इन्क्वायर करते हैं। आखिर हम करते क्यूं हैं? उन्होंने कहा कि हम उनसे

कुछ बदला लेना चाहते हैं। ये जितने अफसर हैं, आते हैं जाते हैं, बदलते रहते हैं। कभी–कभी दो महीने में जो कुछ सही ढंग से काम करें, वो तो बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। तो उनसे किससे बदला लेंगे? ये तो हर दो चार महीने में बदल जाएंगे। कोई ऐसा तो है नहीं कोई परमानेंट दुश्मन है इसके अंदर।

मैं एक कमेटी का जिक्र करता हूं कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं कि किसी गरीब विधवा ने आप ही को, क्योंकि आप भी आप भी एक विधायक हैं, स्पीकर भी आप हैं, चिट्ठी लिखी कि उसका राशन कार्ड नहीं बनाया जा रहा बल्कि कैंसल कर दिया गया है। बहुत गरीब औरत थी। घर में कोई नहीं। एक लड़की थी, जिसके पति ने भी उसे छोड़ दिया। वो केस आया, पेटीशन कमेटी में आया, आपके माध्यम से। उनसे बात की गई और वो काम हुआ। उस गरीब औरत का राशन कार्ड बना। क्या ये जो काम हुआ बल्कि उससे पहले आपने उन्हें चिट्ठी भी लिखी थी वो उस अफसर ने वह उठाकर फैंक दी। लेकिन जब वो कमेटी के सामने पेश हुए जब उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ विधायकों ने चेयरमैन ने उनसे सवाल करे और उनसे पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया। जो गरीब विधवा थी, उससे पूछा गया क्या–क्या हुआ। उन्होंने माना जो अधिकारी थे कि वो गलती थी और उन्होंने राशन कार्ड को बना दिया।

नालों की सफाई के बारे में मेरे साथियों ने बहुत कुछ बताया। टी.वी. के ऊपर जाने पर एक जर्नालिस्ट ने पूछा कि कभी आप बाईपास गए हैं। उसके पास में सारा नाला भरा रहता है। आदर्श नगर के मैट्रो स्टेशन के नीचे। और फिर कमेटी ने जब इस बात की बात करी और अगले दिन उस मौके पर गए विधायक साथी वहां पर गए और वहां पर जाकर उन नालों को दिखाया गया जो भरे हुए थे। जो रिपोर्ट में यह लिखा

हुआ था कि सौ परसेंट साफ हैं और फिर उनको साफ कराया गया। समझ में ये नहीं आ रहा कि इनको चिंता किस बात की है कि नाले साफ हो गए, या तो ये रोडों से नहीं जाते हैं या इनको ये दिक्कत है कि वो नाले साफ कैसे हो गए। या शायद वो ये हिम्मत नहीं दिखा पा रहे जो दिल्ली की सरकार ने दिखाई कि अपने ही मंत्रालय के, पी.डब्ल्यू.डी. दिल्ली सरकार का मंत्राालय है। लेकिन उसको बुलाया, उससे पूछा। हमने सिर्फ एम.सी.डी. वालों को वहां नहीं बुलाया। हमने सिर्फ डी.डी.ए. वालों को वहां नहीं बुलाया कि नहीं जी, आप भारत सरकार के हो, आप तो एम.सी.डी. के हो। हमने दिल्ली सरकार के मंत्रालयों को भी वहां बुलाया और उनसे पूछा कि ये जो काम आप कह रहे हो, ये नहीं हुआ है या हुआ ही नहीं है या हुआ है तो गलत हुआ है या अधूरा है। क्योंकि हिम्मत थी दिल्ली की सरकार में। क्योंकि हमारी जवाबदेही दिल्ली की जनता से है। हम दुश्मनी तो किसी से नहीं निकाल रहे लेकिन हम सैटिंग भी किसी से नहीं करते कि हां हमने सैटिंग कर ली कि हां जी, हमारे यहां पर दो चार काम फालतू कर दो तो हम सैटिंग कर लें। या कुछ कमिशन दे दो। जैसे इन लोगों को आदत है कि कुछ कमिशन दे दो, सेटिंग कर लो बड़े अधिकारियों से औन अपना काम धंधा चलाए रहो। अगर हम उनसे लड़ते हैं तो दिल्ली की जनता के लिए लड़ते हैं। हम सवाल करते हैं तो दिल्ली की जनता के लिए करते हैं। उसी तरीके से बात करते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री की। आदरणीय मुख्य मंत्राी जी खुद गए एक हॉस्पिटल में। उन्होंने दौरा किया। वहां देखा कि दवाइयों की कोई दिक्कत तो नहीं। उन्होंने पूछा कि दवाइयां पूरी क्यों नहीं आ रही और जब दिल्ली की सरकार ने बार–बार ये सुनिश्चित किया है कि दवाइयां आएं तो मुख्य मंत्री जी

तो बार–बार जाकर देखेंगे नहीं। तो ये तो हैल्थ सैकेट्री का काम है या मंत्र्रालय का काम है कि उन्हें चैक करें, तो उनको बुलाया गया। उनके साथ में जाकर देखा गया। सुबह छः बजे नरेला के एक हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां पर जाकर ये पूछा कि थर्मामीटर कितने हैं। शिकायत ये थी कि दो ही थर्मामीटर हैं। छः बजे गए विधायक गए वहां से उठकर। अगर मैं अपनी विधान सभा से छः बजे उठकर यहां आता हूं और यहां आने के बाद में फिर नरेला जा रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने घर से साढ़े चार बजे निकला हूं। और उसी तरीके से रात को दस बजे हॉस्पिटल में जाया गया और दो बजे से ढाई बजे तक हम घूमे और वहां पर ये पाया कि कुछ डाक्टर्स पूरी तरीके से सो रहे हैं, पूरी तरीके से सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। कैसे जिम्मेवारी तय की जाए। अरे सरकार तो अपने मंत्रालय की जिम्मेवारी तय कर रही हैं या छोड़ दें क्योंकि हमारे मंत्रालय दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं तो हम काम ही न करें! नहीं, उसमें विधायक उठ–उठ कर जा रहे हैं, चैक कर रहे हैं, करा रहे हैं। बल्कि हमने हैल्थ मिनिस्ट्री से कहकर वहां पर एक चैक लिस्ट बनवाई कि ओ.पी.डी. में क्या–क्या होना चाहिए, एमरजेंसी में क्या–क्या होना चाहिए, रात को क्या–क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और वहां पर जाकर चैक कर ताकि लोगों को परेशानियां ना हो, पता करा जाए कि स्ट्रेचर कैसे मिलते हैं, व्हील चेयर कितनी हैं, ये कैसे पता होगा। हमने सुना था, बड़ी–बड़ी कहानियों में सुना था कि पहले के राजा वेश बदलकर जाया करते थे। वो देखा करते थे। जनता के बीच में जाना होता है लेकिन शायद इनकी समस्या इस बात की है कि राजनीति से बाहर ही नहीं जा पाते, इनको मालूम ही नहीं है कि जनता की क्या तकलीफें हैं लेकिन इस तरीके से मेरे और भाइयों ने और भी बताया आपको सारी कमेटीज, इनमें इसी तरीके

से काम हुआ। अगर कोई इंक्वायरी कमेटी बनी है, जो भी इंक्वायरी कमेटिज बनी है, उसका भी यही काम है कि दिल्ली की जनता का पैसा का गया, कौन खा गया, कैसे खा गया, कैसे खराब करा गया। इनको तकलीफ इस बात की है कि इन्हीं के जो सांसद हैं कीर्ति आजाद जी, अगर बोलते हैं तो हमने उन्हें भी क्यों सुन लिया। क्योंकि मीडिया तो सुनने नहीं दे रही। वहां जाकर बोलते हैं तो कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन अगर कमेटी ने बुलाकर पूछा लिया कि क्या तकलीफ है, कहां धांधली करी है अरुण जेटली जी ने, तो इनको तकलीफ ही हो गई कि ये तो बड़ा पंगा हो गया। ये तो सारी बातें बाहर आ जायेंगी। ये तो कमेटीज के रिकार्ड में आ गया ये सारी बातें बाहर निकल जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : कनक्लूड करिए, राजेश जी।

श्री राजेश गुप्ता : और मुझे जो सबसे ज्यादा चिंता की बात इसके अन्दर दिखाई देती है, वो ये दिखाई देती है कि ये जो ऐ.एस.जी. जो संजय जैन साहब हैं, उन्होंने जो एल.जी. को राय दी, वो नेता, प्रतिपक्ष के पास कैसे आ गई या तो ऐ.एस.जी. साहब इनके पास में आए थे जो इनको ये ऐसी रिपोर्ट्स इनको दे देते हैं या एल.जी. साहब ने इन्हें दे दी तो हम तो ये सोच रहे थे कि अब नए एल.जी. साहब आए हैं, चीजें बदलेंगी। शुरू–शुरू में कुछ लगा भी कि कुछ हो रहा है। लेकिन फिर वही बी.जे.पी. के कार्यकर्ता ही दिखाई दे रहे हैं कि सारी खबरें इनके पास में पहले पहुंच जाएं और उसके बाद में ये लीक करते फिरें। वैसे तो मेरे भाई नितिन त्यागी जी हमेशा कहते हैं कि ये नॉन सीरियस आदमी हैं लेकिन अगर ये जरा से भी सीरियस हैं तो ये तो सबसे पहले तो एक काम करें

कि माफी मांग लें। क्योंकि दिल्ली के अन्दर भी कमेटीज थी, भारत सरकार की भी कमेटीज हैं और अमेरिका तक के अन्दर कमेटीज होती हैं, जो इन चीजों का ध्यान रखती हैं। तो ये माफी मांग लें, प्रिविलेज में मेरे भाइयों ने कहा ही है कि इनके केस को किसी भी तरीके से वहां पर भेजा जाए और वहां पर कमेटी के सामने पहले भी एक बार माफी दी जा चुकी है दोबारा से देखें, इसके अन्दर इनके ऊपर क्या रिपोर्ट बनती है। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री विशेष रवि जी।

श्री विशेष रवि : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मुझे पता है कि समय काफी हो गया है और काफी कुछ चीजें सामने भी आ गई है, तो मैं कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास करूंगा।

अध्यक्ष जी, नियम कानून के साथ तो सभी माननीय सदस्यों ने समझा दिया है कि ये कमेटियां पूरी तरह वैध है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन कमेटियों के काम करने शुरू होने के बाद से अधिकारियों के बीच में भय बना है, जनता के काम हो रहे हैं और माननीय सदस्य जो इस कमेटी के मेम्बर्स हैं, उनके लगातार अध्ययन और बारीकी से समस्याओं पर चर्चा और काम करने के बाद से बहुत सारी नई चीजें, नए सुझाव सामने आए हैं। क्योंकि मैं एक कमेटी का मेम्बर भी हूं और अध्यक्ष भी हूं तो मैं सिर्फ उस कमेटी के माध्यम से कुछ जो काम किए गए हैं दो साल के अन्दर हमारी कमेटी है कोगू कमेटी जो दिल्ली में जितने भी कार्पोरेशन और बोर्ड्स हैं, उनको लेकर के काम करती है। तो यहां 2015 से हम इन कमेटियों की मीटिंग कर रहे हैं। लगभग 25 से ऊपर हम मीटिंग कर

चुके हैं और इन कमेटियों में हमने विशेषकर जल बोर्ड पर काम किया है ज्यादातर मीटिंग जल बोर्ड को लेकर हुई है तो मैं कुछ चीजें आपके आगे रखना चाहूंगा जो इस कमेटी के माध्यम से हमने पाया है।

अध्यक्ष जी, दिल्ली के अन्दर जल बोर्ड के हिसाब से लगभग 900 एम.जी.डी. पानी वो डेली भरन करती है और सप्लाई करती है। जिसके अन्दर लगभग जो 775 एम.जी.डी. पानी है, रॉ वाटर जो है गंगा, मुनक नहर और यमुना से आता है। इसमें 45 एम.जी.डी. पानी वो है, जो हम रिसाइकिल करते हैं जो रॉ वाटर से पानी फिल्टर करने का बचता है उसको हम 45 एम.जी.डी. इस्तेमाल करते हैं और लगभग 80 एम.जी.डी. जो रेनी वाटर है, जो यमुना के किनारे जो कुएं बने हुए हैं, वो और जो ट्यूबवेल्स हैं जल बोर्ड के हैं, उनसे हम उत्पादन करते हैं और सप्लाई करते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस 900 एम.जी.डी. पानी का जो डेली सप्लाई करता है जल बोर्ड, उसका एकाउंटिंग नहीं है जल बोर्ड के पास। अब अगर आप जल बोर्ड से ये पूछें कि किस विधानसभा में वो कितना पानी दे रहा है या किस क्षेत्र को वो कितना पानी दे रहा है तो जल बोर्ड के पास कोई जवाब नहीं होगा। तीन प्राइमरी फेस पर जल बोर्ड काम करता है, एक सबसे पहले है जो हमारे प्लांट हैं, जहां पर रॉ वाटर आता है वहां मीटर लगे हुए हैं लेकिन उसके बाद जब पानी इन प्लांट्स से निकलता है और जो फर्स्ट प्राइमरी हैं, जो हमारे यूजर्स हैं, जो अलग–अलग इलाके में लगे हुए हैं, वहां पहुंचने के बाद किसी भी तरह की कोई वाटर एकाउंटिंग नहीं है। उस यू.जी. आरर्स. के निकलने के बाद किस क्षेत्र में कितना पानी जा रहा है इसकी एकाउंटिंग जल बोर्ड के पास नहीं है। हमारी कमेटी ने ये पाया ओर जल बोर्ड को ये कहा है कि ये

उनको आग्रह किया है कि आप दिल्ली के अन्दर जितने भी आपके प्लांट हैं, प्लांट से निकलने के बाद पानी कहां जा रहा है, किस विधानसभा को कितना पानी मिल रहा है, उसके लिए वो फ्लो मीटर लगाए और ये बताएं, ये तय करे कि उस फ्लो मीटर में आने के बाद ये तय करे कि जिस विधानसभा के अन्दर पानी कम है, वहां पर उसको एडजस्ट करे और उस विधानसभा को पानी दिया जाए। कमेटी ने ये पाया अध्यक्ष जी कि जल बोर्ड के अन्दर ही दो पेरेलल सिस्टम में काम हो रहा है एक तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। रेवेन्यू डिपार्टमेंट वो है, जो पैसे कलेक्शन करता है और इंजीनियरिंग हम सब जानते ही हैं जो काम करता है ग्राउण्ड पे। अभी ये है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहां पर हम अगर किसी को कनेक्शन अप्लाई करना है क्षेत्र में चाहे वो डॉमेस्टिक है या फिर कमर्शियल है, तो वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानि जेड.आर.ओ. आफिस में अप्लाई करता है और जेड.आर.ओ. आफिस बिना लोकल जे.ई. से ये बात की ये पूछे, उसके संज्ञान में डाले, वो कनेक्शन उसको दे देता है और वो ये भी बिना पूछता है कि उसको किस लाइन में कनेक्शन देना है, क्या उस लाइन में और कनेक्शन देने के लिए व्यवस्था है, जगह है या कौन सी छोटी या बड़ी लाइन में देना है, उसकी भी वो पूछताछ नहीं करता है। ऐसे ही डॉमेस्टिक कमर्शियल कनेक्शन के अन्दर भी जल बोर्ड जो लोकल जे.ई. या ऐ.ई. एक्सइन है, उनसे कंसल्ट नहीं करते हैं और पाया ये गया है कमेटी के माध्यम से कि जल बोर्ड किसी को भी कमर्शियल कनेक्शन देने से पहले वो निचले लेवल पर ये तय कर लेता है कि आप अनोथराइज कनेक्शन कर लो, हम कुछ दिन बाद आयेंगे, उसको बतायेंगे कि आपने अनोथराइज किया है क्योंकि कमर्शियल कनेक्शन लेने के लिए बहुत सारे

नियम हैं, कितनी जगह है, कितना उत्पादन है, क्या आप करोगे उसके अन्दर, उस प्रोसिजर से बचने के लिए ये रास्ता निकाल रखा है कि व्यक्ति से कहा जाता है कि आप अनोथराइज कनेक्शन कर लो।

अध्यक्ष महोदय : कनक्लूड करिए विशेष रवि जी, प्लीज।

श्री विशेष रवि : सर, दो मिनट दे। ये दो साल के अन्दर हमारी कमेटी ने काम किया है। मैं चाहूंगा कि इस कमेटी की वर्किंग यानि इन सभी कमेटियों की वर्किंग जो इतनी मेहनत की जा रही है, जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो हमारे सदन के सामने आए। कमर्शियल कनेक्शन के अन्दर जान–बूझकर उसको ये कहा जाता है कि तू अनोथराइज कर ले, बाद में हम आकर बोलेंगे कि तुमने अनोथराइज कर रखा है, उसको हम रेगुलराइज कर देंगे। तो वो आदमी उस प्रोसिजर से बच जाता है जिसका उसको पालन करना चाहिए। कमेटी ने ये पाया कि एक विधानसभा को या एक एक्सइन आफिस के अन्दर आने वाली विधानसभा को अगर 10 एम.जी.डी. पानी जा रहा है, तो उसके अन्दर अगर हम देख रहे हैं तो दो एम.जी.डी. के हिसाब से पैसा आ रहा है, कलेक्शन जो हो रहा है, दो एम.जी.डी. का हो रहा है और पानी हमारा 10 एम.जी.डी. जा रहा है।

इसके अलावा अभी एक मुद्दा बड़ा चर्चा में आया था कि बजट जल बोर्ड का नहीं आ पा रहा है या वो नहीं रिलीज हुआ है, तो मैं ये आपके सदन के आगे रखना चाहूंगा कि हर साल जब बजट आता है तो वो अलोकेशन होता है, इस बार भी हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : रवि जी जल बोर्ड पर चर्चा नहीं है चर्चा कमेटी पर है थोड़ा संक्षेप में करिए प्लीज।

श्री विशेष रवि : ठीक है। सर, मेरा मोटा–मोटा ये कहना है कि ये कमेटियां जिनके काम करने के बाद से अधिकारियों ने काम करना शुरू किया है। ये कमेटियां जिनके सुचारू रूप से मीटिंग करने के बाद से अधिकारियों में भय बना है। ये कमेटियां जो रात को 11 बजे जाकर अस्पतालों का दौरा कर रही है, सुबह 6 बजे जाकर पानी के लिए काम कर रही है, उन कमेटियों पर सवाल खड़ा करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और निराशाजनक है। मेरा विपक्ष के लिए ये कहना है कि वो इन मुद्दों के बहाने वो जनता के मुद्दों से अलग हटकर विपरीत जाकर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश न करे, अगर उनको अपनी जमीन तलाशनी है तो जनता के बीच में जाएं, उनके सही मुद्दों को लेकर आगे काम करे और इस तरह के सवाल खड़े करना, ना वो सिर्फ कमेटी का बल्कि विधानसभा की जो अवमानना है और लिहाजा मेरी प्रार्थना है कि इनके ऊपर प्रिविलेज का केस बनना चाहिए और इनका ये मैटर प्रिविलेज कमेटी को देना चाहिए बहुत–बहुत शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविन्द : सबसे पहले तो बहुत–बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, ये लोकतन्त्र का मंदिर है यहां पर एक करोड़ 40 लाख लोगों के नुमाइंदे बैठे हैं। हम सब लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और सबसे बड़ी ताकतवर बॉडी हैं। आज मुझे ये बताते हुए बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि लीडर आफ अपोजिशन जिन्होंने इस तरह

का नोट लिखा कि विधानसभा की कमेटी को भंग कर देनी चाहिए। विधान सभा की कमेटी क्या है, उनको पता ही नहीं है। शर्म आनी चाहिए। विजेन्द्र गुप्ता जी अगर मेरी बात सुन रहे हो तो। पूरे देश के अन्दर सभी राज्यों में, सभी राज्यों की विधान सभाएं अपनी कमेटीज के माध्यम से अपने पॉवर को एक्ससाइज करती है, एक्जीक्युट करती है। मेरी कई विधान सभाओं के स्पीकर से बात हुई, बिहार के स्पीकर से बात हुई, उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से बात हुई, सभी राज्यों के अन्दर स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। सभी राज्यों के अन्दर डिपार्टमेंटल बेस्ड स्टैंडिंग कमेटीज होती है जोकि सही मायने में इतनी पॉवरफुल होती है कि सभी डिपार्टमेंट्स के अन्दर जो काम चल रहा होता है, जनता के हित के काम चल रहे होते हैं, उसका चेक एण्ड बैलेंस रखती है और दिल्ली के अन्दर इस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशंस सवाल उठाते हैं। एल.जी. को चिट्ठी लिखते हैं, डिस्मेंटल करने की कोशिश करते हैं। इसको क्या ए.सी.बी. समझा है, इसको क्या सर्विसिज समझा है कि आप जब चाहोगे इसको डिस्मेंटल कर दोगे! ये पॉवर दिल्ली की जनता ने दिल्ली की विधान सभा को दिया है, किसी लीडर ऑफ अपोजिशन को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि उसके चिट्ठी लिखने से यहां पर पॉवर को डिस्मेंटल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर कमेंटीज बहुत शानदार काम कर रही है। एक कमेटी का मैं भी चेयरमैन हूं, अनॉथराइज कालोनी का। अभी तक डेढ़ साल से डी.एस.आई.डी.सी. काम कर रही थी अनॉथराइज कालोनी के अन्दर और आपको तो पता ही है, बहुत तजुर्बेदार हैं। आज अनॉथराइज कालोनी में कौन रहता है, गरीब आदमी रहता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश के प्रवासी रहते हैं। अनॉथराइज

कालोनी में बेसिक अमेन्टीज के लिए जूझ रहे थे सड़क, नाली, पानी इस चीज के लिए जूझ रहे थे। डेढ़ डेढ़ साल से कमेटीज का मतलब, डेढ़ डेढ़ साल से डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा था। एक महीना पहले कमेटी बना। जब हमने विधान सभाओं का दौरा शुरू किया, आपमें से बहुत सारे माननीय साथी हैं जिनके यहां हम गए थे। उसके बाद असर ये हुआ कि एक महीने के अन्दर इतना काम तेजी से शुरू हुआ जो आज तक एक साल में पूरा नहीं हुआ था। ये असर है कमेटी का, ये असर है! हमारे साथी नाले जा कर चेक कर रहे हैं, क्या इनका काम नाले चेक करना है? लेकिन क्यों, ताकि जनता के हित में बरसात में जो हर साल प्रोब्लम्स क्रिएट होती थी, वो इस साल न हो। इसके लिए सौरभ भारद्वाज जी जा के नाला चेक करते थे। हमारे साथी रात को दो बजे जा करके हॉस्पिटल्स के अन्दर चेक करते हैं कि दिल्ली की जनता जिसने हमें चुना, जिसके मैंडेट से हम लोग चुनकर के आए, जिससे कि विधान सभा का गठन हुआ, उसको उसकी जरूरत के हिसाब से दवाइयां मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, इसको चेक करने का काम कर रही है। कमेटीज सही मायने में देखा जाए तो पूरी विधान सभा की ताकत, उसको एक्जीक्युट करने की पॉवर इन कमेटीज के अन्दर होती है जोकि शानदार रूप से काम रही है। सौरभ भारद्वाज जी ने बताया कि भाई साहब अमेरिका गए थे अरे! अमेरिका से सीख करके आते, अमेरिका में तो सरकार का मतलब ही कमेटीज होता है। इतना पॉवरफुल है, इतना एम्पॉवर्ड है डेमोक्रेसी। लेकिन क्या सीख करके आए, वो भगवान जाने! लेकिन एक ही चीज अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश के अन्दर सभी राज्यों में कमेटीज काम कर रही है। पार्लियामेंट की कमेटीज काम कर रही हैं जो कि आज तक का इतिहास गवाह है कि जब जब बड़े बड़े स्केम्स

हुए, टूजी स्पेक्ट्रम से ले करके जब जब बड़े बड़े स्केम हुए, जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांगी की जाती थी क्योंकि कमेटीज के ऊपर ज्यादा भरोसा हमेशा से लोकतंत्र के अन्दर जताया गया है। मैं जयादा बारीकी में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे तमाम साथी, तमाम बारीकियों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक ही बात कहेंगे कि एक ही मकसद है इनका कि पहले ए.सी.बी. कब्जा कर लो। सरकार को पंगु बनाने कि कोशिश करी। उसके बाद सर्विसिज पे कब्जा कर लिया ताकि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग न हो सके। उसके हिसाब से सरकार को पंगु बनाने कि कोशिश करी। आज इनको जब दिख रहा है कि कमेटीज के माध्यम से सरकार जब काम कर रही है, अफसरों के ऊपर जब दबाव बन रहा है, अफसरों का रात का नींद हराम हो रखा है, तब जा करके आपसे मैं पूछना चाहता हूं विजेन्द्र गुप्ता जी कि आपको रोहिणी की जनता ने यहां पे दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए चुना है कि इनकी इतनी तरफदारी करने के लिए चुना है। मुझे तो समझ में नहीं आता। इस चिट्ठी में एक लाइन लिखी हुई है, 'स्पेशल इन्क्वारी कमेटी ऑफ सी.एन.जी. फिटनेस।' अरे! ये घोटाला किसके खिलाफ है? पूर्व एल.जी. फंस रहे हैं इसके अन्दर पूर्व सी.एम. फंस रहे हैं और भी तमाम लोग फंस रहे हैं। तो भइया, आपका क्या कनेक्शन है इनसे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये जो घोटाले की जांच अगर हमारी स्पेशल इंक्वायरी कमेटी कर रही है तो आपका कौन सा ठेला चल रहा है भइया, ये कांग्रेस और बी.जे.पी. का क्या ठेला चल रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। ये तो हमें समझने वाली बात है कि इन कमेटीज से इनको क्यों प्रॉब्लम है। ये कमेटी को डिस्मेंटल क्यों करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी डील हुई है इन लोगों के साथ जिसको आप लोग छुपाना चाहते हो?

तो बस अध्यक्ष जी, हम ये ही कहना चाहते हैं कि इसकी भी जांच होनी चाहिए और इस तरह की गुस्ताखी जो लीडर अपोजिशन ने किया है, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। इस मांग के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि अगर वो सदन के सामने आ करके माफी नहीं मांगते हैं तो उनके ऊपर प्रिविलेज का मामला चलाया जाए और जैसा कि सदन पहले ही अपना विश्वास जता चुके हैं कि इनका जो लीडर ऑफ अपोजिशन का पद है, जिसके काबिल नहीं है, जिसके लिए इलीजिबल नहीं हैं इनका वो भी पद छीना जाए, बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी।

उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया) : अध्यक्ष महोदय, हालांकि जो विषय आज सदन में चर्चा में है, वो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के डोमेन का विषय नहीं है। मैं एक्जीक्यूटिव का हिस्सा हूं लेकिन मुझे लगता है कि एक नागरिक होने के नाते, सदन का एक सदस्य होने के नाते, एक विधायक होने के नाते मैं अपने विचार रखना चाहता हूं, इसलिए आपने मुझे अनुमति दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी इस चीज को लेके चिंतित हूं मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले ये प्रेस रिलीज पढ़ा नेता प्रतिपक्ष का। तो नेता प्रतिपक्ष के मन में लोकतंत्र के प्रति यही समझ है या यही सम्मान है, इसको देख के मुझे चिंता हुई है। वो लिखते हैं कि जो कमेटीज बनाई गई है, इसका जिक्र सभी साथी कर चुके हैं, मैं बहुत समय नहीं लगाऊंगा। लेकिन जो कमेटीज बनाई गई है, उसको उन्होंने डिस्मैंटल करने की मांग की है। उन्होंने कहा है : "To dismantle unconstitutional house committees of the Delhi Assembly like Special Enquiry Committees and the department related Standing Committees, in view of the legal opinion of the ASG, It is clear these committees

are nothing but abuse of power and have been set-up in contravention of the constitutional provisions." का जिक्र कर रहे हैं and also the doctrine of separation of power of the deliberative and executive wings of the government ये executive wings of the government का तो हम भी हिस्सा हैं, हमें तो टेंशन नहीं हो रही, नेता प्रतिपक्ष को टेंशन हो रही है। मैं भी एक्जीक्यूटिव हूं, मैंने भी संविधान की शपथ लेके एक्जीक्यूटिव का हिस्सा होने की शपथ ली है, मुझे भी जिम्मेदारी मिली है पर मुझे तो टेंशन नहीं है कि कमेटी एक्जीक्यूटिव से कुछ पूछे। मैं जानता हूं कि ये कमेटी की पॉवर्स हैं और ये कमेटी जिस दिन चाहेगी, मंत्री को भी बुलाके पूछ सकेगी। हमें टेंशन नहीं है, नेता प्रतिपक्ष टेंशन में आ गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका टांका क्या भिड़ा है। कमेटियों ने अब तक जो मुद्दे उठाए हैं, ठेकेदार हेराफेरी कर रहे थे, बेइमानी कर रहे थे, गलत रिपोर्ट दे रहे थे, दवाइयों के सप्लॉयर कुछ गड़बड़ कर रहे थे, ऐड के कुछ लगाने वाले लोग, कुछ गड़बड़ कर रहे थे, ये ही सब मुद्दे उठाए हैं। मंत्री होने के नाते मैं एक्जीक्यूटिव में शीर्ष पद पर बैठा हूं। मुझे टेन्शन नहीं है। यहां तीन मंत्री ओर बैठे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे भी कह सकता हूं। मेरी उनसे भी बात हुई थी, पहले जब कमेटीज का जिक्र हो रहा था, उनको भी टेंशन नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को, मुझे समझ में नहीं आया, ये टेंशन क्यों है, जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है, दाल ही काली है!

अध्यक्ष महोदय, समिति बनाने का अधिकार पूरी तरह से इस सदन का अधिकार है। ये आपका अधिकार है। इस सदन का नेता होने के नाते, स्पीकर होने के नाते और कानून और रूल्स दोनों में आपको ये अधिकार प्राप्त है, सदन को ये अधिकार प्राप्त है। अब विजेन्द्र गुप्ता जी को प्रॉब्लम

है इसमें, मैं देख रहा हूं। पहला ऐसा सदस्य है, पहला ऐसा दुनिया का शायद एक मात्र ऐसा सदन होगा जिसका कोई सदस्य खड़े होके कह रहा है कि जी, हमारे अधिकार कम कर दो, हमारे पास पॉवर नहीं होनी चाहिए। मतलब सारी दुनिया में किसी भी को छोटी सी ऑर्डिनरी बनती है, कोई सीनियर सिटिजन एसोसिएशन भी बनती है, कोई इनफॉर्मल कमेटी भी बनती है, सारे लोग कहते हैं कि जी, हमें और पॉवर दो। उसका हर सदस्य है कि हमें पॉवर मिले ताकि हम और बढ़िया काम कर सकें 'विद बेस्ट इन्टैन्शन।' यहां मुझे इन्टैन्शन समझ में नहीं आ रही है या समझ, समझ में नहीं आ रही इनकी। ये हमेशा ये ही कहते हुए पाए जाते हैं कि इस विधान सभा को पॉवर नहीं होनी चाहिए, इस विधान सभा को पॉवर नहीं होनी चाहिए। अरे! अगर इस विधान सभा को पॉवर से प्रॉब्लम है तो इस सदन में आए क्यों थे, वहीं चले जाते, जहां की पावर थी। कारपोरेशन में थे, वहीं की आदत पड़ी हुई है। एक्चुअली आज कुछ गंभीर मुद्दे उठे, इनकी प्रोब्लम नहीं है। इनका पालन पोषण जिस पार्टी, जिस परिप्रेक्ष में हुआ है, वहां उनको लड़की छेड़ने में शर्म नहीं आती। उनको इस बात पे शर्म नहीं आती कि रात को 12 बजे अगर आज की तारीख में कोई लड़की काम करके आ रही है, अपने दफ्तर से तो उसको देख के छेड़ा नहीं जाता बल्कि उसके बारे में सोचा जाता है और ये नहीं सोचा जाता कि ये रात को 12 बजे आई है तो जरूर कुलक्षणी होगी, ये नहीं सोचा जाता, ये भारतीय परम्परा का हिस्सा नहीं है। बल्कि ये सोचा जाता है कि बड़ी हिम्मती लड़की है भई रात को 12 बजे जा रही है, चलो इसकी और मदद कर सकते हैं, इसके बारे में अच्छा सोचें कम से कम। उसकी मदद न कर सकें, उसके बारे में अच्छा तो सोचें। इन्हें शर्म नहीं आती!

इनकी पार्टी के लोग लड़की छेड़ते हुए पकड़े जाते हैं। ये उस परम्परा से आते हैं। इनको गांधी की हत्या करने में शर्म नहीं आती। ये कहां लोकतंत्र को मानते हैं अध्यक्ष महोदय? न ये संविधान को मानते हैं बल्कि संस्थाओं के, विधान सभाओं के इन्स्टीट्यूशन के और लोकतांत्रिक होने से डरते हैं। इनको लोकतंत्र से डर लगता है। आज इनको कमेटी से नहीं डर लग रहा है। ये कमेटी तो लोकतंत्र का प्रतीक है। इनको लोकतंत्र से डर लग रहा है एक्चुवली। मैं भी देख रहा था इनका, अभी इनके बारे में पढ़ रहा था कि ये रुपया और डॉलर बराबर करने की बात करके सेन्ट्रल गवर्नमेंट में आये थे और इन्होंने सेव और टमाटर को बराबर कर दिया। ये रुपये और डालर के रेट बराबर करेंगे! सेव और टमाटर के रेट बराबर कर दिया इन्होंने।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी बता रहे थे। उन्होंने जिक्र किया कि ये राज्य सभा भंग करने की मांग करते हैं। पहले तो कहते हैं राज्य सभा भंग कर देनी चाहिए और अब इनकी पार्टी एक–एक राज्य सभा की सीट जीतने के लिए किस–किस तरह के कुचक्र कर रही है, किस–किस तरह की साजिश कर रही है, वो भी देश के सामने है। जिस राज्य सभा को कहते हैं कि भंग कर देनी चाहिए। ये मानते क्या हैं? चाहते क्या हैं? इनको कोई समझ है कि नहीं है। और समझ भी कैसे होगी, मैं फिर वापस आऊं। इनको तो आजादी भी नहीं चाहिए थी। आज आपने जब बैठक की शुरुआत की तो आपने उस महान भारत छोड़ो आन्दोलन का जिक्र किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए। ये तो उसके भी विरोध में थे। उसमें शामिल नहीं थे ये लोग। इनकी परम्परा के लोग जिस परिवार–परम्परा से ये आते हैं, उस परम्परा के लोग उसमें शामिल नहीं

थे भारत छोड़ो आन्दोलन में। आज भले ही ये बात करते रहें दुनिया भर की। बल्कि उसकी खिलाफत करने में, मुखालफत करने वालों में से थे और उस भारत छोड़ो आन्दोलन के लिए जो लोग रणनीति बनाते थे, जो लोग उस आन्दोलन को अन्जाम तक पहुंचाने के लिए जी–जान एक करके अपनी जान हथेली पर लेके चलते थे, उनकी मुखबिरी करते थे, उनके खिलाफ। ये तो वो लोग हैं! ये तो वो लोग हैं जिन्होंने गांधी की हत्या कराई! आज तक बता दो कि आजादी की लड़ाई में इनके परिवार–परम्परा का एक आदमी जेल गया हो तो। ये किस मुंह से देशभक्ति की बात करते हैं! किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय! सुन रहे होंगे तो मैं पूछना जरूर चाहता हूं कि किस मुंह से लोकतंत्र की और किस मुंह से गरीब लोगों की बात करते हैं। आप तो इस देश की आजादी के खिलाफ थे। आप तो इस चीज के खिलाफ थे। आप मुखबिरी करते थे आजादी की लड़ने वालों की। आपका एक आदमी जेल नहीं गया। एक आर.एस.एस. का कार्यकर्ता बता दीजिए, जेल गया हो तो।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ये जो समितियां हैं। ये समितियां लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दिल्ली में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को, दिल्ली की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। क्योंकि मैं इस सदन में कई मर्तबा कह चुका हूं कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस चीज में यकीन नहीं करती है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना होता है कि पांच साल में एक बार अपना राजा चुनिए और अगले पांच साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहिए। उसको लोकतंत्र नहीं कहते। लोकतंत्र का मतलब है कि चुनी हुए सरकार हर वक्त, हर समय एकाउन्टेबल रहे, लोगों के प्रति और लोगों

के प्रति और चुनी हुई सरकार तभी एकाउन्टेबल रहेगी जब वो चुने हुए लोगों के प्रति एकाउन्टेबल रहेगी। उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है और दुनिया भर में इस तरह की कमेटीज बनती हैं। हमारी साथियों ने जिक्र किया। संसद में भी इतनी महत्वपूर्ण कमेटियां हैं और इतनी शानदार रिपोर्टस हैं उनकी। मैं जर्नलिस्ट होते हुए, अभी भी मैं देखता हूं। कई बार संसद की कमेटीज की रिपोर्ट इतनी जबरदस्त हैं। कई बार केन्द्र के मंत्रियों से बात हो रही होती है। वो भी कहते हैं कि जी, हाउस की कमेटी है। हाउस की कमेटी में हमारे तीन को जाना है। हाउस कमेटी ने इस पर रिपोर्ट मांगी हुई है। उनके मन में भी हाउस की कमेटीज को लेके ये रहता है कि साहब, हाउस की कमेटी है, उसके प्रति सिन्सियर कुछ भाव रखें। तो ये बड़े अजीब लोग हैं! कहते हैं कमेटीज ही नहीं होनी चाहिए। कमेटियां अन–कान्स्टिट्यूशनल हो गयीं। बेसिकली रिकार्ड के लिए मैं कहना चाहता हूं और कुछ यहां से जायेंगी चीजें कि हाउस तो कोई भी हो, साल में तीन–चार बार बैठेगा, पांच बार बैठ लेगा बहुत ज्यादा एक्टिव होगा लेकिन निरन्तर बैठक करने का काम, निरन्तर चर्चाएं करने का काम तो समितियों में होता है, दुनिया भर में। चाहे संसद में हो। भारत के अन्य विधान सभाओं में हो या दुनिया भर के अन्य लोक सभाओं में वहां कें पार्लियामेन्ट्स में हो। समितियां जो निरन्तर बैठ के गवर्नेन्स के काम को ओवरव्यू करती हैं, ये लोकतंत्र को डिसेन्ट्रिलाईज करती हैं समितियां। ये संविधान की जो मूल भावना है, उसको और मजबूत करती हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान में थ्री टियर लोकतंत्र की व्यवस्था है; पहले में पार्लियामेंट, दूसरे में विधान सभा और तीसरे में नगर निगम, लोकल बाडीज या पंचायत। मूल रूप से अभी हमारा लोकतंत्र कई बार मुझे आश्चर्य

भी होता है कि सांसद भी बेचारे के पास चिन्ता यही है कि गली, नाली, खड़ंजा बनवा दो, स्ट्रीट लाईट लगवा दो, हैण्ड पम्प लगवा दो गांव में। विधायकों के पास में भी चिन्ता यही है और पार्षदों और ग्राम प्रधानों के पास भी यही है। दुनिया के सबसे स्वस्थ लोकतंत्र को आप देखेंगे तो वहां के सांसद और वहां के विधायक इस काम को नहीं करते हैं। वो उस काम की चिन्ताओं से मुक्त हैं। उसका प्राधिकार लोकल बॉडीज को दे रखा है और सांसदों को और विधायकों को उनकी कमेटीज को इतनी पॉवर है, इस सारे काम पर ओवरव्यू करने की। सेन्ट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स के काम को ओवरव्यू करने की, उनको विजन के साथ ओवरव्यू करने की। ट्रिमेन्डस पावर है। दस–दस, पन्द्रह–पन्द्रह विधायकों की कमेटियां हैं। सांसदों की कमेटियां हैं। वो बहुत मजबूत करती हैं सरकार के काम को। एम.पी. और एम.एल.एज. का दुनिया भर में काम देख लीजिए आप, ओवरव्यू करना है। एक तो कानून बनाना है, संसद में विधान सभा में बैठकें और दूसरा एक विजन के साथ, एक रिसर्च के साथ उसको ओवरव्यू करना है। वही काम तो ये समितियां कर रही हैं। ये कह रहे हैं अन–कान्स्टिटट्यूशनल! आप कौन सा कान्स्टिटट्यूशन पढ़ते हो भाई। भारत के संविधान के हिसाब से तो अन कान्स्टिटट्शनल नहीं है। लोकतंत्र के हिसाब से तो यह अन–डेमोक्रेटिक है नहीं। कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो? कौन से कान्स्टिटट्यूशन की बात करते हो? हमारी इन कमेटीज ने अध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया काम किया है। हमारे कई कमेटी के साथियों ने जो कमेटी में, क्योंकि मैं चर्चा करता रहता हूं, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से। अभी जो बता रहे थे। सौरभ भारद्वाज जी की पूरी रिपोर्ट हमने देखी थी; किस तरह से सुबह–सुबह जाके नालियों गलियों की सफाई, पी.डब्ल्यू.डी. के नालों की सफाई का काम ओवरव्यू किया।

उसको इन्होंने कराया थोड़ी। इनका काम एक्जीक्यूटिव का काम थोड़ी है। पर ओवरव्यू करने का काम तो है। इस विधान सभा से बजट पास हो के जाता है। मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए काम करने के लिए। उस बजट से क्या काम हो रहा है। अगर विधान सभा और उसकी समितियां यही नहीं पूछ सकेंगी सरकार से, फिर विधान सभा है किसलिए! क्या समझ है इनकी लोकतंत्र की? क्या समझ है इनकी विधान सभा की? इनको मेम्बर ही नहीं होना चाहिए। अगर इनको अपने हिस्से का ये भी काम नहीं चाहिए तो। इनको तो कहना चाहिए कि विधान सभा के पास में ये पॉवर होनी चाहिए। विधान सभा के सदस्यों के पास ये पॉवर होनी चाहिए। ये कह रहे हैं कि ये पॉवर हमारे पास नहीं होनी चाहिए। पी.डब्ल्यू.डी. के नालों की हमने सफाई का काम देखा। किस तरह से ओवरव्यू, एक पूरा ओवरव्यू लिया। सुबह–सुबह जाके देखते थे। दवाइयां बांटने के काम को ओवरव्यू लिया जा के कमेटीज ने। मुझे कमेटी के सदस्यों ने कहा कि आपने जो विज्ञापन लगाए हैं डेंगू के, वो ठीक से पढ़े नहीं जा रहे हैं। हमने बहुत सारे शहर में बहुत सारे विज्ञापन देख लिये। उनके सजेशन पर सरकार ने विज्ञापन चेन्ज कराये हैं। अब विज्ञापन पढ़े जा रहे हैं। तो सदस्यों का ओवरव्यू करके अगर सुझाव आता है और उसको सरकार मान रही है या सरकार उसके आधार पर कुछ उस पैसे का इफेक्टिव यूज कर रही है तो इसमें नेता प्रतिपक्ष का क्या जाता है! नेता प्रतिपक्ष क्यों चाहते हैं कि लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया हो जाये। नेता प्रतिपक्ष को क्या लेना है डेंगू, चिकनगुनिया से? उनका क्या इन्ट्रेस्ट है दिल्ली में डेंगू, चिकनगुनिया से! क्योंकि वो चाहते हैं कि समिति काम करना बन्द कर दे। समिति पूरे दिल्ली में विज्ञापन देख के आयी है। पहला आब्जर्वेशन उन्होंने कहा कि साहब, ये जो आपके होर्डिंग लगे हुए हैं, इनमें टैक्स्ट और पिक्चर्स इतनी ज्यादा

हो गयी हैं कि वो ठीक से दिखते नहीं हैं, सड़क पर चलते हुए। ऐसा–ऐसा होर्डिंग लगायी है, जिससे आदमी गाड़ी में बैठे हुए, बस में बैठे हुए, बाईक पर जाते हुए थोड़ा सा देखसके। उनको समझ सके, किस बारे में है। उसको कुछ नॉलेज, इन्फार्मेशन मिल सके। उसको कोई कॉल टू एक्शन समझ में आ सके। सरकार ने माना, उसको चेन्ज किया। यहां तक इन्होंने बताया कि साहब, होर्डिंग के बिल जो आये हुए हैं, उनमें कह दिया गया, होर्डिंग लगा दिये गये हैं। एकाध जगह तो होर्डिंग भी नहीं लगाया था। कई जगह इन्होंने बताया कि होर्डिंग पेड़ के पीछे छिप के लगे हैं। अब वो ठेकेदार की बदमाशी पकड़ने के लिए अगर समिति हमको सुझाव दे रही है और सरकार उस सुझाव को मान रही है तो इसमें नेता प्रतिपक्ष को मिरची क्यों लग रही है। उनको क्या लिंक है उनसे जो गड़बड़ कर रहे थे! तो कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है। कही न कहीं तो कुछ प्राब्लम है। कुछ लोग वैस्टेड इन्ट्रेस्ट के लोग जो सरकारों को बेवकूफ बनाते थे और फर्जी कागजी काम करते थे, समितियों ने उनको पकड़ना शुरू कर लिया, मुझे तो यही लगता है। हमको दिक्कत नहीं है एक्जीक्यूटिव होने के नाते। प्रतिपक्ष में उनको दिक्कत है। इसका मतलब कहीं न कहीं कुछ तो गड़बड़ थी। कुछ तो गलत काम करने वालों से इनका टांका भिड़ा हुआ था अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में, हालांकि जिक्र तो किया, मैंने दुनिया के कुछ देशों जाकर भी देखा है। मैं आस्ट्रेलिया की संसद में भी गया, वहां के भी कुछ सांसदों से मेरी मुलाकात हुई थी। कमेटीज को भी देखा था, मैंने वहां की फंक्शनिंग को भी समझा है। अमेरिका, लंदन, जापान, जर्मनी इन सब को भी देखने की कोशिश की है। इर देश में जहां लोकतंत्र

जितना मजबूत है, वहां उतना डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है। जैसे अमेरिका की बात की, अमेरिका की तो संसदीय समितियों के पास में इतनी पॉवर है कि वहां की सरकार समितियों की मंजूरी के बिना किसी विभाग के अधिकारी नियुक्त नहीं कर सकती। अधिकारी भी संसदीय समितियों से अप्रूवल के बाद नियुक्त होते हैं। अभी ट्रंप राष्ट्रपति बने। उससे पहले उनका चुनाव हो रहा था तो पूरे अमेरिका में चर्चा हो रही थी कि अगर हिलेरी क्लिंटन जीत कर आ गई तो इन पांच लोगों में से कोई बड़े एजुकेशनिस्ट में से कोई एजुकेशन सेक्रेटरी बनेगा। इन पांच बड़े इकॉनोमिस्ट में से कोई फाइनेंस सेक्रेटरी बनेगा। ट्रंप जीत कर आ गए तो इन चार–पांच बड़े–बड़े लोगों में से कोई सेक्रेटरी, फाइनेंस बनेगा। इन चार–पांच बड़े–बड़े एजुकेशनिस्ट में से कोई सेक्रेटरी, एजुकेशन बनेगा। ट्रंप जीत कर आ गए। ट्रंप ने Betsy Devos, उस्मान की महिला को चुना कि वो एजुकेशन सेक्रेटरी होंगी अमेरिका की। Betsy Devos का नाम अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, अमेरिका की सरकार के पास सिर्फ इतनी पॉवर है कि वो किस व्यक्ति को एजुकेशन सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी या डिफेंस सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं, उसका नाम संसद की कमेटी को देंगे। संसद की कमेटी की मंजूरी के बिना वहां पर सेक्रेटरी नहीं बन सकते। कितनी पॉवर है और हम कह रहे हैं ये अनकॉन्स्टीट्यूशनल हो रही है ये चीजें सारी! हमारी जो चीजें, मतलब इनको लोकतंत्र की समझ है कि नहीं है कुछ!

अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि कमेटियों ने बहुत बढ़िया काम किया है। कमेटियों को मुझे लगता है, हमें इस तरह की कमेटियों की प्रथा का सम्मान करना चाहिए। कमेटियों को काम करते रहना चाहिए। कमेटियों के काम में सरकार की ओर से मैं कह सकता हूं, आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी सुविधा, जो भी सहूलियत काम करने के लिए,

सरकार के व्यू प्वाइंट को, सरकार के कामकाज को ओवर–व्यू करने के लिए जो भी सरकार से सहयोग की जरूरत पड़ेगी, सरकार पूरा सहयोग देगी। इस सदन का कोई यह कहकर अपमान न करें कि ये समितियां असंसदीय हैं, ये अनकॉन्स्टीट्यूशनल हैं। ऐसा कहना सिर्फ इस सदन का अपमान नहीं है, देश के संविधान का भी अपमान है, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

श्री सौरभ भारद्वाज : सर, मेरी तरफ से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, काफी सब लोगों ने चर्चा की, एक बार आप सेंस आफ द हाउस लेकर, अगर आपको ठीक लगे तो नेता, प्रतिपक्ष का मामला प्रिविलेज के लिए भेज दें।

अध्यक्ष महोदय : सौरभ भारद्वाज जी का प्रस्ताव सदन के सामने है कि विजेन्द्र गुप्ता जी के मैटर को प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जाए :–

जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इस प्रस्ताव के विरोध में हैं, वे न कहें,

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता,

प्रस्ताव पास हुआ।

यह विषय प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा रहा है।

अब सदन की कार्यवाही 9 अगस्त, 2017 को अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जा रही है। सभी माननीय सदस्यों का बहुत–बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही दिनांक 9 अगस्त, 2017 को अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई)